

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2023 सत्र

मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शाला भवनों की जानकारी [स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 822) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास खंडों में संचालित कितने व कौन-कौन से प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय जर्जर एवं कितने विद्यालय अति जर्जर अवस्था में हैं ? कितने विद्यालय भवन विहीन हैं ? ऐसे विद्यालयों की विकासखंड वार विद्यालय के नाम सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जर्जर या अति जर्जर होने के कारण कितने व कौन-कौन से विद्यालय की कक्षाएं अन्य शासकीय व अशासकीय भवनों में लगाई जा रही हैं? जानकारी दें। (ग) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने व कौन-कौन से हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का स्वयं का शाला भवन नहीं है । ऐसे स्कूलों की कक्षाएं कहां लग रही हैं? जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश "क" एवं "ग" अनुसार जर्जर भवन विहीन विद्यालय का भवन या अतिरिक्त कक्षों की निर्माण कब तक कर लिया जाएगा, जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं प्रदत्त सुविधा [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 775) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अन्तर्गत आदिम जाति विभाग द्वारा कौन-कौन से छात्रावास संचालित है? जानकारी दें। (ख) छात्रावासों में छात्र छात्राओं को क्या-क्या सुविधा प्रदाय की जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु वर्ष 2021-22 से 31.1.2023 तक कितनी राशि दी गई है? पूर्ण विवरण दें। (घ) छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि विगत बार कब व कितनी की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को आवास, भोजन, पलंग, कंबल, चादर, तकिया, मच्छरदानी, विशेष कोचिंग, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजनांतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, खाद्यान्न की सुविधा, दैनिक उपयोग में आने वाली उपयोगी वस्तुएं एवं मूलभूत सुविधा दी जाती है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु वर्ष 2021-22 से 31.1.2023 तक दी गई राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (घ) छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जर्जर एवं भवन-विहीन शालाओं हेतु भवन व अहाता निर्माण की स्वीकृति [स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 807) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है ? उन स्कूलों में कितने भवन विहीन, अति जर्जर, अहाता विहीन एवं शौचालय विहीन हैं ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) विगत 3 वर्षों से 31 जनवरी, 2023 तक कितने जर्जर/भवन विहीन शालाओं हेतु जीर्णोद्धार, मरम्मत या नवीन भवन एवं शौचालय, अहाता निर्माण की स्वीकृति मिली है ? उक्त कार्य कितने शालाओं में शेष हैं ? जिलेवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में 777 शा.प्राथमिक, 266 पूर्व माध्यमिक, 27 हाई स्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी शालाएं हैं। शेषांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। शौचालय निर्माण शेष नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9-10/2021/20-एक, नवा रायपुर दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से फलदार/अन्य वृक्षारोपण के माध्यम से अहाता निर्माण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में बाउण्ड्रीवाल हेतु पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। नवीन भवन निर्माण हेतु शेष शालाओं की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

जिला-मुंगेली, तहसील -लोरमी अंतर्गत ग्राम खुड़िया को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

4. (*क्र. 713) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या ग्राम खुड़िया, तहसील-लोरमी, जिला -मुंगेली वर्तमान में सिंचाई ग्राम है? (ख) क्या कंडिका "क" को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव लंबित है? यदि हां, तो कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जायेगा? विस्तृत विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम खुड़िया, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली सरकारी रिकार्ड में सिंचाई ग्राम दर्ज नहीं है। (ख) ग्राम खुड़िया का IIT रूड़की द्वारा राजस्व सर्वेक्षण कराया जा रहा है। राजस्व सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार ग्राम खुड़िया को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय तथा छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (*क्र. 758) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.1.2023 तक गरियाबंद जिला अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय तथा छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत कितने-कितने दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? (ख) कंडिका "क" के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर) के नियमितिकरण के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं ? क्या शासन दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है ? नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" के तहत अपात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। उल्लेखित अवधि में जिला अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत 90 दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर कर्मचारियों को आकस्मिकता निधि स्थापना में नियमित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई

है। (ख) आकस्मिकता निधि नियमित वेतनमान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जी हां। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति संबंधित

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 591) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति हेतु विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है? वेतन विसंगति दूर करने के लिये कब-कब, कौन सी समिति का गठन किया गया था तथा उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या-क्या थी? (ख) क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है? यदि हां तो रिपोर्ट में क्या-क्या बातें कही गयी है तथा समिति में कौन -कौन अध्यक्ष, सदस्य थे? (ग) आदेश क्रमांक/एफ 12-17/2018/20-2 अटल नगर, दिनांक 07/03/2019 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है? (घ) क्या घोषणा पत्र में 1998 से कार्यरत शिक्षक वर्ग - 03 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गयी थी? यदि हां तो क्या उक्त घोषणा पूर्ण कर दी गयी है? यदि नहीं की गयी तो कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी :- 1. उल्लेखित मांगों के संबंध में संभावित विकल्प। 2. विभिन्न विकल्पों का वित्तीय भार, अन्य प्रभाव। 3. अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। वेतन विसंगतियों के कारण वेतन में संशोधन प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा का उल्लेख नहीं है। (ख) जी नहीं। समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :- 1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग(नियम शाखा) - अध्यक्ष 2. उप सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग- सदस्य 3. अपर संचालक, वित्त विभाग - सदस्य 4. उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) - सदस्य (ग) जी हां। (घ) शिक्षाकर्म वर्ग 3 का संविलियन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में हो जाने के कारण शिक्षाकर्म वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषणाओं पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 725) श्री धरम लाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- आत्मसात किए गए जनघोषणा-पत्र 2018 में क्या बंद स्कूलों को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई थी? प्रदेश में जनवरी, 2019 से दिनांक 31.1.2023 तक कितने नक्सल प्रभावित बंद स्कूलों को प्रारंभ किया गया है? इसमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कितने बंद स्कूलों को चालू करने की योजना है? वर्षवार, जिलेवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में 275 बंद स्कूलों को प्रारंभ किया गया है तथा इनमें 185 शिक्षक कार्यरत हैं। वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय खेल के मैदान के विवादित प्रकरण का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

8. (*क्र. 73) श्री शैलेश पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर स्थित जेपी वर्मा महाविद्यालय के खेल के मैदान के विवादित प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं? (ख) महाविद्यालय को किस ट्रस्ट ने जमीन दान की है और कब कब कितनी जमीन दान में दी गयी थी कृपया ट्रस्टियों के नाम भी बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) शिवभगवान रामेश्वरलाल चेरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी कमल बजाज के द्वारा मौजा जरहाभाठा स्थित भूमि खसरा नंबर 107/3, 108/3 शामिल 109 कुल रकबा 0.962 हे. भूमि को विक्रय की अनुमति बाबत प्रस्तुत आवेदन को पंजीयक एवं लोक न्याय तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर ने दिनांक 05/08/2021 को निरस्त किया है। (ख) पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर के अभिलेख में भूमि ट्रस्ट के द्वारा दान किये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं है। शिवभगवान रामेश्वरलाल चेरिटेबल ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक-13 वर्ष 1944 के ट्रस्टी के रूप में वर्तमान पंजी में कमल बजाज पिता आर.एन. बजाज का नाम दर्ज है।

विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए मूलभूत सुविधा विषयक
[स्कूल शिक्षा]

9. (*क्र. 733) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या कबीरधाम जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्र संख्या के अनुपात में आवश्यक भवन, फर्नीचर उपलब्ध हैं ? कितने विद्यालयों में भवन व फर्नीचर की कमी है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" के अंतर्गत शुद्ध पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की उपलब्ध है ? यदि नहीं तो कारण बताएं ? कितने विद्यालयों में आर ओ वाटर प्लांट उपलब्ध है ? उन विद्यालयों में आर ओ वाटर प्लांट कब स्थापित किया गया और कितनी राशि व्यय हुई तथा उसकी गॉरन्टी अवधि क्या है ? वर्तमान में कितने आर ओ वाटर प्लांट चालू हैं और कितने बंद हैं? बंद होने के क्या कारण है, विद्यालयवार जानकारी देवें? (ग) कितने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर क्लासेस (कक्षा पाठ) के माध्यम से पढ़ाई की जाती है ? प्रत्येक विद्यालय में कितने कंप्यूटर स्थापित हैं ? उन्हें कब क्रय किया गया और कितनी राशि व्यय हुई तथा उसकी गॉरन्टी अवधि क्या है ? उत्तर दिनांक तक कितने विद्यालय में कंप्यूटर चालू है और कितने बंद हैं? विद्यालयवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विकासखण्ड	विद्यालयोंकीसंख्याजहाँ भवनकीआवश्यकताहै	विद्यालयोंकीसंख्याजहाँ फर्नीचरकीकमीहै
1	2	3	4
1	कवर्धा	7	18
2	बोड़ला	16	12
3	सहसपुर लोहारा	8	15
4	पण्डरिया	23	28
	योग	54	73

(ख) कंडिका 'क' के अंतर्गत कबीरधाम जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में नलकूप, हेडपंप, नल कनेक्शन व कुंआ से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। 11 विद्यालयों में विभिन्न बैंकों के द्वारा वाटर आर. ओ. स्थापित कराया गया है, विभाग द्वारा राशि व्यय नहीं की गई है। वर्तमान में 07 वाटर आर ओ चालू हैं और 04 बंद हैं। वाटर आर ओ मशीन खराब है इसलिए बंद है। विद्यालयवार आर. ओ. स्थापित दिनांक की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विद्यालयकानाम	आर.ओ.स्थापितदिनांक	चालू/बंद
1	2	3	4
1	स्वामी करपात्री जी उ.मा.वि. कवर्धा	07 फरवरी 2017	बंद
2	शास आदर्श कन्या उ.मा.वि. कवर्धा कवर्धा	07 फरवरी 2017	चालू
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा	05 फरवरी 2023	चालू
4	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय बोड़ला	10 फरवरी 2017	बंद
5	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय सहसपुर लोहारा	08 फरवरी 2017	बंद
6	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय पंडरिया	10 फरवरी 2017	बंद

7	शास.उच्च.माध्य. कन्या परिसर कवर्धा	10 फरवरी 2019	चालू
8	शास.उच्च.माध्य. कन्या विद्यालय पंडरिया	10 फरवरी 2017	चालू
9	शास.उच्च.माध्य. कुण्डा	10 फरवरी 2017	चालू
10	शास. हाईस्कूल अमलीडीह	05 फरवरी 2019	चालू
11	शास.उच्च.माध्य. विद्यालय पोडी	06 फरवरी 2019	चालू

(ग) कबीरधाम जिले के 25 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर कक्षा के माध्यम से कक्षा पाठ पढ़ाई जाती है। 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 5-5 व 21 विद्यालयों में 1-1 कम्प्यूटर स्थापित किया गया है। कम्प्यूटर का क्रय दिनांक 29.09.2021 व दिनांक 01.07.2021 को किया गया, राशि रु. 1 करोड़ 46 लाख व्यय हुई तथा वारंटी अवधि क्रय दिनांक से एक वर्ष की थी। उत्तर दिनांक तक 24 विद्यालय में कम्प्यूटर चालू है एवं 1 विद्यालय में बंद है। विद्यालयवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

प्रदेश में बंदोबस्त त्रुटि के लंबित आवेदन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

10. (*क्र. 790) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में बंदोबस्त त्रुटि के कितने प्रकरण/आवेदन लंबित है, जिलेवार तहसील सहित जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के प्रकरणों में विलंब के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, यदि हां तो कितने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं तो क्यों ? **(ग)** रायपुर जिले के तहसीलों में कंडिका "क" से संबंधित कितने प्रकरण लंबित है, कब से लंबित हैं ? वर्षवार बतावे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** प्रदेश में दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में बंदोबस्त त्रुटि के जिलेवार तहसील सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है । **(ख)** कण्डिका "क" के परिपेक्ष्य में बंदोबस्त त्रुटि के आवेदनों पर त्वरित निराकरण हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गये हैं। **(ग)** रायपुर जिले कण्डिका-क संबंधित बंदोबस्त त्रुटि के 160 प्रकरण लंबित है, लंबित प्रकरणों के वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील	वर्षवार विवरण				योग
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
रायपुर	00	00	00	00	00
धरसीवां	00	00	00	00	00
आरंग	1	3	10	1	15
मंदिर हसौद	1	1	16	19	37
अभनपुर	00	00	16	34	50
गोबरा नवापारा	00	13	24	21	58
तिल्दा	00	00	00	00	00
खरोरा	00	00	00	00	00
कुल योग	2	17	66	75	160

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

बिंदानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उन्नयित स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

11. (*क्र. 743) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिंदानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020/2021 से जनवरी, 2023 तक कितने स्कूलों का माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उन्नयित स्कूलों में से कितने स्कूलों के पास स्वयं के भवन उपलब्ध नहीं है, कितने जर्जर स्थिति में हैं ? भवनविहीन स्कूलों में कब तक भवन उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा जर्जर स्कूलों की मरम्मत कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश 'क' के सभी उन्नयित स्कूल प्रारंभ हो गये हैं ? यदि हां तो स्कूलों हेतु कितनी-कितनी संख्या में पद स्वीकृत एवं रिक्त है ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) निरंक। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बस्तर जिला में संचालित आश्रम/छात्रावास भवनों की मरम्मत, रखरखाव व सामग्रियों की उपलब्धता

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (*क्र. 816) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बस्तर में कुल कितने आश्रम/छात्रावास संचालित है ? वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में उक्त के भवनों मरम्मत/जीर्णोद्धार/रख रखाव हेतु कितनी राशि आवंटित एवं व्यय हुई ? वर्षवार बताएं ? (ख) उक्त आश्रम/छात्रावासों को उक्त अवधि में क्या-क्या सामग्रियाँ प्रदाय की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला बस्तर में 102 आश्रम एवं 123 छात्रावास, इस प्रकार कुल 225 छात्रावास/आश्रम संचालित है। उक्त भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार/रखरखाव हेतु वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि रूपये 267.24 लाख तथा व्यय राशि रूपये 254.42 लाख एवं वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि रूपये 390.19 लाख तथा व्यय राशि रूपये 304.39 लाख है। (ख) आश्रम/छात्रावासों को उक्त अवधि में प्रदाय की गई सामग्रियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील कार्यालयों में लंबित राजस्व प्रकरण का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

13. (*क्र. 721) डॉ. प्रीतम राम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक तहसील कार्यालयों में कितने सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, फौती, डायवर्सन के प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक किया जावेगा? तहसीलवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक तहसील कार्यालयों के सीमांकन, बटांकन, नामांतरण, फौती डायवर्सनके लंबित प्रकरणों के निपटारा/तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील/न्यायालय का नाम	वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के दिनांक 31/01/2023 तक के लंबित प्रकरणों का विवरण	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दिनांक 31/01/2023 तक के लंबित प्रकरणों की पूरक जानकारी समय सीमा के बाहर की प्रकरण
लुण्ड्रा (धौरपुर)	सीमांकन-78	सीमांकन-00
	बटांकन-65	बटांकन-10
	नामांतरण-227	नामांतरण-33
	फौती-83	फौती-00
	डायवर्सन-00	डायवर्सन-00
अम्बिकापुर	सीमांकन-72	सीमांकन-00
	बटांकन-19	बटांकन-2
	नामांतरण/फौती-76	नामांतरण/फौती-1

	डायवर्सन-13	डायवर्सन-00
	सीमांकन-3	सीमांकन-00
लखनपुर	बटांकन-19	बटांकन-2
	नामांतरण/फौती-72	नामांतरण/फौती-2
	डायवर्सन-00	डायवर्सन-00
दरिमा	सीमांकन-40	सीमांकन-00
	बटांकन-32	बटांकन-12
	नामांतरण/फौती-58	नामांतरण/फौती-12
	डायवर्सन-2	डायवर्सन-00

सिविल न्यायालय या अन्य वरिष्ठ न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण समय सीमा के बाहर होने वाले प्रकरणों के अलावा शेष प्रकरणों का निराकरण शीघ्र 01 माह के भीतर कर लिया जावेगा।

प्रदेश में कार्यरत विद्या मितान का नियमितकरण/शिक्षाकर्मि वर्ग-1 में मर्ज किया जाना [स्कूल शिक्षा]

14. (*क्र. 485) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या 3 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विद्या मितान को शिक्षाकर्मि वर्ग-1 में मर्ज करने हेतु शिक्षा मंत्री द्वारा पत्र जारी किया गया था, यदि हां तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या 2 मार्च 2019 को विद्या मितान के हितों के संरक्षण का प्रस्ताव मंत्री परिषद में पास हुआ था? यदि हां, तो आज पर्यन्त क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2020 को राज्य अतिथि शिक्षक को नियमित करने हेतु प्रमुख सचिव को पत्र जारी किया गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या आत्मसात किए गए अनुसार अतिथि शिक्षक को नियमितकरण किया जाना है, यदि हां तो इन्हें कब तक नियमित किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां । शिक्षा मंत्री जी को प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। (ख) जी हां । अतिथि शिक्षकों के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2 अटल नगर रायपुर दिनांक 24.06.2019 में विद्यामितानों के हित संरक्षण के लिये यह उल्लेख किया गया है कि "सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेवाएं दी गई हों, तो उन्हीं विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायें" । (ग) जी नहीं । वरन् आवेदन पत्र नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। कार्यवाही विचाराधीन है । (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

बेमेतरा जिले में डायवर्सन के लंबित / निराकृत प्रकरण [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

15. (*क्र. 813) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बेमेतरा जिले में वर्ष 2022 -23 में दिनांक 31.01.2023 तक कितने डायवर्सन के प्रकरण दर्ज किए गए तथा कितने डायवर्सन के प्रकरण निराकृत किये गये, जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जिला बेमेतरा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक डायवर्सन के 371 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 207 प्रकरण निराकृत किए गए।

जांजगीर चाम्पा जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्राप्त छात्रवृत्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (*क्र. 469) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जांजगीर चाम्पा जिले में पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 10/02/2023 तक कितने

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को किस समयावधि में प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति, किस दर से प्रदान की गई है ? (ख) छात्रवृत्ति के प्रकरण किस कारण से इस समयावधि में लंबित हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर चाम्पा जिले में पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 10/02/2023 तक अनुसूचित जाति के 48388 विद्यार्थियों को राशि रुपये 6,25,89,306/- अनुसूचित जनजाति के 14828 विद्यार्थियों को राशि रुपये 3,34,47,004/- एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 63898 विद्यार्थियों को 8,94,34,152/- छात्रवृत्ति वार्षिक प्रदाय किया गया। छात्रवृत्ति प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान नहीं है। छात्रवृत्ति की दर संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन के दौरान जिन विद्यार्थियों द्वारा गलत बैंक खाता नम्बर, गलत आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद होने, आधार सिडिंग नहीं होने इत्यादि कारणों से छात्रवृत्ति भुगतान लंबित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

**शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पठियापाली जिला कोरबा मे विद्यार्थियों के अनुपात में
अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं शिक्षकों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]**

17. (*क्र. 493) श्री ननकी राम कंवर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरबा जिला के करतला विकासखण्ड अन्तर्गत शासकीय उ० मा० वि० पठियापाली कब से संचालित है और उक्त विद्यालय में कौन-कौन से पाठ्यक्रम की कक्षाएँ संचालित हैं? (ख) उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपात में कमरे एवं शिक्षक की कमी है? यदि हां तो अतिरिक्त कक्ष निर्माण कब तक कराया जावेगा एवं शिक्षितों की पूर्ति कब तक की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोरबा जिला के करतला विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पठियापाली 05 सितम्बर 2019 से संचालित है। उक्त विद्यालय में विज्ञान, गणित, कला एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रम की कक्षाएँ संचालित हैं। (ख) जी हाँ। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

**आवासीय भूमि परिवर्तन डायवर्सन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]**

18. (*क्र. 506) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायपुर में कैलेण्डर वर्ष 2021 तथा 2022 में कितने आवेदन पत्र आवासीय भूमि परिवर्तन (आवासीय एवं औद्योगिक) डायवर्सन के लिए तहसीलों/अनुविभागीय अधिकारी गणों/कलेक्टरों के न्यायालय में प्राप्त हुए थे ? (ख) प्रश्नांश "क" में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों में भूमि परिवर्तन आदेश पारित किये गये ? (ग) कितने आवेदन लंबित है एवं इनके निराकरण हेतु क्या योजना है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला रायपुर में कलेण्डर वर्ष 2021 तथा 2022 में आवासीय भूमि परिवर्तन (आवासीय एवं औद्योगिक) डायवर्सन के लिए प्राप्त आवेदन -

अनुविभाग	वर्ष 2021		योग	वर्ष 2022		योग
	दर्ज प्रकरण			दर्ज प्रकरण		
	आवासीय	औद्योगिक		आवासीय	औद्योगिक	
अभनपुर	411	36	447	320	45	365
आरंग	310	26	336	340	33	373
रायपुर	2521	269	2790	2785	269	3054
तिल्दा-नेवरा	0	0	0	70	198	268
योग	3242	331	3573	3515	545	4060

(ख) प्रश्नांश 'क' में प्राप्त आवेदनों में भूमि परिवर्तन आदेश पारित किए गए-

अनुविभाग	वर्ष 2021		योग	वर्ष 2022		योग
	दर्ज प्रकरण			दर्ज प्रकरण		
	आवासीय	औद्योगिक		आवासीय	औद्योगिक	
अभनपुर	411	36	447	310	45	335
आरंग	310	26	336	308	31	339
रायपुर	2521	269	2790	2779	269	3048
तिल्दा-नेवरा	0	0	0	65	184	249
योग	3242	331	3573	3462	529	3991

(ग) लंबित आवेदन-

अनुविभाग	वर्ष 2021		योग	वर्ष 2022		योग
	दर्ज प्रकरण			दर्ज प्रकरण		
	आवासीय	औद्योगिक		आवासीय	औद्योगिक	
अभनपुर	0	0	0	10	0	10
आरंग	0	0	0	32	2	34
रायपुर	0	0	0	6	0	6
तिल्दा-नेवरा	0	0	0	5	14	19
योग	0	0	0	53	16	69

लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में कार्यवाही किया जा रहा है।

विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत भवन-विहिन, जर्जर भवन, अहाता-विहिन संचालित स्कूल [स्कूल शिक्षा]

19. (*क्र. 476) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत संचालित भवन विहिन, जर्जर भवन, अहाता विहिन स्कूलों का नाम, पता सहित जानकारी दें। (ख) वर्ष जनवरी 2020 से दिनांक 10/2/2023 तक कितने स्कूल का उन्नयन किया गया है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत वर्ष जनवरी 2020 से दिनांक 10.02.2023 तक किसी भी स्तर की शालाओं का उन्नयन नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

जिलों में संचालित शालायें एवं पदस्थ शिक्षक [स्कूल शिक्षा]

20. (*क्र. 719) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अ. चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान- गंडई ज़िले में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं? विधानसभा वार जानकारी दें? (ख) कंडिका "क" के कितने शालाओं में दर्ज संख्या के मान से शिक्षक की कमी है एवं कितने शालाओं में शिक्षक अतिशेष हैं ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ग) कंडिका"क" के अनुसार कितने शाला शिक्षक-विहीन एवं एक शिक्षिकीय शाला है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र के तालिका "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के तालिका "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र के तालिका "स" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

जिला दुर्ग में जर्जर स्कूल भवन
[स्कूल शिक्षा]

21. (*क्र. 543) श्री अरुण वोरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला- दुर्ग में कितने प्राथमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन जर्जर अवस्था में हैं? जानकारी दे? (ख) पिछले 03 वर्षों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला-दुर्ग अंतर्गत कुल कितनी राशि, कौन-कौन से कार्यों पर खर्च की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला- दुर्ग में केवल 17 प्राथमरी, स्कूल के भवन जर्जर अवस्था में हैं। (ख) पिछले 03 वर्षों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला-दुर्ग अंतर्गत निर्माण कार्य में किये गए राशि के व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाख में)
1	अतिरिक्त कक्ष	205.325
2	कम्प्यूटर कक्ष	6.370
3	प्रयोगशाला कक्ष	173.822
4	कला एवं संस्कृति कक्ष	107.732
5	पुस्तकालय कक्ष	116.460
6	पेयजल	3.000
7	बालक शौचालय	31.215
8	बालिका शौचालय	140.634
9	CWSN शौचालय	15.317
10	रैम्प	7.195

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में घुमरिया डायवर्सन सेवतातोला हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण व मुआवजा
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

22. (*क्र. 799) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या प्रश्नावधि तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में घुमरिया डायवर्सन सेवतातोला हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? यदि हाँ तो कितने रकबा को अधिग्रहित कर, कितनी राशि का मुआवजा पारित किया गया है? अधिग्रहित भूमि का खसरा नम्बर एवं रकबा सहित मुआवजा वितरण की किसानवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हाँ। कुल 24 कृषकों के 10.68 एकड़ रकबा को अधिग्रहित कर कुल रू. 34,063.20/- का मुआवजा पारित किया गया है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (*क्र. 248) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश अंतर्गत कितने छात्रावास आश्रम शाला संचालित हैं, छात्रावास अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं जिलावार जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हैं कितने रिक्त हैं एवं कितने छात्रावासों में प्रभार में कार्यरत हैं जिलावार जानकारी देवें? (ग) रिक्त पदों पर भर्ती कब तक कर ली जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) (ख) एवं (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में जेम पोर्टल से खरीदी [स्कूल शिक्षा]

24. (*क्र. 751) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 953 दिनांक 14 मार्च, 2022 में बताया गया है कि कार्ययोजना 2021-22 में लिये गए निर्णयानुसार "आल पर्चेस फ्राम सेन्ट्रल फंड शुड बी मेड थ्रू जेम" यदि हां तो वर्ष 2021-22 में केन्द्र से प्राप्त राशि में से कितनी राशि से क्या-क्या सामग्री जेम पोर्टल से न खरीदकर निविदा आरसी व अन्य आधार पर क्रय की गई व क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : विधानसभा प्रश्न क्रमांक 953 दिनांक 14 मार्च 2022 के उत्तर में यह बताया गया था कि "जी हां। सीएसआईडीसी द्वारा शासकीय खरीदी हेतु पोर्टल बनाया गया है। जेम पोर्टल से सामग्री क्रय करने से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, अपितु छ0ग0 भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) के नियम 4.3.3 में स्पष्ट प्रावधान है कि केन्द्रीय, क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 20 जुलाई 2021 के द्वारा छ0ग0 के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 हेतु लिये गये निर्णय के अनुसार "All purchase from central fund should be made through GEM to ensure effective prices and standardized equipments" इससे यह स्पष्ट है कि छ0ग0 भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) में भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रक्रिया को बंधनकारी नहीं बनाया गया है, अपितु भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रक्रिया से क्रय करने की छूट प्रदान की गई। विगत वर्ष में भी प्रथमतः ई-मानक पोर्टल से क्रय का प्रयास किया गया था, परंतु उसमें सफलता न मिलने के कारण जेम पोर्टल से क्रय किया गया। इस वर्ष क्योंकि ई-मानक पोर्टल से सफलतापूर्वक क्रय की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, इसलिए जेम पोर्टल से क्रय की आवश्यकता नहीं रह गई। क्रय सामग्री एवं राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

नगर पंचायत नगरी में कोटवारी भूमि का आवंटन [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

25. (*क्र. 819) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्या नगर पंचायत नगरी क्षेत्र में कोटवारी भूमि आवंटित है ? यदि हां तो कितनी भूमि और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है ? उक्त भूमि किसके नाम पर दर्ज है ? **(ख)** क्या यह सही है, कि कंडिक "क" के तहत भूमि में बसाहट है ? यदि हां, तो कब से, क्या वहां शासन द्वारा मूलभूत सुविधा मुहैया कराई गई है ? **(ग)** क्या वर्तमान में कोटवारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जी हां। ग्राम चुरियारा प.ह.नं.23 में कुल ख.नं.13 रकबा 10.20 हे. कोटवारी भूमि आवंटित की गई है। जिनमें से ख.नं. 722 रकबा 2.82 हे. में से 1.82 हे. में खेल मैदान निर्मित है। ख.नं. 220 रकबा 2.08 हे. का टुकड़ा 1.28 हे. भूमि अतिक्रमित एवं 0.80 हे. भूमि पर नवीन थाना नगरी निर्मित है। ख. नं. 523 रकबा 2.27 हे. का टुकड़ा 0.20 हे. भूमि पर अतिक्रमण है। शेष ख.नं. की भूमि पर संबंधित ग्राम कोटवारों द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। खसरा नंबरवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** जी हां। विगत 10-12 वर्षों से बसाहट है। जी नहीं। **(ग)** जी हां। कोटवारी भूमि से नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****बिलासपुर जिले में खोले गए आत्मानंद स्कूल****[स्कूल शिक्षा]**

1. (क्र. 74) श्री शैलेश पांडे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर जिले में कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं ? कितने नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाने प्रस्तावित हैं ? नए स्कूल कब तक खोल दिए जायेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में 12 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। 19 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जाना प्रस्तावित हैं। नए स्कूल खोलने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

14580 पदों में शिक्षक भर्ती व अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति**[स्कूल शिक्षा]**

2. (क्र. 430) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में 14580 व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक पदों की भर्ती में किन-किन संवर्गों के कितने-कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है व किन-किन संवर्गों की भर्ती प्रक्रिया अपूर्ण है? (ख) क्या प्रश्नांक "क" के तहत उक्त भर्ती के संबंध में शिक्षक एवं सहायक शिक्षक संवर्ग का दस्तावेज सत्यापन कार्य 31.1.2023 की स्थिति में पूर्ण हो चुका है ? यदि हां तो कितने का दस्तावेज सत्यापन किया गया और कितने शेष है तथा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? (ग) दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में क्या नियम-निर्देश बनाये गये हैं ? क्या इनके भविष्य सुरक्षा व सुविधाओं के लिये कोई नीति या कार्ययोजना बनायी जा रही है, यदि हां तो क्या?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां। व्याख्याता के 3177, शिक्षक के 5897 तथा सहायक शिक्षक के 5506 सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। (ख) जी हां। शिक्षक पद के लिये 9348 एवं सहायक शिक्षक पद के लिये 14024 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.- राइट टू एजुकेशन) के अंतर्गत प्रवेशित छात्र व बकाया राशि का भुगतान**[स्कूल शिक्षा]**

3. (क्र. 431) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिनांक 31.1.2023 तक शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) के तहत प्रतिवर्ष कितने छात्रों को प्रवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है? उनमें से कितने छात्रों को वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में निजी व शासकीय स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है? वर्षवार बतायें (ख) दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.- राइट टू एजुकेशन) के तहत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात कितना है? तथा वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कितने निजी/शासकीय स्कूलों का, कितनी राज्यांश की राशि बकाया है? तथा इसका कारण क्या है और कब तक भुगतान कर दी जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रवेश कराने का लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है।

दिनांक 31.01.2023 तक शिक्षा का अधिकार के तहत वर्ष 2020-21 में 52686, वर्ष 2021-22 में 48383 एवं वर्ष 2022-23 में 56679 छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है। (ख) आज की स्थिति में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 60-40 है। प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22 में निजी स्कूलों का राज्यांश की बकाया राशि निरंक है एवं 2022-23 हेतु निजी विद्यालयों द्वारा पोर्टल में दावा राशि प्रविष्टि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः बकाया राशि बताया जाना संभव नहीं है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत भूमि विवाद, बंटाकन, सीमांकन, फौत के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

4. (क्र. 478) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत भूमि विवाद, बंटाकन, सीमांकन, फौत के कितने प्रकरण लंबित हैं। तहसीलवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत भूमि विवाद, बंटाकन, सीमांकन, फौत के प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	तहसील का नाम	भूमि विवाद	बंटाकन	सीमांकन	फौत
1	पामगढ़	47	4	21	48
2	नवागढ़	1	0	8	2
3	शिवरीनारायण	34	46	77	57
	कुल योग	82	50	106	107

छत्तीसगढ़ प्रदेश में कक्षा 9 वीं में विद्यार्थियों का दाखिला तथा निःशुल्क सायकल वितरण

[स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 494) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षण सत्र वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कक्षा 9 वीं में कितने शासकीय एवं अर्धशासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था? छात्र छात्राओं की संख्या की जिलेवार जानकारी दें? (ख) क्या उक्त कक्षा में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क सायकल वितरण योजनांतर्गत सायकल वितरण किया गया था? यदि हां तो कितनी संख्या में वितरण किया गया, जिलेवार जानकारी दें? यदि नहीं तो कारण बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, ब एवं स अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रावधान अनुसार केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल.वर्ग की बालिकाओं को कुल 4,79,996 सायकल वितरित की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को घर, बाड़ी एवं कब्जाधारी परिवारों को निःशुल्क पट्टा दिया जाना

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

6. (क्र. 495) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को निः शुल्क घर एवं बाड़ी दिया जा रहा है ? (ख) क्या भूमिहीन परिवारों को भूमि एवं कब्जाधारी परिवारों को निःशुल्क पट्टा देने की योजना है? यदि हां तो कब तक देने की योजना है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजस्व विभाग के अंतर्गत घर एवं बाड़ी हेतु भूमि का पट्टा देने का प्रावधान है। (ख) छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-3, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984, छत्तीसगढ़ कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, विशेष उपबंध अधिनियम, 1984, एवं छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकर (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को

भूमि का पट्टा देने का प्रावधान है। आवेदन प्राप्ति पर पात्रता परीक्षण के आधार पर नियमानुसार निराकरण किया जाता है।

रायपुर जिला पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) में रजिस्ट्री के प्रकरण
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

7. (क्र. 509) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायपुर पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) कार्यालय में कैलेण्डर वर्ष 2021 एवं 2022 में रजिस्ट्री के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन का निराकरण हो गया है ? कितने शेष हैं ? **(ख)** प्रश्न (क) की अवधि में क्या पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) कार्यालय में बिना पक्षकार के रजिस्ट्री की गई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में रजिस्ट्री में अनियमितता या गलत रजिस्ट्री करने की या रजिस्ट्री रोकने की कितनी शिकायत/आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन/शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई, बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** रायपुर जिले के पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2021 में 58838 आवेदन प्राप्त हुये है। 58838 आवेदन निराकृत है। शेष आवेदन निरंक है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में 66801 आवेदन प्राप्त हुये है। 66801 आवेदन निराकृत है। शेष आवेदन निरंक है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** रायपुर जिले के पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2021 में 189 आपत्ति/आवेदन प्राप्त हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में 233 आपत्ति/आवेदन प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 के 233 आवेदन में से अनियमितता या गलत रजिस्ट्री करने के संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुई है। उप पंजीयकों द्वारा कुल 421 आपत्तिकर्ता को सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने अवगत कराया गया है तथा शेष 01 शिकायत आवेदन के संबंध में उप पंजीयक को महानिरीक्षक पंजीयन छ0ग0 रायपुर के द्वारा जांच उपरांत निलंबित किया गया है।

जिला मुंगेली में विद्यालयों की अद्यतन स्थिति
[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 521) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मुंगेली में दिनांक 31.01.2023 तक कुल कितने हायरसेकेंड्री/हाईस्कूल/पूर्व माध्यमिक/प्राथमिक शाला संचालित हैं, कितने स्वयं के भवन में अथवा किराये के भवन में संचालित हैं, कितने भवन-विहीन है तथा कितने क्षतिग्रस्त अवस्था में है? **(ख)** वर्ष 2020 से दिनांक 31.01.2023 तक कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया? कितने विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई, कितना शेष है? विधानसभावार, विकासखण्डवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जिला मुंगेली में दिनांक 31.01.2023 तक कुल 62 हायर सेकेण्डरी, 67 हाईस्कूल, 272 पूर्व माध्यमिक एवं 659 प्राथमिक शाला संचालित हैं। शेषांश की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	शाला का स्तर	स्वयं के भवन में	किराये के भवन में	भवन विहीन	क्षतिग्रस्त भवन
1	हायर सेकेण्डरी	62	0	29	0
2	हाईस्कूल	67	0	11	0
3	पूर्व माध्यमिक	270	0	0	2
4	प्राथमिक	650	0	0	9

(ख) वर्ष 2020 से दिनांक 31.01.2023 तक किसी भी शाला का उन्नयन नहीं किया गया है। स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष की विधानसभावार, विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति का प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

प्रदेश में छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]

9. (क्र. 522) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में संचालित हायरसेकण्ड्री/हाईस्कूल/पूर्वमाध्यमिक एवं प्राथमिक शाला में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने के क्या नियम है, कितनी राशि प्रदान की जाती है? (ख) वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक 10.02.2023 तक कितनी राशि की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है, कितना शेष है, कब तक दी जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक 10.02.2023 तक कुल राशि रु. 1,50,60,49,770/- की छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है, राशि रु. 1,78,57,73,890/- शेष है। समय बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

प्रदेश के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को मानदेय
[स्कूल शिक्षा]

10. (क्र. 568) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर दर श्रमिक के रूप में वेतन कब से प्रदान किया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है।

शिक्षक एल बी के पुरानी पेंशन योजना संबंधित
[स्कूल शिक्षा]

11. (क्र. 592) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुरानी पेंशन योजना में शिक्षक एल.बी. संवर्ग की सेवा गणना किस दिनांक से की जा रही है ? (ख) यदि उनकी सेवा की गणना संविलियन दिनांक से की जा रही है तो उन्हें शासकीय अनुदान और लाभांश किस दिनांक से किस दिनांक तक जमा करना है ? (ग) संविलियन उपरांत मृत शिक्षक एल.बी. संवर्ग के लिए परिवार पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन का प्रावधान है किंतु 2028 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एल.बी. संवर्ग के लिये पुरानी पेंशन का प्रावधान नहीं होने के क्या कारण है ? (घ) इसके संबंध में शासन द्वारा कब-कब, कौन-कौन से आदेश जारी किये गये हैं, आदेश प्रति सहित जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुरानी पेंशन योजना में शिक्षक एल.बी. संवर्ग की सेवा गणना शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक से की जा रही है। (ख) जी हाँ, उन्हें शासकीय अनुदान और लाभांश संविलियन दिनांक से सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक तक जमा करना है। (ग) जी हाँ, संविलियन उपरांत मृत शिक्षक एल.बी. संवर्ग के लिए परिवार पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन का प्रावधान है। संविलियन उपरान्त वर्ष 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एल.बी. संवर्ग छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन हेतु पात्र नहीं होंगे। (घ) निम्नानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है:-

क्र.	जारी तिथि	आदेश क्रमांक व दिनांक
1	08 अप्रैल 2022	क्रमांक 202/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम /चार, नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 08.04.2022
2	26 अप्रैल 2022	क्रमांक 244/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम /चार, नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.04.2022
3	11 मई 2022	क्रमांक 282/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 11.05.2022

4

20 जनवरी 2023

क्रमांक 39/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नया रायपुर अटल नगर,
दिनांक 20.01.2023

जिला व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को विभिन्न मदों में प्राप्त राशि व व्यय
[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 606) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से दिनांक 31/01/2023 तक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ /कार्यालय, वि.ख. शिक्षा अधिकारी रायगढ़, पुसौर, सारंगढ़ व बरमकेला को किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु व्यय की गयी है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार प्राप्त राशि के विरूद्ध व्यय में क्या किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छात्रावास/आश्रमों हेतु सामग्री क्रय
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (क्र. 607) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 31/01/2023 तक रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छात्रावास/आश्रमों को क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई है ? उक्त सामग्री किस-किस फर्म से, कितनी-कितनी मात्रा एवं दर पर क्रय की गई है ? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी प्रदाय करें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार क्या उक्त सामग्री क्रय में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** वर्ष 2021 से दिनांक 31.01.2023 तक रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छात्रावास/आश्रमों को प्रदाय सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। फर्म का नाम, मात्रा एवं दर की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। कार्यवाही का पत्र उपस्थित नहीं होता।

मुंगेली जिला, तहसील लोरमी अंतर्गत गुनापुर एवं ढोलगी के सहकारी समिति के अंतर्गत हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदाय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 712) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि ग्राम गुनापुर एवं ग्राम ढोलगी में सन 1970 में पंजीकृत कृषि सहकारिता समिति का सन् 2004 में परि-समापन पश्चात वन अधिकार पत्र हेतु अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा विधिवत् सभी दस्तावेज को आदिवासी विकास विभाग कलेक्टर कार्यालय में जमा किया गया है? **(ख)** क्या यह भी सत्य है कि कंडिका "क" द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज मिसिंग हो गये हैं, यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है, विस्तृत विवरण दें? **(ग)** क्या कंडिका "क" के मिसिंग दस्तावेज पुनः तैयार कर, गुनापुर एवं ढोलगी के सहकारी समिति के सदस्यों को लाभान्वित किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक, विस्तृत विवरण दें। नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** प्रश्नांकित ग्राम गुनापुर के 24 वन अधिकार दावे अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति हेतु कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला मुंगेली में जमा किया गया है,

जो कि पूर्व पंजीकृत एवं परिसमापित कृषि सहकारिता समिति के सदस्यों से संबंधित हैं। जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 09.04.2021 को किया जाकर तत्पश्चात् वन अधिकार पत्र जारी किया गया है। ग्राम ढोलगी का उक्त वन अधिकार दावे से संबंधित कोई दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त/जमा नहीं किया गया है। तत्कालीन कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला-बिलासपुर में ग्राम गुनापुर एवं ढोलगी में सन् 1970 में पंजीकृत कृषि सहकारिता समिति का सन् 2004 में परिसमापन पश्चात् वन अधिकार पत्र हेतु कोई दस्तावेज जमा नहीं हुआ है। (ख) कंडिका "क" में उल्लेखित उत्तर अनुसार मिसिंग दस्तावेजों की जानकारी निरंक मानी जावे। (ग) कंडिका "ख" के अनुसार जानकारी निरंक है। वन अधिकार हेतु नवीन आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बालोद जिले में स्वीकृत नवीन शाला भवन, आश्रम एवं छात्रावास भवन
[स्कूल शिक्षा]

15. (क्र. 715) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2021-2022 से दिनांक 16 फरवरी, 2023 तक बालोद जिला के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर कितनी लागत के नवीन शाला भवन, आश्रम एवं छात्रावास भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार, विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें। (ख) कण्डिका 'क' की अवधि में विभाग को बालोद जिले से नवीन शाला भवन, आश्रम एवं छात्रावास भवन निर्माण के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये थे? (ग) कण्डिका 'क' की अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों के प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कण्डिका "क" की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.वर्ष	विधानसभा क्षेत्र	शाला/आश्रम/छात्रावास का नाम	स्वीकृत राशि लाख में
1 2021-22	डौण्डी लोहारा	पो.मैट्रिक आदि. कन्या छात्रावास मंगचुवा	191.51
2 2022-16.02.2023	डौण्डी लोहारा	शास.हाईस्कूल कोबा	75.23
3 2022-16.02.2023	डौण्डी लोहारा	शास.उच्च.माध्य.विद्यालय संजारी	121.16
4 2022-16.02.2023	संजारी बालोद	पो.मैट्रिक पि.वर्ग बालक छात्रावास बालोद	191.51

(ख) प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्र. वर्ष	नवीन शाला	नवीन आश्रम	नवीन छात्रावास
1 2021-22	9	0	1
2 2022-16.02.2023	9	0	1

(ग) स्वीकृत निर्माण कार्यों के प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	शाला/आश्रम/छात्रावास का नाम	निर्माण कार्यों की प्रगति
1 2021-22	डौण्डी लोहारा	पो.मैट्रिक आदि. कन्या छात्रावास मंगचुवा	प्लिंथ लेवल
2 2022-16.02.2023	डौण्डी लोहारा	शास.हाईस्कूल कोबा	टेंडर लेवल
3 2022-16.02.2023	डौण्डी लोहारा	शास.उच्च.माध्य.विद्यालय संजारी	टेंडर लेवल
4 2022-16.02.2023	संजारी बालोद	पो.मैट्रिक पि.वर्ग बालक छात्रावास बालोद	निविदा पूर्ण

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में जर्जर/अतिजर्जर शाला भवनों हेतु भवन व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]

16. (क्र. 722) डॉ. प्रीतम राम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 31 जनवरी 2023 की स्थिति में कितने स्कूल भवन जर्जर हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) कंडिका "क" अनुसार उक्त जर्जर शाला भवनों हेतु नवीन भवन की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर स्कूल(डिस्मेंटल योग्य) भवनों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	विकास खण्ड	जर्जर स्कूल(डिस्मेंटल योग्य)
1	अम्बिकापुर	11
2	लखनपुर	25
3	लुण्ड्रा	31

(ख) निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

एस.टी. एवं एस.सी. उपयोजना हेतु आंबटित राशि व व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (क्र. 729) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2020 से दिनांक 31.1.2023 तक एससी एवं एसटी उपयोजना हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया था ? प्रस्ताव के आधार पर कितनी-कितनी राशि केन्द्रीय बजट एवं राज्य सरकार से प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रस्ताव हेतु क्या-क्या योजना आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी गई ? योजनावार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? कितना शेष है ? कितनी राशि लैप्स हुई ? नोडल एजेंसी कौन-कौन है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

खानिज खनन हेतु तहसील बाराद्वारा में अवैध कब्जा पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

18. (क्र. 730) श्री नारायण चंदेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सक्ती के तहसील बाराद्वारा में डोलोमाइट खनिज खनन हेतु श्री बालाजी मेटल्स एवं मिनरल्स प्रा.लि. को कितनी-कितनी भूमि, कहां-कहां, लीज पर प्रदान की गई ? भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश 'क' के संस्थान द्वारा आंबटित भूमि के अतिरिक्त अन्य निजी भूमि/शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा भूमि के सीमांकन का आदेश पारित किया गया था ? यदि हां तो कब आदेश पारित किया गया एवं आदेश के परिपालन में सीमांकन किनके द्वारा एवं कब किया गया? सीमांकन में कितनी-कितनी भूमि पर अवैध निर्माण, खनन अथवा कब्जा करना पाया गया ? भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। अवैध कब्जा के संबंध में संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या अतिक्रमित भूमि से अवैध कब्जा हटा लिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक अतिक्रमित भूमि मुक्त करा ली जावेगी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला-सक्ती तहसील बाराद्वार के ग्राम डुमरपारा के शासकीय भूमि में श्री बालाजी मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. डायरेक्टर श्री राघव लोखटिया के पक्ष में डोलोमाइट का उल्लेखन पट्टा अवधि 20/05/2023 के लिये स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनन पट्टा की भूमि खसरा क्रमांक 2316/1, 2322/1, 2322/2, 2333/5, 2350/1, 2357/2, 2358/1, 2358/2 रकबा क्रमशः 6.657, 3.816, 6.422, 1.214, 10.570, 1.619, 9.826, 2.630 हेक्टेयर कुल खसरा 08 कुल रकबा 42.754 हेक्टेयर है। (ख) जी हाँ. आदेश दिनांक 18/11/2021.

कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/1213/अ.भू.अ./रा.नि./सीमा/2021 जांजगीर, दिनांक 04/10/2021 के अनुसार गठित संयुक्त सीमांकन दल द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई। सीमांकन में लीज के बाहर की बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि खसरा नंबर 2349/1 रकबा 2.155 हेक्टेयर पर डोलोमाईट पत्थर का अवैध रूप से भंडारण, खसरा नंबर 2348/1-2 रकबा 1.420 हे. पर क्रेशर कार्य एवं डोलोमाईट गिट्टी का भंडारण तथा खसरा नंबर 2348/1-2 रकबा 0.770 हेक्टेयर भूमि पर डोलोमाईट का उत्खनन कर अवैध कब्जा किया जाना पाया गया है। इस संबंध में तहसीलदार बाराद्वार राजस्व प्रकरण क्रमांक 202302311100034/अ-68/2022-23 कार्यवाही हेतु दर्ज किया गया है। (ग) न्यायालय अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 202203060200006/अ-12/2021-2022 पक्षकार बालाजी मेटल एण्ड मिनरल प्रा.लि. द्वारा खदान प्रबंधक श्री मोतीलाल मोहन्ता बनाम छ.ग. शासन साकिन डुमरपारा (बाराद्वार) में पारित आदेश दिनांक 14/03/2022 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाराद्वार जिला-जांजगीर-चांपा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 00/अ-12/2021-22 में पारित सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 07/01/2022 प्रकरण के निराकरण तथा स्थगित किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है।

विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति द्वारा अवैधानिक कृषि ऋण वितरण [सहकारिता]

19. (क्र. 736) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत संचालित सेवा सहकारी समितियों के द्वारा वर्ष 2020-2021 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक अवैधानिक रूप से कितना कृषि ऋण वितरण के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई है ? सेवा सहकारी समितिवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक "क" के वर्षों के अंतर्गत समितियों के द्वारा किस-किस प्रकार की सामग्री का क्रय किया गया है ? क्या भण्डारण नियमों का पालन किया गया है? या नहीं तो किन-किन सेवा सहकारी समिति द्वारा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यातिद, कुम्ही के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है । (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह" \]](#)

खेलगढ़ी योजना के अंतर्गत सामग्री क्रय [स्कूल शिक्षा]

20. (क्र. 737) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में खेलगढ़ी योजना कब से प्रारम्भ की गयी है ? योजना हेतु वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2022 तक राज्यांश एवं केन्द्रांश कितना -कितना प्राप्त हुआ है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में कौन -कौन से खेलो हेतु कितनी -कितनी मात्रा में कौन -कौन सी सामग्री कितनी -कितनी राशि की खरीदी गयी है ? खरीदी के मापदंड क्या निर्धारित थे ? वर्षवार /जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' की सामग्री खरीदी में अनियमितता /भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में खेलगढ़ी योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गयी है। योजना हेतु वर्ष 2020 से दिसम्बर 2022 तक प्राप्त राज्यांश एवं केन्द्रांश की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 में कोई भी खेल सामग्री क्रय नहीं की गयी है। वर्ष 2021-22 से दिसम्बर 2022 तक क्रिकेट, फुटबाल, शतरंज, कैरम, लूडो, हर्डल, फ्लायिंग डिस्क, बैडमिन्टन, बास्केटबाल, स्किपिंग रोप एवं थ्रो बाल खेल हेतु सामग्री क्रय की गई। शाला के स्तरवार प्रति किट खेल सामग्री का नाम एवं संस्था की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। खरीदी के मापदंड संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। जिलेवार एवं शाला के स्तरवार खेल किट की संख्या एवं व्यय राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है। (ग) उक्त खरीदी में एक शिकायत राजनांदगांव जिले से प्राप्त हुई। जांच में शिकायत निराधार पाए जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। [\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

बलौदा बाजार-भाटापारा जिलान्तर्गत सहायक शिक्षकों की पदोन्नति एवं पोस्टिंग
[स्कूल शिक्षा]

21. (क्र. 738) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बलौदाबाजार भाटापारा जिला में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति एवं पदस्थापना के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो जांच किस स्तर के कौन से अधिकारी द्वारा की गयी, जांच में क्या पाया गया ? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्रवेशित छात्रों की फीस
[स्कूल शिक्षा]

22. (क्र. 741) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्रवेशित छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ में प्रति छात्र, प्रति वर्ष, प्राथमिक शालाओं के लिए तथा अपर प्राथमिक शालाओं में फीस के लिए कितनी राशि तथा कब से निर्धारित है? (ख) क्या छत्तीसगढ़ में निर्धारण अवधि के बाद इस राशि में कोई वृद्धि की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) अधिनियम के तहत फीस में वृद्धि किये जाने संबंधी क्या प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :(क) अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्रवेशित प्राथमिक, अपर प्राथमिक शालाओं के लिए प्रति छात्र, प्रतिवर्ष फीस वर्ष 2012 से निम्नानुसार निर्धारित है:- • प्राथमिक शालाओं के छात्रों के लिए राशि ₹. 7000/- • अपर प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए राशि ₹. 11,400/- • प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि ₹. 250.00/- • पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि ₹. 450.00/- • गणवेश हेतु राशि ₹. 540.52/- (ख) जी नहीं। फीस वृद्धि का प्रावधान नहीं होने के कारण। (ग) अधिनियम के तहत फीस में वृद्धि किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

किसानों के जमीन अधिग्रहण के संबंध में
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

23. (क्र. 742) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या खुर्जी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा अंबागढ़ चौकी से ग्राम पांगरी के मध्य शिवनाथ नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं 2 किलोमीटर डामरी कृत सड़क का निर्माण में किन-किन गांव के कितने कृषकों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? कृपया जानकारी दें ? (ख) क्या कंडिका "क" के अधिकृत भूमि हेतु मुआवजा राशि प्रदान कर दी है ? यदि नहीं तो कब तक मुआवजा राशि किसानों को दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के खुर्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग द्वारा अंबागढ़ चौकी से ग्राम पांगरी के मध्य शिवनाथ नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं 2 कि.मी. डामरीकृत सड़क निर्माण में ग्राम अंबागढ़ चौकी के 22 कृषकों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। (ख) जी नहीं। प्रकरण में अवार्ड पारित किया जा चुका है। विभाग से राशि प्राप्त होने पर आवेदक को राशि वितरण की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शालाओं एवं छात्रावासों के मरम्मत एवं क्रय हेतु स्वीकृत राशि व भुगतान

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

24. (क्र. 744) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 15 फरवरी, 2023 तक

आश्रमों/शालाओं एवं छात्रावासों के मरम्मत कार्य, रख-रखाव एवं सामग्री क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई ? विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कंडिका 'क' की स्वीकृत राशि का उपयोग कितने कार्यों में किया गया ? किन-किन एजेंसी/संस्थाओं/फर्म से कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गयी ? एजेंसी/फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया ? विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक की नियुक्ति हेतु दूरी (कि.मी.) का प्रावधान है ? यदि हां तो कितनी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 01 अप्रैल, 2021 से 15 फरवरी, 2023 तक आश्रमों/शालाओं एवं छात्रावासों के मरम्मत कार्य, रख-रखाव एवं सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। सामग्री क्रय विकासखण्डवार नहीं की जाती है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी के स्कूल, भवन हेतु राशि का प्रावधान [स्कूल शिक्षा]

25. (क्र. 747) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में संचालित कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी के स्कूल, भवन जर्जर स्थिति में हैं, जिलेवार विवरण दें? (ख) क्या उक्त स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) उक्त राशियों में कितनी राशि व्यय हुई है? कितने स्कूल भवनों की मरम्मत हो गई है, एवं कितनों की मरम्मत होना शेष है? शेष भवनों की मरम्मत कब तक कर ली जायेगी? जिलेवार विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिलेवार विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	प्रावधानित राशि रू. लाख में
1	2020-21	30.26
2	2021-22	1277.67
3	2022-23	72291.92

(ग) उक्त प्रावधानित राशि में से 1076.34 लाख की राशि व्यय हो गई है, 470 स्कूल भवनों की मरम्मत हो गई है एवं 19646 शालाओं में मरम्मत होना शेष है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन [स्कूल शिक्षा]

26. (क्र. 748) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क अध्ययन कराये जाने एवं शुल्क का भुगतान केन्द्र सरकार से किये जाने का प्रावधान प्रचलन में है? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को निःशुल्क अध्यापन का आदेश जारी किया गया था, यदि हां तो कब ? (ग) इस योजना में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया व शुल्क के रूप में कितनी कितनी राशि निजी विद्यालयों को भुगतान की गई, वर्षवार/जिलावार विवरण दें? (घ) प्रश्नांक " ग " के संदर्भ में निजी विद्यालयों के लंबित भुगतान का वर्षवार/जिलावार विवरण दें? लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। (ख) जी हां। आदेश क्र. एफ 13-73/2011/20-3, दिनांक 24.06.2019 के माध्यम से जारी किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। [संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के आयोजन में व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

27. (क्र. 752) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 1 अप्रैल 2021 से दिनांक 31/01/2023 तक आदिवासी विभाग द्वारा राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर के कितने कार्यक्रम कहाँ कहाँ कराये गये हैं? इनमें कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यक्रमवार केन्द्र व राज्य द्वारा उपलब्ध व व्यय राशि की वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार कार्यक्रमों में किन संस्थाओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? उक्तानुसार संस्थाओं के चयन का आधार क्या था? क्या सभी कार्यक्रमों में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? **(ग)** क्या कंडिका 'क' के कार्यक्रमों में केन्द्र से परियोजना/ कार्यक्रम की वित्तीय सीमा निर्धारित/स्वीकृत की गई थी, यदि हां तो कितनी? कार्यक्रमवार जानकारी दें। इनमें से किन-किन कार्यक्रमों में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया है तथा उक्त राशि कहाँ से समायोजित की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत दिनांक 19 से 21 अप्रैल, 2022 में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में राष्ट्र स्तरीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के साथ साथ राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता तथा राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कार्यक्रम कराया गया है। इसमें कुल राशि रुपये 1,51,62,093/- व्यय की गई। कार्यक्रमवार केन्द्र व राज्य द्वारा उपलब्ध व व्यय राशि की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। संस्थानों के चयन आधार संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" पर दर्शित है। जी हां, सभी कार्यक्रमों में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है। **(ग)** जी हाँ, कार्यक्रमवार स्वीकृत राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** पर दर्शित है। कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें राशि रुपये 1,06,13,093/- निर्धारित सीमा से अधिक व्यय हुआ है, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 53,24,315/- मात्र की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर समायोजन किया जा चुका है तथा राशि रुपये 52,88,778/- मात्र की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर समायोजित की जावेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

शिक्षा विभाग द्वारा समस्त शालाओ एवं संकुलों में " किलोल " पत्रिका की खरीदी ।

[स्कूल शिक्षा]

28. (क्र. 755) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त शालाओ एवं संकुलों में "किलोल" नामक पत्रिका की खरीदी अनिवार्य कर दी गई है? यदि हां तो क्यों ? इसका प्रकाशन, वितरण एवं विक्रय किनके द्वारा किया जाता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : संकुलों को वर्ष 2021-22 में आकस्मिक व्यय हेतु प्रदत्त राशि का उपयोग स्टेशनरी, बिजली देयक, मरम्मत, कम्प्यूटर सामग्री, पत्र-पत्रिकाएं मद में व्यय करने के निर्देश दिए गए थे। इसी मद से "किलोल" नामक पत्रिका क्रय हेतु भी निर्देशित किया गया है। पत्रिका बच्चों के लिये उपयोगी होने के कारण। इसका प्रकाशन, वितरण एवं विक्रय विंग्स टू फलाई सोसायटी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा किया जाता है।

रायपुर जिला अंतर्गत अविवादित नामांतरण, फौती प्रमाणीकरण आदि के लंबित प्रकरण ।

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

29. (क्र. 756) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर जिला अंतर्गत जनवरी, 2021 से 15 फरवरी 2023 तक अविवादित नामांतरण फौती प्रमाणीकरण आदि प्रकरण लंबित होने के कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उपरोक्त प्रकरणों के लंबित होने के क्या कारण हैं? **(ख)** कंडिका "क" के परिपेक्ष्य में लंबित प्रकरणों हेतु कौन जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिला अंतर्गत जनवरी, 2021 से 15 फरवरी 2023 तक अविवादित नामांतरण, फौती, प्रमाणीकरण आदि प्रकरण लंबित होने के जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील का नाम	कुल लंबित प्रकरण	समय सीमा के भीतर	समय सीमा के बाहर	लंबित होने का कारण
रायपुर	6185	9185	निरंक	निरंक
धरसीवा	1482	1482	निरंक	निरंक
अभनपुर	977	977	निरंक	निरंक
गोबरा नवापारा	515	515	निरंक	निरंक
आरंग	783	781	02	01 तकनीकी समस्या होने से 01 रकबा कमी होने से
मंदिर हसौद	662	654	08	01 बैंक बंधक होने से 03 रकबा कमी होने से एवं 04 तकनीकी कारणों से
तिल्दा	1477	1477	निरंक	निरंक
खरोरा	688	688	निरंक	निरंक
कुल	12769	12759	10	निरंक

(ख) कण्डिका "क" के परिपेक्ष्य में समय सीमा के बाहर 10 प्रकरण तकनीकी कारणों से, रकबा की कमी, बैंक बंधक होने से लंबित है। तकनीकी कारणों से लंबित होने से जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। तकनीकी कारणों से लंबित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखण्ड अंतर्गत संचालित स्कूलों में पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से लाईब्रेरी तैयार करने हेतु पुस्तक क्रय में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 759) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022-23 में 31.1.2023 तक गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखण्ड अंतर्गत संचालित स्कूलों में पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण मद से लाईब्रेरी तैयार करने हेतु कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है ? प्राप्त आबंटन के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? स्कूलवार विस्तृत विवरण दें ? (ख) कंडिका "क" के तहत लाईब्रेरी बनाने हेतु कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से पुस्तक किस-किस फर्म के माध्यम से क्रय किये गये हैं ? प्रदायकर्ता फर्म का विवरण दें ? क्या, पुस्तकों के क्रय में शासन निर्देशानुसार भण्डार तथा क्रय नियमों का पालन किया गया है, नहीं तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" के तहत लाईब्रेरी निर्माण हेतु पुस्तकों के क्रय में गंभीर अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त हुई है ? हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जिला बिलासपुर अन्तर्गत खोले गये आत्मानंद स्कूल
[स्कूल शिक्षा]

31. (क्र. 779) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-बिलासपुर में 2021 से दिनांक 31.1.2023 अवधि तक में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं ? इसमें कितने स्कूल पूर्व से संचालित हिंदी व अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद कर खोले गए हैं तथा इनमें कितने विद्यार्थी पढ़ रहे थे ? जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार स्कूलों में किस-किस संवर्ग के कितने पद

स्वीकृत, भरे, रिक्त हैं, तथा इनमें से कितने पद संविदा, प्रतिनियुक्ति व नियमित भर्ती से भरे गए हैं ? क्या इन स्कूलों में भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है तथा कौन दोषी पाया गया है ? (ग) जिन स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लिए गए हैं, उन स्कूलों में हुए रिक्त पदों में क्या पदस्थापना की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला बिलासपुर में प्रश्नाधीन अवधि में 7 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। कोई भी पूर्व से संचालित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद नहीं किया गया है तथा इनमें 7990 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। इन स्कूलों में भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं की गई है। शोशाण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिन स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लिए गए हैं, उन स्कूलों में हुए रिक्त पदों में आंशिक पदस्थापना की गई है। पदस्थापना एक सतत प्रक्रिया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं स्कूल भवन मरम्मत की कार्य एजेंसी [स्कूल शिक्षा]

32. (क्र. 783) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक शिक्षा मद एवं डी.एम.एफ. मद से स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं शिक्षा मद से स्कूल मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है, बतायें ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" के उत्तर में उपरोक्त कार्यो का निर्माण कार्य शिक्षा विभाग द्वारा कराया जा रहा है, यदि नहीं तो उक्त कार्य की कार्य एजेंसी कौन है, बतायें ? (ग) क्या उक्त कार्य ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं? यदि नहीं तो किस कारण ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी नहीं बनाया गया है, बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला जांजगीर-चांपा एवं जिला सक्ती में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15 फरवरी 2023 तक निम्नांकित मदों में स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं स्कूल मरम्मत हेतु जारी राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)					
क्रं.	जिला	वर्ष	डी.एम.एफ मद अतिरिक्त कक्ष निर्माण	शिक्षा मद अतिरिक्त कक्ष निर्माण	स्वीकृत स्कूल मरम्मत
1	जांजगीर-चांपा	2021-22	0.00	60.57	24.12
		2022-15.02.2023	240.95	7420.78	214.80
2	सक्ती	2021-22	0.00	12.36	0.00
		2022-15.02.2023	15.80	213.79	35.41

(ख) जी नहीं। निर्माण एजेंसी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिला	वर्ष	डी.एम.एफ मद अतिरिक्त कक्ष निर्माण	शिक्षा मद अतिरिक्त कक्ष निर्माण	स्वीकृत स्कूल मरम्मत
1	जांजगीर-चांपा	2021-22	-	ग्राम पंचायत	आर.ई.एस.
		2022-15.02.2023	ग्राम पंचायत, आर.ई.एस.	नगर पालिका, आर.ई.एस.	ग्राम पंचायत, आर.ई.एस.

2	सक्ती	2021-22	-	ग्राम पंचायत	-
		2022-15.02.2023	आर.ई.एस	आर.ई.एस	आर.ई.एस

(ग) जी हॉ। ग्राम पंचायतों को एजेंसी बनाने की अनिवार्यता केवल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिये है।

जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिले में शालाओं के लिये फर्नीचर क्रय
[स्कूल शिक्षा]

33. (क्र. 786) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिले में संचालित शालाओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2021-22 से जनवरी, 2023 तक कितनी - कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) सप्लायर/संस्था फर्म द्वारा कितनी कितनी मात्रा एवं किस दर पर फर्नीचर सप्लाई किया गया है? (ग) कितने स्कूल एवं संस्थाओं में गुणवत्ता-विहीन फर्नीचर सप्लाई की शिकायत प्राप्त हुई ? (घ) जिलों के कितने स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है? नामसहित जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं कोरिया जिले में फर्नीचर क्रय हेतु वर्षवार आबंटित राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटित राशि रू.
2021-22	1,38,04,166
2022-23 (जनवरी, 2023)	1,60,22,829

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) कोई भी स्कूल एवं संस्थाओं में गुणवत्ता-विहीन फर्नीचर सप्लाई की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (घ) कोई भी स्कूल फर्नीचर विहीन नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

एमसीबी एवं कोरिया जिले में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]

34. (क्र. 787) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिले अंतर्गत वर्ष 2021-22 से दिनांक 30 जनवरी, 2023 तक कितने हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु प्रस्तावित किया गया है? इनमें से कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया है और कितने शेष हैं? विकासखण्डवार एवं शालावार जानकारी दें? (ख) कंडिका 'क' में उन्नयित किये गये शालाओं में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं? विकासखण्डवार एवं शालावार जानकारी दें? (ग) उन्नयित किये गये शालाओं में कितने स्कूलों में भवन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विकासखण्ड सोनहत में हाईस्कूल घुघरा तथा विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ में हाईस्कूल बरबसपुर का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। कोई भी उन्नयन प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ख) जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	विकासखण्ड	शाला का नाम	पदों का विवरण	
				स्वीकृत	कार्यरत
1	कोरिया	सोनहत	शा.उ.मा.वि. घुघरा	13	07
2	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	शा.उ.मा.वि. बरबसपुर	11	5

(ग) उन्नयन की गई शालाओं में शाला संचालन हेतु भवन की समुचित व्यवस्था की गई है।

जिला - दुर्ग अंतर्गत खेलगढ़ी योजना [स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 794) श्री विद्यारतन भसीन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला - दुर्ग में खेलगढ़ी योजना कब से प्रारंभ की गई है ? योजना हेतु वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2022 तक राज्यांश एवं केंद्रांश कितना-कितना प्राप्त हुआ है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में कौन-कौन से खेलों हेतु कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी राशि की खरीदी गई है ? खरीदी के मापदंड क्या निर्धारित थे ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश क एवं ख की सामग्री खरीदी में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला-दुर्ग में खेलगढ़ी योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गयी है। योजना हेतु वर्ष 2021 से दिसंबर 2022 तक प्राप्त राज्यांश एवं केन्द्रांश की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार है।** (ख) वर्ष 2020-21 में कोई भी खेल सामग्री क्रय नहीं की गयी है। वर्ष 2021-22 से दिसंबर 2022 तक क्रिकेट, फुटबाल, शतरंज, कैरम, लूडो, हर्डल, फ्लायिंग डिस्क, बैडमिन्टन, बास्केटबाल, स्किपिंग रोप एवं थ्रो बाल खेल हेतु सामग्री क्रय की गई। शाला के स्तरवार प्रति किट खेल सामग्री का नाम एवं संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** खरीदी के मापदंड **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** (ग) उक्त खरीदी में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"\]](#)

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक, व्याख्याता का स्थानांतरण निरस्त किया जाना [स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 798) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2021 - 22 से 31.01.2023 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परिवीक्षाधीन शिक्षक, व्याख्याता को स्थानांतरण करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया गया है? यदि हाँ तो क्या कार्यभार ग्रहण उपरांत डी पी आई/शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश निरस्त किया गया है? आदेश निरस्त करने के संबंध में कितने प्रकरण डी पी आई/ शासन स्तर पर लंबित हैं? आदेश निरस्त करने का क्या कारण है? निरस्त आदेश की जिलेवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** स्थानांतरण निरस्तीकरण प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"\]](#)

विशेष केन्द्रीय सहायता मदान्तर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 एवं 22-23 में लंबित प्रशासकीय स्वीकृति [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

37. (क्र. 802) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कोण्डागांव जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता/संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मदान्तर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 एवं 22-23 में कितने कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई ? क्रियान्वयन एजेन्सी किस विभाग को निर्धारित किया गया ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार प्रश्नांकित तिथि की स्थिति में क्या किसी कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है ? यदि हां तो लंबित रहने का क्या कारण है व कब से लंबित है ? (ग) कंडिका "ख" के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोण्डागांव जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना (परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना)/संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** वर्ष 2021-22 के कार्यों हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी क्रमशः

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/अनुविभागीय अधिकारी, विद्युत, यांत्रिकी लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट उप संभाग, जल संसाधन विभाग/कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग/नोडल अधिकारी, जिला निर्माण समिति/सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण/एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को निर्धारित किया गया है, वर्ष 2022-23 के कार्यों की स्वीकृति दिनांक 27.02.2023 प्राप्त होने के कारण कार्य एजेन्सी का निर्धारण नहीं किया गया है। (ख) वर्ष 2021-22 के 164 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य एजेन्सियों से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन अपेक्षित होने के कारण माह सितंबर 2022 से लंबित है। वर्ष 2022-23 के कार्यों की स्वीकृति दिनांक 27.02.2023 को जारी होने के कारण केवल 01 कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है। (ग) क्रियान्वयन एजेन्सियों से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन प्राप्त होते ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा, इस हेतु निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"\]](#)

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध प्रकरणों में जांच

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 803) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति में 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध कितने प्रकरणों में जांच प्रचलित है ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2023 तक कितने प्रकरणों में जांच पूरी हुई ? कितने प्रकरणों में जांच में दोषी पाए गए ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति में 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध 87 प्रकरणों में जांच प्रचलित है। (ख) कंडिका "क" के अनुसार 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2023 तक 175 प्रकरणों में जांच पूरी हुई। 101 प्रकरणों में जांच उपरांत जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाए गए।

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

39. (क्र. 809) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं ? कितने प्रकरण सब डिविजनल स्तर और जिला स्तर कमेटी के पास लंबित हैं और कितने प्रकरणों पर मान्यता पत्र जारी कर आर. ओ. आर. दर्ज किया जा चुका है? वर्षवार एवं जिलेवार लंबित प्रकरणों की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार कितने किसानों को प्राप्त पट्टे के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण प्रदान किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता हेतु प्राप्त प्रकरणों, सब डिविजनल स्तर की समिति और जिला स्तर की समिति में लंबित प्रकरणों एवं वन अधिकार पत्र जारी कर आर.ओ.आर. दर्ज किए जाने के संबंध में वर्षवार जिलेवार लंबित प्रकरणों सहित वांछित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार 904 वन अधिकार पत्र धारकों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण प्रदाय किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"\]](#)

छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से संबंधित नियम।

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

40. (क्र. 815) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री के संबंध में राज्य शासन द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं, जानकारी

देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत छोटे भूखंडों के नकल राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए जाने संबंधी नियमों की जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है। (ख) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में संचालित कन्या छात्रावासों में सामग्रियों का प्रदाय एवं मूलभूत सुविधायें
[स्कूल शिक्षा]

41. (क्र. 817) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में स्थापित एवं संचालित 100 सीटर्स कन्या छात्रावासों (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन) को विगत 03 वर्षों में क्या-क्या सामग्रियां विभाग के द्वारा प्रदाय की गयी हैं ? (ख) उक्त कन्या छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कमार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की अद्यतन स्थिति
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

42. (क्र. 820) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कमार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है ? निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ? (ख) क्या वर्तमान में उक्त भवन में कक्षा संचालित हो रही हैं ? यदि नहीं तो कक्षाएं/छात्रावास कहां संचालित किये जा रहे हैं ? (ग) क्या उक्त भवन निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कमार आवासीय विद्यालय/छात्रावास भवन, मुकुन्दपुर, नगरी विकासखण्ड हेतु राशि रूपये 140.00 लाख प्राप्त हुई थी। विद्यालय भवन, बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य पूर्ण, बालिका छात्रावास भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है। (ख) जी, नहीं। वर्तमान में कक्षाएं/छात्रावास 250 सीटर बालक छात्रावास भवन, नगरी में संचालित की जा रही है। (ग) जी, नहीं।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोविड-19 महामारी के दौरान माता-पिता को खोने वाले बच्चों को दी गई अनुदान राशि [स्कूल शिक्षा]

1. (क्र. 8) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले कुल कितने बच्चों को किस-किस जिले में, किस-किस प्रकार की सुविधा दी गई है ? किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में इन बच्चों को दी गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को दी गई सुविधा की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण" अंतर्गत सहायक अनुदान मद से तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत मिशन वात्सल्य प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत अनुदान की राशि प्रदान की गई है। जिलेवार प्रदान की गई राशि **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

नवीन गठित जिलों में विभागों के जिला कार्यालयों की स्थापना [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

2. (क्र. 51) श्री शिवरतन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में नवीन गठित जिलों को मिलाकर वर्तमान में कितने जिले हैं तथा नवीन गठित जिलों किस-किस दिनांक को अस्तित्व में आये तथा क्या वर्तमान में सभी जिलों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालयों की स्थापना हो चुकी है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रदेश में नवीन गठित जिलों को मिलाकर वर्तमान में 33 जिले हैं । नवीन गठित जिले अस्तित्व में आये तथा सभी जिलों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालयों के स्थापना संबंधित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल [स्कूल शिक्षा]

3. (क्र. 75) श्री शैलेश पांडे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या कितनी हैं ? (ख) उसमें कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं ? (ग) अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए कितने शिक्षक शिक्षिकाओं की व्यवस्था है ? (घ) शिक्षकों के उन्नयन के लिए क्या कभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या 279 हैं। (ख) इन विद्यालयों में 243028 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। (ग) अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 10121 शिक्षक-शिक्षिकाओं की व्यवस्था है। (घ) जी हां।

बिलासपुर स्थित पंडित मुन्नू लाल शुक्ला स्कूल भवन का जीर्णोद्धार
[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 76) श्री शैलेश पांडे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर स्थित पंडित मुन्नू लाल शुक्ला स्कूल खबरगंज के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा क्या कोई राशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्ति के संबंध में
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 144) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अभिभावकों की कितनी वार्षिक आय पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है एवं कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है? वर्गवार जानकारी दें? **(ख)** क्या केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि हां तो वार्षिक आय की सीमा वर्गवार बतावें? क्या राज्य सरकार के द्वारा अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई गई आय पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा भी दी जा रही है ? यदि हां तो कितनी आय पर कितनी राशि किस दर से दी जा रही है ? यदि नहीं तो वर्तमान में कितनी आय पर छात्रवृत्ति दी जा रही है, जानकारी बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** हाँ। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केन्द्रीय योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। अभिभावकों की रूपये 2.50 लाख तक की वार्षिक आय पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि का वर्गवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** हाँ। एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. वर्ग हेतु वार्षिक आय की सीमा रूपये 2.50 लाख है। नहीं। राज्य सरकार द्वारा आय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। वर्तमान में रूपये 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा तक ही छात्रवृत्ति दी जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]

6. (क्र. 249) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में व्याख्याता /शिक्षक/सहायक शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं, जिलावार पृथक-पृथक जानकारी दें? **(ख)** कब तक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस" \]](#)

मुख्यमंत्री आबादी पट्टा देने के नियम तथा वितरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

7. (क्र. 346) श्री शिवरतन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा प्रदान करने के शासन द्वारा क्या नियम /निर्देश प्रदान किये गये हैं ? पट्टा हेतु क्या क्या

दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है ? वर्तमान में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा के कितने आवेदन लंबित हैं? लंबित होने के कारण क्या है तथा कब तक पट्टा प्रदान कर दिया जावेगा? **(ख)** प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना में दिसंबर, 2020 से जनवरी, 2023 तक कितने परिवारों को आबादी पट्टा प्रदान किया गया है, कितना पट्टा वितरण करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के धारा- 243, 244, 246 एवं इसके तहत बने नियम तथा राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ3-29/सात-1/2013 नवा रायपुर, दिनांक 04.09.2014, 01.03.2016, 25.06.2016, 27.12.2018 एवं दिनांक 08.01.2019 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आबादी भूमि पर काबिज भूखण्ड धारकों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पट्टा हेतु कब्जा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा के लंबित आवेदन एवं वितरण हेतु लंबित होने के कारण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** दिसम्बर 2020 से जनवरी 2023 तक नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। आबादी भूमि पर कब्जा संबंधी दस्तावेजों के आधार पर पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है। लक्ष्य बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

महतारी दुलार योजनान्तर्गत प्रदत्त लाभ

[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 432) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में महतारी दुलार योजना कब से प्रारंभ हुयी तथा इनकी शिक्षा हेतु प्रति बच्चा कितनी रूपये प्रतिमाह/वर्ष छात्रवृत्ति एवं निजी स्कूलों की फीस प्रदान की जाती है एवं इसके अतिरिक्त अन्य क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में इस योजना के लिये कितना बजट प्रावधान था एवं अन्य किन-किन मदों की, कितनी-कितनी राशि उपयोग की गयी है? **(ग)** दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में कितने छात्रों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया? तथा कितने निजी स्कूलों की, कितनी राशि भुगतान कर दी गयी है और कितनी शेष है व शेष के कारण क्या है? वर्षवार अलग-अलग बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	मद	आबंटित बजट(राशि रूपये में)	व्यय (राशि रूपये में)
2021-22	"मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण" अंतर्गत सहायक अनुदान मद	8,45,00,000/-	4,00,00,000/-
2022-23		13,42,74,000/-	13,42,74,000/-

(ग) दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 5747 तथा सत्र 2022-23 में 5578 छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया गया है। दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में निजी स्कूलों की फीस का वितरण नहीं किया गया है। वितरण प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर अर्धरोपित रोजगार एवं युवा विकास उपकर [वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

9. (क्र. 433) श्री अजय चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर अधिरोपित रोजगार एवं युवा विकास उपकर के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त हुयी? प्राप्त राशि में से कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि शेष है, एवं यह उपकर कब समाप्त होगा? **(ख)** क्या उक्त उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उसके उद्देश्यों के अनुरूप हुआ है ? यदि नहीं तो किन-किन कार्यों में कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अंतर्गत अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास उपकर नहीं किया गया है। (ख) निरंक

प्रदेश में जमीन पंजीयन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री एवं रिकार्ड रखने वाली ठेका एजेंसी को भुगतान
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

10. (क्र. 472) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में जमीन पंजीयन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री एवं रिकार्ड रखने के लिए, किस दर से, किस कम्पनी को, कब तक के लिए ठेका दिया गया है ? (ख)-पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 10/02/2023 तक उपरोक्त एजेंसी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रदेश में जमीन कार्यालय में आनलाइन रजिस्ट्री एवं रिकार्ड रखने के लिए सेवा प्रदाता को 43.50 प्रतिपृष्ठ + जी.एस.टी. से, आई.टी. सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड जीवन विहार कॉलोनी तेलहबांधा रायपुर (छ0ग0) को 05 वर्ष के लिए ठेका दिया गया है। (ख) पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 10.02.2023 तक उपरोक्त को कुल रू. 1159353393.00 राशि का भुगतान किया गया है। जिसका वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई राशि	रिमार्क
1	2019-20	128549761	-
2	2020-21	392158296	कोविड-19 माहमारी के कारण अप्रैल-2020 में कार्यालय बंद होने के कारण माह अप्रैल-2020 का भुगतान नहीं किया गया।
3	2021-22	331075078	-
4	2022-23	307570258	दिनांक 10.02.2023 तक की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह जनवरी तक भुगतान की गई।
योग -		1159353393	

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटवारों की सेवा भूमि को बेचने की प्राप्त अनुमति
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

11. (क्र. 473) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर चाम्पा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस गांव में, किन-किन कोटवारों के नाम पर कितनी सेवा भूमि और कितनी भूमि स्वामी हक की भूमि, किस-किस खसरा नं., में किसके नाम से दर्ज हुई ? (ख) वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से दिनांक 10/02/2023 तक किन-किन कोटवारों की भूमि स्वामी सेवा भूमि को बेचने की अनुमति प्रदान की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के तहसील अकलतरा एवं तहसील बलौदा अंतर्गत 151 ग्रामों में 105 कोटवारों को 352.566 हे. सेवा भूमि दी गई है। जिसमें 70 कोटवारों को 261.555 हे. भूमिस्वामी हक की भूमि दी गई है। जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से दिनांक 10.02.2023 तक कोटवारों की भूमि स्वामी सेवा भूमि को बेचने हेतु किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है।

विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ में स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (क्र. 477) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक 31.01.2023 तक विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित पोस्ट मेट्रिक योजना में क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, कार्य का नाम, लागत राशि, कार्य पूर्ण-अपूर्ण सहित वर्षवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत कर्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। पोस्ट मैट्रिक योजनान्तर्गत कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जांजगीर-चांपा जिले में लंबित डायवर्सन प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

13. (क्र. 479) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जांजगीर-चांपा जिले में औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय डायवर्सन के लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	औद्योगिक	व्यवसायिक	आवासीय
1	2	3	4	5
1	जांजगीर	1	10	50
2	अकलतरा	0	0	0
3	बलौदा	0	1	2
4	नवागढ़	0	1	12
5	पामगढ़	2	1	5
6	चांपा	0	0	8
7	शिवरीनारायण	1	2	13
8	बम्हनीडिह	0	2	3
9	सारागांव	0	0	0
	कुल योग	4	17	93

राजस्व विभाग द्वारा धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कब्जाधारी व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टा वितरण योजना के अंतर्गत पट्टा वितरण से संबंधित

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

14. (क्र. 496) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजस्व विभाग द्वारा धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 अप्रैल 2019 से 30 जनवरी 2023 तक भूमिहीन एवं कब्जाधारी व्यक्तियों को कितनी संख्या में पट्टा वितरण किया गया वर्षवार जानकारी बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : राजस्व विभाग द्वारा धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 अप्रैल 2019 से 30 जनवरी 2023 तक भूमिहीन एवं कब्जाधारी व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टा वितरित नहीं की गई है।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किसानों की फसल क्षतिपूर्ति राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

15. (क्र. 497) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किसानों की फसल क्षतिपूर्ति हेतु धान, दलहन तिलहन फसल हेतु वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कुल कितने किसानों के प्रकरण तैयार किये गये थे? उक्त अवधि में कितने किसानों को कितनी राशि जारी कर दी गई, कितनी राशि बकाया है एवं शेष राशि कब तक जारी कर दी जावेगी, जिलेवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत फसल क्षतिपूर्ति के कुल 90524 किसानों के प्रकरण तैयार किये गये थे। उक्त किसानों को रुपये 43,35,21,253.00 प्रदान किये गये हैं, जिलेवार विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

प्रदेश में उद्योगों पर बकाया डायवर्सन टैक्स

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

16. (क्र. 507) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 13 फरवरी, 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने मध्यम एवं वृहद उद्योगों पर कितना डायवर्सन टैक्स बकाया है ? **(ख)** उपरोक्त बकाया टैक्स को वसूलने के लिए संबंधित उद्योग मालिकों को मांग पत्र जारी करने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** दिनांक 13 फरवरी, 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों पर डायवर्सन टैक्स बकाया की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** संबंधित उद्योग मालिकों के संबंध में कार्यवाही की जानकारी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम-4 में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

रायपुर तहसील में राजस्व के दर्ज प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

17. (क्र. 508) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायपुर जिले के रायपुर तहसील में वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक नामांतरण, फौती उठाने खाता दुरुस्तीकरण, प्रमाणीकरण, सीमांकन बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने हेतु कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं कितने कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : रायपुर तहसील अंतर्गत वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक दर्ज एवं निराकरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

प्रकरणों का विवरण दर्ज निराकरण	दर्ज	निराकरण
नामांतरण, फौती उठाने, खाता दुरुस्तीकरण, प्रमाणीकरण के प्रकरण	3592	2552
सीमांकन प्रकरण	1702	896
बंदोबस्त त्रुटि सुधार	निरंक	निरंक
कुल प्रकरण	5294	3448

मुंगेली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

18. (क्र. 523) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत कुल कितने हितग्राही पंजीकृत हैं एवं उक्त योजना अंतर्गत कार्य करने वाले परिवारों को कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है, कितनी राशि प्रदान की गई एवं कितनी शेष है, ग्रामवार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत कुल 9547 हितग्राही पंजीकृत हैं । उक्त योजना अंतर्गत केवल पंजीकृत पात्र हितग्राही परिवारों को प्रति वर्ष राशि रुपये 7000/- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पात्र हितग्राही परिवारों को अब तक रुपये 5 करोड़ 26 लाख 52 हजार प्रदान की गई है, तथा रुपये 2 करोड़ 66 लाख 41 हजार वितरण किया जाना शेष है । ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

राजस्व परिपत्र 6-4 अंतर्गत मुआवजा के संबंध

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

19. (क्र. 524) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राजस्व परिपत्र 6-4 अंतर्गत किन-किन प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा का प्रावधान है वर्ष 2021 से दिनांक 10.02.2023 तक जिला मुंगेली में कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, कितने का निराकरण किया गया, कितना शेष है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया, जिलेवार बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत अतिवृष्टि से फसल क्षति, मकान क्षति, पशु हानि होने तथा आकाशीय बिजली (गाज), पानी में डूबने, आग से जलने, लू लगने तथा मधुमक्खी, सर्प, बिच्छू के काटने से व्यक्ति की मृत्यु होने आदि प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा का प्रावधान है। प्रश्नाधीन अवधि में जिला मुंगेली में कुल 3124 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं जिसमें से 3122 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं 02 शेष है जो कि प्रक्रियाधीन है तथा राशि 9,25,05,377.00 रुपये (अक्षरी नौ करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) राशि का भुगतान किया गया है।

जिला -दुर्ग में प्रवेशित छात्र-छात्राएं एवं पदस्थ शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

20. (क्र. 545) श्री अरुण वोरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-दुर्ग के कितने स्कूलों में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? (ख) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में जिला-दुर्ग के स्कूलों में कुल कितने शिक्षकों की कमी थी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला दुर्ग में वर्ष 2020-21 में 1737 स्कूलों में 361232 छात्रों तथा वर्ष 2021-22 में 1643 स्कूलों में 355838 छात्रों ने प्रवेश लिया। (ख) दुर्ग जिले में वर्ष 2020-21 में 542, वर्ष 2021-22 में 667 शिक्षकों की कमी थी।

स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय की सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

21. (क्र. 546) श्री अरुण वोरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन की वर्ष 2022 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कितने प्रतिशत स्कूलों में पेयजल, बिजली, शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : एनुअल स्टेड्स ऑफ एजुकेशन की वर्ष 2022 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 7.3 प्रतिशत शालाओं में पेयजल, 7.9 प्रतिशत शालाओं में बिजली तथा 6.1 प्रतिशत शालाओं में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में शेयरधारी किसान
[सहकारिता]

22. (क्र. 567) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) कबीरधाम जिला के पंडरिया ब्लॉक में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में कितने शेयरधारी किसान हैं? (ख) उक्त शक्कर कारखाना में किसानों को आखिरी शेयर कब प्रदान किया गया था? (ग) उक्त शक्कर कारखाना से किसानों को नये शेयर कब से जारी करने की योजना है अथवा नया शेयर जारी करने की क्या कोई योजना है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कबीरधाम जिला के पंडरिया ब्लॉक में स्थित लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया में 11,882 शेयरधारक किसान है । (ख) शक्कर कारखाना पण्डरिया में किसानों को दिनांक 29.03.2017 को अंतिम बार शेयर प्रदान किया गया था । (ग) शक्कर कारखाना पण्डरिया में किसानों को नया शेयर जारी करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी के वेतन भत्ते और नियमितकरण
[स्कूल शिक्षा]

23. (क्र. 593) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में कुल कितने स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनको कितना कितना मासिक वेतन (महगाई भत्ता और कर्मचारी भविष्य निधि) सहित प्रदान किया जाता है ? (ख) उक्त सफाई कर्मचारी नियमित/अंशकालीन/सर्विदा/दैनिक वेतनभोगी किस श्रेणी पर कार्यरत हैं ? क्या स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी नियमितकरण किया जावेगा ? (ग) क्या सफाई कर्मचारियों के संबंध में जन घोषणा पत्र में कोई घोषणा थी ? यदि हां तो क्या वह पूर्ण कर दी गयी है ? यदि नहीं तो वह कब तक पूर्ण की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में 43670 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत है तथा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मानदेय अनुसार 02 घंटे प्रति दिवस के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। (ख) स्कूल सफाई कर्मचारी अंशकालीन श्रेणी पर कार्यरत है। वर्तमान में नियमितकरण की कोई योजना नहीं है। (ग) जी हां। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरपाली जिला कोरबा के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायत पर की गई कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]

24. (क्र. 602) श्री ननकी राम कंवर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरपाली, जिला कोरबा विद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध कलेक्टर जनदर्शन कोरबा में दिनांक 18/10/2022 को एवं जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 29/09/2022 को तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को दिसंबर, 2022 को कोई शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ तो किनके द्वारा क्या शिकायत दी गयी थी एवं उक्त शिकायत पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह भी बात सही है कि उक्त प्राचार्य के विरुद्ध विकासखंड शिक्षाधिकारी के द्वारा जाँच भी की गयी ? यदि हाँ तो जाँच में क्या पाया गया और जाँच के बाद क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी । (ग) क्या

प्राप्त शिकायत की जाँच विकासखण्ड शिक्षाधिकारी द्वारा की गई ? यदि हाँ तो जाँच में क्या पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। श्री रविशंकर राठिया जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-13 बरपाली, सरपंच/उप सरपंच एवं अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति व पालकगण ग्राम बरपाली के द्वारा प्राचार्य श्री राजेश्वर कश्यप के असामान्य व्यवहार तथा दो-दो बार त्रैमासिक परीक्षा लिये जाने की शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। जांच प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जांच प्रक्रियाधीन है।

रायगढ़ जिला अंतर्गत सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर की गई पदोन्नति [स्कूल शिक्षा]

25. (क्र. 608) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022-23 में रायगढ़ जिले में कितने सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधान पाठक बनाया गया है ? **(ख)** पदोन्नति उपरांत कितने प्रधान पाठकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया ? कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले प्रधान पाठकों की सूची कारण सहित देवें ? **(ग)** क्या पदोन्नति प्रक्रिया में शासन द्वारा तय निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2022-23 में रायगढ़ जिले में 1071 सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बनाया गया। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार। **(ग)** जी हाँ।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

रायगढ़ जिलान्तर्गत स्कूलों हेतु क्रय की गयी खेल सामग्री [स्कूल शिक्षा]

26. (क्र. 609) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-रायगढ़ में शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं के खेलकूद हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार वर्ष 2021 से दिनांक 31/01/2023 तक किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? सामग्री का क्रय किस स्तर अथवा किसके द्वारा की गई ? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में जिला के किन-किन स्कूलों को क्या-क्या खेल सामग्री प्रदाय की गई ? वर्षवार, स्कूलवार प्रदायित सामग्री विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला रायगढ़ में खेलकूद के लिए शिक्षा विभाग अंतर्गत "खेलगढ़िया योजना" संचालित है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानान्तरण एवं अन्य हित लाभ [स्कूल शिक्षा]

27. (क्र. 647) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/1-3/2015/1/ एक दिनांक 10/03/2015 एवं 05 मार्च 2019 द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक अमलों का हस्तांतरण किया गया था, जिसके शर्त 9 के अनुसार समस्त 85 विकास खंडों के शैक्षणिक अमलों को टी संवर्ग घोषित कर पूर्व विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानान्तरण एवं अन्य हित लाभ देने के निर्देश दिए गये थे ? **(ख)** यदि हाँ तो लोक संचालनालय के पत्र क्रमांक /स्था. 1,2/टी संवर्ग/2019 दिनांक 20/09/2019 को पृथक से निर्देश जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय के पदों यथा संचालनालय, संयुक्त संचालक शिक्षा, जिला जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों

में टी-संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना/स्थानान्तरण में निर्देश जारी करने के पूर्व सा.प्र.वि. से अनुमति ली गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

कोरबा जिले के सरमंगला रोड के खसरा क्रमांक 824/1 का आबंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

28. (क्र. 652) श्री ननकी राम कंवर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरबा में सरमंगला रोड की जमीन खसरा नंबर 824/1 रकबा 1.54 एकड़ सरकारी जमीन को किस-किस नाम से आबंटित किया गया है ? (ख) उक्त रकबे की जमीन में कितना रकबा खाली है और कितने पर बेजा कब्जा किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन भूमि का आबंटन नहीं किया गया है। उक्त खसरा नंबर में से 240 वर्गमीटर अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। (ख) उक्त खसरा नंबर की भूमि में वर्तमान में रिक्त भूमि नहीं है, रकबा 0.045 है। पर नाली एवं रोड निर्मित है। शेष रकबा पर पुरानी बसाहट है। उक्त खसरा आबादी मद में दर्ज है।

मुंगेली, तहसील लोरमी अंतर्गत संचालित कृषि सहकारी समिति

[सहकारिता]

29. (क्र. 711) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला मुंगेली के तहसील लोरमी अंतर्गत कुल कितनी कृषि सहकारी साख समिति संचालित हैं एवं उनकी कुल कितने- कितने एकड़ जमीन है, जिसमें से कितनी सहकारी समिति के पास है एवं कितने कृषकों को कृषि हेतु दी गयी है? विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के कौन-कौन से गांव में, कितने-कितने कृषकों को पट्टा दिया गया है, कितने गांव से पट्टा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है और उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है, विस्तृत विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला मुंगेली के तहसील लोरमी अंतर्गत 16 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं, इस समितियों को ग्राम पंचायत द्वारा गोदाम निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करायी गयी है। इस समितियों द्वारा कृषि हेतु कृषकों को जमीन नहीं दी गयी है। (ख) कंडिका "क" की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पट्टा दिए जाने हेतु कोई आवेदन नहीं आए है, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल खोलने के संदर्भ में जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 714) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020- 21, 2021-22 में लोरमी विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पर कौन-कौन से स्कूल खोले गए हैं, विवरण देवें? (ख) क्या कंडिका "क" अंतर्गत ग्राम हरदीबांध, सरईपतेरा एवं सारिसताल में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने हेतु प्रस्तावित है, यदि हां तो कब तक खोला जाएगा विवरण देवें? नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) निरंक। (ख) कंडिका "क" अंतर्गत ग्राम हरदीबांध एवं सरईपतेरा में पूर्व से ही पूर्व माध्यमिक शाला संचालित है। जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजस्व विभाग द्वारा समाजों एवं संस्थाओं को आबंटित भूमि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

31. (क्र. 716) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** वर्ष 2021-22 से दिनांक 16 फरवरी, 2023 तक बालोद जिले में राजस्व विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों, समाजों एवं संस्थाओं को कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई है? **(ख)** कण्डिका 'क' की अवधि में भूमि आबंटन हेतु बालोद जिलांतर्गत विभाग को किन-किन के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

शासकीय भूमि पर काबिज कब्जाधारियों को वितरित पट्टा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

32. (क्र. 720) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:-** दिनांक 16 फरवरी, 2023 तक बालोद जिले में शासकीय भूमि पर काबिज कितने कब्जाधारियों को पट्टा वितरित किया गया है एवं कितने कब्जाधारियों को पट्टा वितरित किया जाना शेष है? इन्हें कब तक पट्टा वितरित कर दिया जायेगा? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : दिनांक 16 फरवरी, 2023 तक बालोद जिले में शासकीय भूमि पर काबिज कब्जाधारियों को पट्टा वितरण की जानकारी विधानसभा वार निम्नानुसार है **:-**

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वितरित किये गये पट्टों की संख्या	वितरण हेतु शेष
01	संजारी बालोद	1106	0
02	गुण्डरदेही	53	0
03	डौण्डीलोहारा	433	0

सड़क पुल पुलिया एवं भवन निर्माण तथा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

33. (क्र. 723) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में वर्ष 2021 -2022 से 2022 -23 में 31/01/2023 के मध्य सड़क ,पुल, पुलिया एवं भवन निर्माण तथा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कितने गांव के ग्रामीणों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? **(ख)** क्या कंडिका "क" अनुसार अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा, किसानों को प्रदाय कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया ब्लॉक में वर्ष 2020-2021 से 2022-23 में 31/01/2023 तक सड़क, पुल, पुलिया निर्माण हेतु कुल 06 ग्रामों के कुल 71 भू-धारकों/कृषकों की कुल 3.447 हे. निजी भूमि का अधिग्रहण (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत) किया गया है। विस्तृत जानकारी प्रपत्र 'अ' में संलग्न है। उक्त अवधि में भवन निर्माण तथा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में वर्ष 2020-21 से 2022-23 में 31.01.2023 के मध्य सड़क, पुल, पुलिया निर्माण के लिए अंबागढ़ चौकी के 20.31 हे0 तथा ग्राम बरारमुंडी के 0.403 हे0 निजी लगानी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। भवन निर्माण तथा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कोई निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। कृषकों की जानकारी प्रपत्र 'ब' में संलग्न है। **(ख)** छुरिया अंतर्गत, कुल 71 में से 39 भू-धारकों/कृषकों को मुआवजा प्रदाय कर दिया गया है। शेष 32 भू-धारकों को मुआवजा भुगतान आबंटन प्राप्त करने एवं अवार्ड पारित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने तथा आपसी विवाद के कारण, पंजीयन हेतु सदस्य अनुपस्थित होने से प्रकरण लंबित है। विस्तृत जानकारी प्रपत्र 'स' अनुसार है। लंबित कार्यवाही पूर्ण

होने पर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अंबागढ़ चौकी अंतर्गत अधिग्रहित भूमि हेतु मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है। पारित अवार्ड अनुसार, आवेदक विभाग से मुआवजा राशि प्राप्त होने पर शीघ्र वितरण की कार्यवाही की जावेगी। ग्राम बरारमुंडी के भूमि अधिग्रहण में अवार्ड पारित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शालाओं में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति [स्कूल शिक्षा]

34. (क्र. 724) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में संचालित किन-किन शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में पेयजल, बाउंड्री वाल, शौचालय, बिजली विहीन एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है ? विकासखंडवार, शालावार जानकारी देवे ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार उक्त मूलभूत सुविधाएं-विहीन शालाओं में कब तक सुविधाएं प्रदान की जावेंगी ? कृपया बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिनांक 31 जनवरी 2023 की स्थिति में पेयजल, शौचालय एवं बिजली की व्यवस्था समस्त शासकीय शालाओं में उपलब्ध है। बाउण्ड्रीवाल, भवन, रैम्प एवं खेल मैदान विहीन शासकीय शालाओं की विकासखण्डवार एवं शालावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उन्नयित स्कूलों की जानकारी [स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 731) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में वर्ष 2021 से जनवरी, 2023 तक कितने स्कूलों का माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है ? जिलावार/वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के उन्नयित स्कूलों में से कितने स्कूल हेतु स्वयं के भवन उपलब्ध हैं, कितने जर्जर स्थिति में हैं ? जिलावार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश 'क' के सभी उन्नयित स्कूल प्रारंभ हो गये हैं ? यदि हां तो स्कूलों हेतु कितनी-कितनी संख्या में पद स्वीकृत एवं रिक्त है ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? जिलावार/स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) विद्यालय स्वयं के भवन या संलग्न भवन में संचालित है। जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी प्रपत्र "ब" अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती अंतर्गत शालाओं हेतु फर्नीचर एवं सामग्री क्रय [स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 732) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2021 से फरवरी, 2023 तक जिला जांजगीर-चाम्पा एवं सक्ती अंतर्गत संचालित स्कूलों हेतु फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु कुल कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' हेतु किस-किस संस्था/फर्म/सप्लायर द्वारा किस-किस दर पर एवं कितनी-कितनी मात्रा में फर्नीचर/प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री की सप्लाई की गई ? वर्षवार सप्लाईकर्ता फर्म के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) कितने स्कूलों में गुणवत्ताहीन फर्नीचर/प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री सप्लाई की शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) वर्तमान में कितने स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है ? कब तक कर दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

स.क्र.	वर्ष	जिला	फर्नीचर सामग्री राशि रू.	प्रयोगशाला सामग्री राशि रू.	अन्य सामग्री राशि रू.
1	2020-21 (जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक)	जांजगीर-चांपा	13251816	-	34551876
		सक्ती	5200000	-	22901670
2	2021-22	जांजगीर-चांपा	45283858	5063632	25702287
		सक्ती	20625498	5218665	19917900
3	2022-23 (1 अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक)	जांजगीर-चांपा	19954918	14889676	25576057
		सक्ती	18190701	5188490	998360

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) शालाओं में गुणवत्ताहीन फर्नीचर/प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती के प्राथमिक शालाओं में टाटपट्टी की बैठक व्यवस्था है तथा सभी पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

छात्र हितग्राही योजनाओं एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की जानकारी विषयक [स्कूल शिक्षा]

37. (क्र. 734) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कबीरधाम जिला के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में फरवरी, 2023 तक कौन-कौन सी छात्र हितग्राही योजनाएं चलाई गई है ? (ख) कंडिका "क" के अंतर्गत कबीरधाम जिले में कितने छात्र/छात्राओं को किस-किस योजना का, कौन-कौन सा लाभ दिया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

पंडारिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत छात्रावासों का संचालन [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 735) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जाति व अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए वर्ष 2022-23 में किन-किन स्थानों में कितनी-कितनी छात्र क्षमता के छात्रावास संचालित हैं ? उनमें कितने-कितने छात्र-छात्रा लाभान्वित हो रहे हैं? विकासखण्डवार, छात्रावासवार जानकारी बतायें? (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा प्रश्नांश की अवधि में किया गया? विकासखण्डवार, छात्रावासवार जानकारी बतायें? (ग) विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत आदिमजाति व अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कितने छात्रावास भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसका संचालन नहीं कराया जा रहा है ? संचालन नहीं किये जाने के कारण सहित विकासखण्डवार प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार

है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र पंडरिया के अंतर्गत आदिमजाति व अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कुल 22 छात्रावास संचालित है। 19 छात्रावास भवनों का निर्माण हो चुका है, जिसमें छात्रावास का संचालन कराया जा रहा है। 03 छात्रावास भवन विहीन है। विकासखंडवार, छात्रावासवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

जिला शिक्षा अधिकारियों के संबन्ध में जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

39. (क्र. 740) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने जिला शिक्षाधिकारी कार्यरत हैं ? कौन-कौन से जिलों में प्रभारी जिला शिक्षाधिकारी कार्यरत हैं ? जिलावार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार कार्यरत कितने जिला शिक्षा अधिकारियों /प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या -क्या कार्यवाही की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार कार्यरत 07 जिला शिक्षा अधिकारी/प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) का नियमितकरण

[स्कूल शिक्षा]

40. (क्र. 745) श्री धरम लाल कौशिक, श्री डमरूधर पुजारी, श्री विद्यारतन भसीन, श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में दिसम्बर, 2022 की स्थिति में विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) कब से एवं कितनी संख्या में कार्यरत है ? विद्या मितान को कितना वेतन प्रतिमाह दिया जाता है ? (ख) क्या विद्या मितान का पदनाम बदल कर अतिथि शिक्षक किया गया है यदि हां तो कब ? क्या पूर्व से दिये जा रहे वेतन में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां तो कब एवं कितनी ? क्या प्रदेश के कुछ जिलों में कार्यरत विद्या मितानों का पदनाम पूर्ववत ही है, यदि हां तो क्यों ? (ग) क्या विद्या मितान के हित संरक्षण हेतु कोई आदेश अथवा परिपत्र विभाग की ओर जारी किया गया है ? यदि हां तो कब एवं क्या प्रावधान किया गया है ? (घ) क्या विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) को नियमित करने हेतु प्रस्ताव लंबित है ? यदि हां तो कब तक नियमित कर दिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन तिथि में कुल 1641 अतिथि शिक्षक 24 जून 2019 से कार्यरत है। अतिथि शिक्षकों को एक मुश्त 18000 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। (ख) जी नहीं। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश की प्रति संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। जी नहीं। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हां। शासन का परिपत्र संलग्न प्रपत्र ब एवं प्रपत्र स अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाओं के सम्बंध में

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

41. (क्र. 746) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है ? (ख) संचालित योजनाओं में किस-किस प्रकार के स्वरोजगार हेतु सहायता

प्रदान की जाती है, वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई ? जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विभाग अंतर्गत छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अ.जा. हेतु) एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना (अ.ज.जा. हेतु) संचालित है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम नई दिल्ली की टेक्टर ट्राली, गुडस कैरियर, आटो पैसेन्जर, स्मॉल बिजनेस योजना एवं महिला संशक्तिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। (ख) संचालित योजनाओं में सेवा, उद्योग, परिवहन, कृषि आदि क्षेत्रों के अंतर्गत टेक्टर ट्राली, गुडस कैरियर, आटो पैसेन्जर, स्मॉल बिजनेस योजना, महिला संशक्तिकरण योजना, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, मनहारी दुकान, स्टेशनरी, सायकल रिपेयरिंग, फोटो कापियर्स, कम्प्यूटर सेन्टर, सब्जी व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुग्ध डेयरी, फास्ट-फुड, होटल व्यवसाय, फेब्रीकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, दवाई दुकान, जनरल स्टोर्स, कोचिंग सेन्टर, सिलाई सेन्टर, रेडीमेड कपड़ा दुकान, बुटिक सेन्टर, आदि व्यवसाय हेतु स्वरोजगार सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 से दिसम्बर 2022 तक विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को स्वीकृत की गई राशि का जिलेवार विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के लाभान्वित

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

42. (क्र. 749) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना संचालित है? यदि हां तो कब से? (ख) इस योजना के कितने घटक हैं? उनमें कितने लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा था? उक्त घटकों के लिए वर्ष 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? (ग) उक्त योजना में विगत तीन वर्षों में कितनी भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई है? क्या शासन ने निष्ठा घटक को बंद करने का निर्णय लिया है? यदि हां तो कब से और क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। वर्ष 2010 से संचालित है। (ख) इस योजना के 04 घटक कमशः 'आस्था', 'निष्ठा', 'प्रयास' एवं सहयोग है। विगत 03 वर्षों के लाभार्थियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए बजट की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) वर्गवार भौतिक व वित्तीय उपलब्धि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है। जी हाँ। विभाग के आदेश दिनांक 17 नवंबर 2020 के द्वारा, क्योंकि निष्ठा घटक को अशासकीय शिक्षण संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा था, किन्तु बाद के वर्षों में पाया गया कि ग्रामीण तथा दूरस्थ आदिवासी अंचलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तथा विभागीय छात्रवास भी संचालित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन" \]](#)

स्मार्ट क्लासेस हेतु उपकरण क्रय एवं प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

43. (क्र. 753) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बिलासपुर में जनवरी, 2021 से दिनांक 31.1.2023 तक कुल कितनी स्मार्ट क्लासेस बनाई गई है, इसमें कितनी राशि, किन-किन उपकरणों के लिए, किन-किन संस्थाओं को भुगतान की गई तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है व क्यों? इनमें कितनी स्मार्ट क्लासेस चालू है और दिनांक 31.1.2023 की स्थिति में कितनी बंद हैं व क्यों? जिलेवार, वर्षवार, फर्मवार, राशिवार जानकारी देवें उक्तानुसार उपलब्ध राशि में कितनी राशि डीएमएफ फंड से उपलब्ध कराई गई है ? (ख) जिन फर्मों के द्वारा उक्तानुसार स्मार्ट क्लासेस तैयार की गई उनके चयन का आधार क्या है? कहाँ-कहाँ स्मार्ट क्लासेस से संबंधित अनियमितता भ्रष्टाचार व अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला बिलासपुर में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 34 स्मार्ट क्लासेस बनाई गई है। शेषांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) छ.ग. भण्डार एवं क्रय नियम के अंतर्गत अल्पकालिन निविदा के द्वारा फर्मों का चयन किया गया। स्मार्ट क्लासेससंबंधित अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति [स्कूल शिक्षा]

44. (क्र. 760) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कितने-कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं ? विवरण दें ? (ख) कंडिका "क" के तहत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नत किये जाने के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं ? क्या शासन निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? नहीं, तो क्यों ? (ग) कंडिका "ख" के तहत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति कब तक कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रावास/आश्रमों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु मरम्मत/अनुरक्षण/जीर्णोद्धार मद **अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि**

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

45. (क्र. 761) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.1.2023 तक आदिवासी विकास विभाग द्वारा गरियाबंद जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु मरम्मत/अनुरक्षण/जीर्णोद्धार मद अंतर्गत कितनी-कितनी राशि का आबंटन उपलब्ध कराया गया है ? उपलब्ध आबंटन के विरुद्ध कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी राशि शेष है ? (ख) कंडिका "क" के तहत व्यय राशि के विरुद्ध कितने छात्रावास/आश्रमों में कितनी राशि से मरम्मत/लघुनिर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य स्वीकृत किए गये हैं ? (ग) क्या कंडिका "क" के तहत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में शासन नियमानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) 03 छात्रावासों में रूपये 43.61 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये। (ग) जी हाँ

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में फर्नीचर /विज्ञान सामग्री का वितरण [स्कूल शिक्षा]

46. (क्र. 776) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में शिक्षा विभाग अंतर्गत फर्नीचर, विज्ञान सामग्री का क्रय/ वितरण किस प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है? विवरण दें। (ख) क्या इस प्रक्रिया में टेंडर का प्रयोग किया है? यदि हाँ तो वर्ष 2021-22 से दिनांक 31/01/2023 तक टेंडर किस फर्म एवं कंपनी को दिया गया ? विवरण दें। (ग) क्या टेंडर

प्रक्रिया व वितरण शासकीय नियमों के तहत हुआ है? क्या सामग्री वितरण संबंधी शिकायत हुई है? तो संबंधित फर्म/कंपनी पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) फर्नीचर एवं विज्ञान सामग्री छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए सीएसआईडीसी के ई-मानक पोर्टल के माध्यम से क्रय व आवश्यकतानुसार वितरण किया गया। (ख) जी, नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आश्रमों एवं छात्रावासों हेतु सामग्री का क्रय एवं वितरण [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

47. (क्र. 777) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों हेतु वर्ष 2022 से 31/01/2023 तक कौन-कौन सी सामग्री कितनी कितनी राशि की क्रय की गई है ? क्या सामग्रियों के क्रय हेतु भंडार नियमों का पालन किया गया था ? विकासखंड वार एवं वर्ष वार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांक "क" के तहत क्रय सामग्री की आपूर्ति कितने आश्रम अथवा छात्रावासों को की गई है ? विवरण दें। (ग) क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में कहीं अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार होने संबंधी शिकायत अथवा जानकारी विभाग के संज्ञान में आयी है? यदि हाँ तो कहां-कहां और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों हेतु वर्ष 2022 से 31.01.2023 तक क्रय की गई सामग्रियों का नाम एवं लागत राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। जी हाँ, भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। विकासखण्डवार सामग्री क्रय नहीं किया जाता है। (ख) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों में क्रय सामग्री की आपूर्ति की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जी नहीं। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

शिविर में निराकृत राजस्व प्रकरण [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

48. (क्र. 780) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिले में विगत वर्ष 2022-23 में दिनांक 31-01-2023 तक राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरण के निराकरण हेतु किन-किन स्थानों में शिविर लगाये गये है ? कितने आवेदन प्राप्त हुए कितने का निराकरण हुआ ? मस्तूरी विकासखंड की ग्रामवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार मस्तूरी विकासखंड के राजस्व न्यायालयों में विगत 1 साल में कितने राजस्व प्रकरण के आवेदन प्राप्त हुए, कितनों का निराकरण हुआ और कितने प्रकरण लंबित है ? ग्रामवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिले में विगत वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/01/2023 तक राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरण के निराकरण हेतु सभी तहसीलों में शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर जिले में शिविर में प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन
बिलासपुर	40390	39570	820

मस्तूरी विकासखंड की ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख)

कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
12131	11318	813

उक्त 813 आवेदन विवादित प्रकृति के होने के कारण से राजस्व न्यायालय में दर्ज किया गया है। जिसका नियमानुसार शीघ्रतापूर्ण निराकरण कर लिया जावेगा। लंबित 813 आवेदन ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन" \]](#)

जिला सक्ती एवं जिला जांजगीर चाम्पा के सेवा सहकारी समितियों में लिपिक, विक्रेता, भृत्य, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रबंधक की भर्ती के संबंध में
[सहकारिता]

49. (क्र. 785) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती के सेवा सहकारी समितियों में संचालक मण्डल भंग होने के पश्चात किन-किन समितियों में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा लिपिक, विक्रेता, भृत्य, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रबंधक की भर्ती की गई, समितिवार, पदवार बतायें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के उत्तर में प्राधिकृत अधिकारी को लिपिक, विक्रेता, भृत्य, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रबंधक भर्ती करने का अधिकार है, यदि हां तो किस नियम के तहत भर्ती की गई है और सहकारिता नियम में क्या है, बतायें ? **(ग)** क्या विभाग द्वारा उपरोक्त पदों की भर्ती हेतु पेपर प्रकाशन किया गया है और कब-कब विज्ञापन जारी किया गया है और कितने आवेदन प्राप्त हुआ है समितिवार बतायें ? **(घ)** क्या लिपिक, विक्रेता, भृत्य, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं शाखा प्रबंधक की भर्ती में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है, यदि हां तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** समितियों में धान खरीदी हेतु अस्थाई व्यवस्था अंतर्गत दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे गये थे। नियमित भर्ती नहीं होने से शेष जानकारी निरंक है। **(ख)** नियमित भर्ती नहीं की गयी है, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** नियमित भर्ती नहीं किए जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हां। प्राप्त शिकायतों में से सक्ती जिले से संबंधित एक शिकायत की जांच में नियमित भर्ती किया जाना नहीं पाया गया। शेष शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है।

नामांतरण, बंटवारा, दावा आपत्ति, के प्राप्त आवेदनो
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

50. (क्र. 788) डॉ. विनय जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिले अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा आपत्ति, के कुल कितने आवेदन वर्ष 2021-22 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक प्राप्त हुए? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? कितने लंबित है ? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश "क" के प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरण लंबित हैं? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं कोरिया जिले अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा दावा आपत्ति के कुल प्राप्त आवेदन, निराकृत आवेदन, लंबित आवेदन वर्षवारी एवं विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन	बंटवारा हेतु प्राप्त आवेदन	दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन
1	मनेन्द्रगढ़	2021-22	1229	337	3
		2022-23	981	249	1
2	खड़गवां	2021-22	403	236	0
		2022-23	124	67	0
3	भरतपुर	2021-22	646	331	0
		2022-	165	93	0

		23			
--	--	----	--	--	--

क्रं.	जिला	तहसील	वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवेदन की संख्या		वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक प्राप्त आवेदन की संख्या	
			नामांतरण	बंटवारा	नामांतरण	बंटवारा
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	1324	585	1770	234
		सोनहत	524	153	247	42
		पोंड़ी (बचरा)	-	-	372	100
योग			1848	738	2389	376

(ख) प्रश्नांश "क" मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं कोरिया जिले अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, दावा के प्राप्त आवेदन, निराकृत आवेदन एवं लंबित आवेदनों की संख्या की विकासखण्ड वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	मनेन्द्रगढ़	2021-22	1566	1332	234
		2022-23	1230	933	297
2	खड़गवां	2021-22	639	583	56
		2022-23	191	220	27
3	भरतपुर	2021-22	977	875	102
		2022-23	258	206	46

क्रं.	जिला	तहसील	वर्ष 2021-22 में निराकृत प्रकरणों (आवेदन) की संख्या		वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी, 2023 तक निराकृत प्रकरणों (आवेदन की संख्या)	
			नामांतरण	बंटवारा	नामांतरण	बंटवारा
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	1059	471	1094	123
		सोनहत	412	132	101	21
		पोंड़ी (बचरा)	-	-	254	55
योग			1471	603	1449	199

(ग) प्रश्नांश "क" के प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरण लंबित है कि विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	मनेन्द्रगढ़	2021-22	1566	1332	234
		2022-23	1230	933	297
2	खड़गवां	2021-22	639	583	56
		2022-23	191	220	27
3	भरतपुर	2021-22	977	875	102
		2022-	258	206	46

		23			
क्रं.	जिला	तहसील	वर्ष 2021-22 में लंबित प्रकरणों (आवेदन) की संख्या	वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी, 2023 तक लंबित प्रकरणों (आवेदन की संख्या)	
			नामांतरण	बंटवारा	नामांतरण
			बंटवारा		बंटवारा
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	264	54	676
		सोनहत	112	21	146
		पोंड़ी (बचरा)	-	-	118
					45
		योग	377	75	940
					177

तहसील -बैकुण्ठपुर अन्तर्गत उप तहसील-पटना की जानकारी सम्मिलित है।

जर्जर एवं भवन विहिन शालाएं एवं उनका मरम्मत कार्य [स्कूल शिक्षा]

51. (क्र. 789) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं कोरिया जिले अंतर्गत शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या कितनी है तथा अति जर्जर एवं भवन-विहिन शालाएं कितनी है? (ख) कंडिका "क" के अनुसार विगत 02 वर्षों में किन-किन जर्जर एवं भवन विहिन शालाओं की मरम्मत का कार्य या नवीन भवन की स्वीकृति हुई तथा कितनी स्वीकृति हेतु शेष है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं कोरिया जिले अंतर्गत शासकीय माध्यमिक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या, अतिजर्जर एवं भवन विहीन शालाएं निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिला	शाला का स्तर	संचालित शालाएं	अतिजर्जर शालाएं	भवन विहीन शालाएं
1	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर	माध्यमिक	234	0	5
		हाईस्कूल	55	0	4
		हायर सेकेण्डरी	45	0	1
2	कोरिया	माध्यमिक	178	0	3
		हाईस्कूल	16	0	1
		हायर सेकेण्डरी	29	0	1

(ख) कंडिका "क" के अनुसार विगत 02 वर्षों में कोई भी जर्जर एवं भवन विहीन शालाओं का मरम्मत का कार्य या नवीन भवन की स्वीकृति नहीं दी गई है तथा स्वीकृति हेतु शेष की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिला	मरम्मत हेतु शेष	नवीन भवन निर्माण हेतु शेष
1	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0	10
2	कोरिया	0	05

कोरोना महामारी से मृतकों को आर्थिक सहायता [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

52. (क्र. 792) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या 31 जनवरी, 2023 तक कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा/सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है,

यदि हां तो कितने परिवारों को ? मृतको की संख्या, सहायता राशि प्राप्त परिवार की संख्या व राशि की जिलावार जानकारी देवे? **(ख)** कंडिका "क" की सहायता राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा देवे ? **(ग)** कंडिका "क" की महामारी से मृतक सम्पूर्ण परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जी हां, प्रश्नाधीन अवधि में 23854 परिवारों को रुपये 11927.00 लाख सहायता राशि उपलब्ध कराया गया है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" की सहायता राशि में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का तथा 25 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा दी गई है। **(ग)** जी हां, आवेदन सही पाये जाने पर 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

रायपुर जिलान्तर्गत आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल [स्कूल शिक्षा]

53. (क्र. 793) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर जिले में कितने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं ? कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? क्या इनके पूर्व में इन स्थानों पर हिन्दी मीडियम की स्कूल संचालित थे? यदि हाँ तो आत्मानंद स्कूल खुलने से पहले इन हिन्दी स्कूलों की दर्ज संख्या कितनी-कितनी थी व वर्तमान में कितनी-कितनी है, स्कूलवार जानकारी देवे ? **(ख)** क्या आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम खुलने के बाद वहाँ पूर्व में संचालित हिन्दी मीडियम स्कूल बंद भी हुआ है? यदि हाँ तो कितने, कहाँ-कहाँ पर बतावे ? **(ग)** कंडिका "क" के स्कूलों में पूर्व से कितने शिक्षकीय स्टाफ कार्यरत थे क्या कार्यरत शिक्षकीय स्टाफ को हटाया गया है, यदि हाँ तो कितना स्कूलवार बतावे। **(घ)** कंडिका "क" के पूर्व में संचालित हिन्दी मीडियम के बच्चों के अध्यापन की क्या व्यवस्था की गई है? उन्हें अध्यापन के लिए शिक्षकीय स्टाफ कहाँ से और कितना उपलब्ध कराया गया है स्कूलवार बतावे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** रायपुर जिले में 21 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 5, 6 एवं 7** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 8** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 9, 10 एवं 11** अनुसार है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कॉलम 12, 13 एवं 14** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार विषयक

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

54. (क्र. 797) श्री विद्यारतन भसीन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है ? **(ख)** संचालित योजनाओं में किस-किस प्रकार के स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा जिला दुर्ग में वर्ष 2021 से दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** विभाग अंतर्गत छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अ.जा. हेतु) एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना (अ.ज.जा. हेतु) संचालित है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम नई दिल्ली की टेक्स्टर ट्राली, गुडस कैरियर, आटो पैसेन्जर, स्मॉल बिजनेस योजना एवं महिला सशक्तिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। **(ख)** संचालित योजनाओं में सेवा, उद्योग, परिवहन, कृषि आदि क्षेत्रों के अंतर्गत टेक्स्टर ट्राली, गुडस कैरियर, आटो पैसेन्जर, स्मॉल बिजनेस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, मनिहारी दुकान, स्टेशनरी, सायकल रिपेरिंग, फोटो कापियर्स, कम्प्यूटर सेन्टर, सब्जी व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुग्ध डेयरी, फास्ट-फुड, होटल व्यवसाय, फेब्रीकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, दवाई दुकान, जनरल स्टोर्स, कोचिंग सेन्टर, सिलाई

सेन्टर, रेडीमेड कपडा दुकान, बुटिक सेन्टर, आदि व्यवसाय हेतु स्वरोजगार सहायता प्रदान की जाती है। दुर्ग जिले में वर्ष 2021 से दिसंबर 2022 तक विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार राशि (ऋण) स्वीकृत की गयी है:- 1. अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत कुल 831 हितग्राहियों को राशि 2,67,47,000/- के ऋण की स्वीकृति एवं रू. 83,10,000/- के अनुदान राशि का वितरण किया गया है। 2. आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत कुल 126 हितग्राहियों को राशि रू. 2,58,000/- के ऋण की स्वीकृति एवं रू. 1,26,000/- के अनुदान राशि का वितरण किया गया है। 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजना अंतर्गत 02 हितग्राहियों को राशि रू. 9.71 लाख के ऋण स्वीकृत किए गये हैं। 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजना अंतर्गत 02 हितग्राहियों को राशि रू. 6.00 लाख के ऋण स्वीकृत किए गये हैं।

सीमांकन, बटांकण, अतिक्रमण, भू-अधिकार अभिलेख दुरुस्तीकरण एवं नामांतरण के लंबित प्रकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

55. (क्र. 800) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वर्ष 2021 - 22 से 31.01.2023 तक राजनांदगांव जिले के राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय से सीमांकन, बटांकण, अतिक्रमण, भू-अधिकार अभिलेख दुरुस्तीकरण एवं नामांतरण के प्रकरण आदेश जारी होने के बाद भी आर आई और पटवारी स्तर पर लंबित हैं? यदि हां तो लंबित का क्या कारण है? किन किन राजस्व निरीक्षक मंडल, पटवारी हल्का में कितने प्रकरण लंबित हैं? जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31/01/2023 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार/नायब तहसीलदार से आदेश जारी होने के बाद से राजस्व निरीक्षक के पास सीमांकन के कुल 299 प्रकरण लंबित है, जो कि समय सीमा के भीतर है। राजस्व निरीक्षक मण्डलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। नामांतरण अंतर्गत पटवारियों के पास 131 प्रकरण लंबित है, जिसमें से 110 प्रकरण तकनीकी समस्या, 20 प्रकरण बैंक बंधक एवं 01 प्रकरण आबादी भूमि से संबंधित होने के कारण लंबित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। बटांकण, अतिक्रमण एवं भू-अधिकार अभिलेख दुरुस्तीकरण के प्रकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षक स्तर पर लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

सामाजिक संस्थाओं को शासकीय भूमि आबंटन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

56. (क्र. 801) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वर्ष 2021 - 22 से 31.01.2023 तक राजनांदगांव जिले में सामाजिक संस्थाओं को शासकीय भूमि आबंटन के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए? यदि हाँ तो कितने प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी है? कितने संस्थाओं को भूमि आबंटित कर दी गयी है? शेष प्रकरण किस स्तर पर लंबित हैं? संस्थावार, प्रकरणवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हाँ। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उत्सठ"]

जिला कोण्डागांव व बस्तर में छात्रावास/आश्रमों में सोलर पैनल

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

57. (क्र. 804) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-31 जनवरी, 2023 की स्थिति में जिला कोण्डागांव व बस्तर में कितने छात्रावास/आश्रमों में सोलर पैनल लगाए गए हैं ? इनमें से कौन-कौन से स्थान पर चालू स्थिति में हैं तथा कौन-कौन से स्थान पर बंद हैं ? यदि बंद हैं तो क्यों ? बंद सोलर पैनल को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में जिला कोण्डागांव व बस्तर में लगाये गये सोलर पैनल व उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। बंद सोलर पैनल को कब तक प्रारंभ किया जायेगा, इसकी निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

अजजा बालक छात्रावास, रांधना विकास खण्ड माकड़ी लागत 191.51 लाख का निर्माण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

58. (क्र. 805) श्री मोहन मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत परियोजना मदान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 100 सीटर अजजा बालक छात्रावास, रांधना विकास खण्ड माकड़ी लागत 191.51 लाख का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ? यदि नहीं तो किस स्तर पर लंबित है और क्यों ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत वर्ष से 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में विभागाध्यक्ष/जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी, नहीं। जिले से स्थल चयन की कार्यवाही विलंब से किये जाने एवं जिला स्तर पर कार्य की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही तीन बार विभिन्न कारणों से निरस्त किये जाने के कारण (ख) 1-विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी:- (1) भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से दिनांक 24.12.2020 को स्वीकृति प्राप्ति उपरांत एक 100 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदाय की गई। (2) उक्त स्वीकृत आदेश की शर्तों में स्वीकृत कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए। (3) समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में उक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए गए साथ ही कार्यालयीन पत्र दिनांक 02.11.2021, 26.05.2022, 04.08.2022 एवं 03.10.2022 द्वारा कार्य स्थल का चयन कर तकनीकी स्वीकृति सहित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। (4) कार्यालय कलेक्टर जिला-कोण्डागांव से दिनांक 23.11.2022 को स्थल चयन के प्रस्ताव प्राप्ति उपरांत निर्माण कार्य की प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार जिले को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। 2-जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही :- (1) कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोण्डागांव के पत्र दिनांक 14.09.2022 द्वारा 50 सीटर अनुसूचित जनजातिय बालक छात्रावास रांधना का प्रस्ताव भेजा गया। (2) कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कोण्डागांव के पत्र दिनांक 23.11.2022 द्वारा 100 सीटर अनुसूचित जनजातिय प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास रांधना विकासखण्ड माकड़ी के भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की मांग की गई। (3) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोण्डागांव द्वारा विभिन्न कारणों से निविदा निरस्त किया गया है तथा चतुर्थ निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा उपरांत अनुबंध की कार्यवाही की जावेगी।

नारायणपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न मदों में आबंटित राशि एवं सामग्री क्रय

[स्कूल शिक्षा]

59. (क्र. 806) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नारायणपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक शासन द्वारा किन-किन मदों से कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई और उस राशि से क्या-क्या सामग्रियां क्रय की गई, कृपया वर्षवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत कार्य, क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का प्रदाय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

60. (क्र. 808) श्री चंदन कश्यप : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** जिला नारायणपुर, बस्तर एवं कोण्डागांव में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 - 22 से जनवरी, 2023 की अवधि तक आपदा प्रबंधन के तहत क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृति हुए हैं? विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर के अंतर्गत विकासखंडवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार अवधि में आपदा प्रबंधन के तहत कितने लोगों को क्षतिपूर्ति हेतु कितनी-कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया है? कितना शेष है? शेष प्रकरणों हेतु कब तक मुआवजा दिया जावेगा ? विकासखंडवार विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में आपदा प्रबंधन के तहत राहत शिविर भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	नारायणपुर	300.38
2	ओरछा	150.19
3	कोण्डागांव	0.00
4	बस्तर	0.00
योग		450.57

(ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। सहायता राशि हेतु कोई प्रकरण शेष नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ"]

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद [स्कूल शिक्षा]

61. (क्र. 814) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 -23 में कितने प्राथमिक स्कूलों एवं पूर्व माध्यमिक स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत स्कूलों में राज्य शासन द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जाएंगी, जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 204 प्राथमिक शाला में 240 शिक्षकों के पद रिक्त है तथा 116 माध्यमिक शाला में 226 शिक्षकों के पद रिक्त है। **(ख)** निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

छ.ग. राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनायें /कार्यक्रम [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

62. (क्र. 818) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** छ.ग. राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास एवं उनके कल्याणार्थ इस समय कौन-कौन सी योजनायें एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? **(ख)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में वर्तमान में कितने मदरसे पंजीकृत व संचालित हैं ? इन मदरसों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है ? कृपया बतावें ? **(ग)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में मदरसों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक अंतर्गत अन्य समुदायों (समाज) के विकास के विकास के लिए विगत 03 वर्षों में किये गये व किये जा रहे कार्य, स्वीकृत व व्यय की गई राशि की योजनावार/मदवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु छ.ग.राज्य शासन द्वारा निम्नांकित योजनायें व कार्यक्रम संचालित की जाती है :-1.अल्पसंख्यक कब्रिस्तान के लिए आवाता निर्माण। 2.स्व. हाजी हसन अली सम्मान पुरस्कार। 3.राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को अंशपूजी (धनवेष्ठन)। 4.छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग। 5.छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड। 6.छ.ग. उर्दू आकादमी का गठन। 7.वक्फ न्यायाधीकरण का गठन। 8.छ.ग. राज्य हज कमेटी (स्थापना व्यय) 9.हज कमेटी को सहायता (हज हाउस निर्माण

हेतु)। 10.सर्वेक्षण आयुक्त कार्यालय।11.अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम। 12.अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता एवं प्रमाण पत्र। 13.अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना :- 1.मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति 2.पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 3.प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति **(ख)** स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बस्तर संभाग के विकास खण्डों में 34 मदरसे पंजीकृत है उक्त मदरसों में से 22 मदरसे वर्तमान में संचालित है।प्रदेश में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित मदरसों में आधुनिक शिक्षा अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राज्य शासन की शिक्षा नीति के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शाला गणवेश, तथा मध्यान्ह भोजन एवं समय-समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान की जाती है।**(ग)** बस्तर संभागान्तर्गत जिला नारायणपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान आवाता निर्माण हेतु वर्ष 2022-23 मांग संख्या-66-2225-04-102-0101 योजना क्रमांक-7631-27 लघु निर्माण कार्य-006 अन्य लघु निर्माण कार्य में स्वीकृत राशि रु. 15.00 लाख के विरुद्ध राशि रु. 7.00 लाख जारी किये गये है। जिसका व्यय कर लिया गया है।

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत में संचालित हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थापना [स्कूल शिक्षा]

63. (क्र. 821) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित हैं ? वहां कर्मचारियों की स्वीकृत , पदस्थ व रिक्त पदों की विकासखंड वार स्कूल वार, जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी ? **(ग)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्कूलों में ऐसे विषय शिक्षक / व्याख्याता पदस्थापना की गई है , जिनका विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हो ऐसे शिक्षक / व्याख्याता किस नियम के तहत पदस्थ हैं? जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

कोरोना काल में पालक की मृत्यु वश स्कूल फीस की माफी एवं अनुदान सहायता का प्रदाय [स्कूल शिक्षा]

64. (क्र. 1101) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कोरोना काल में कितने स्कूली बच्चों के पालकों की मृत्यु हुई है ? **(ख)** कितने छात्रों की स्कूल फीस माफ की गई है ? कितनों की नहीं की गई और क्यों नहीं ? **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार कितने परिवारों को अनुदान स्वरूप 50 हजार सहायता राशि प्रदान की गई और कितने परिवारों को प्रदान नहीं की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** प्रदेश में कोरोना काल में 6500 स्कूली बच्चों के पालकों की मृत्यु हुई है। **(ख)** स्कूल फीस माफ करने का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार 6227 स्कूली बच्चों के परिवारों को अनुदान स्वरूप 50 हजार सहायता राशि प्रदान की गई और 273 परिवारों को प्रदान नहीं की गई।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 822) की जानकारी

प्रपत्र-अ

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अतिजर्जर होने के कारण अन्य भवनों में संचालित शालाओं की शालावार जानकारी

क्रं	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर	वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4	5
1	डोंगरगढ़	प्राथमिक शाला लेडीजोब	प्राथमिक	समुदायिक भवन
2	डोंगरगढ़	प्राथमिक शाला, खुसीपार खुर्द	प्राथमिक	वन रक्षक कार्यालय
3	खैरागढ़	प्रा.शा. सालहेभरी	प्राथमिक	मा.शा. के अति. कक्ष में संचालित
4	खैरागढ़	प्रा.शा. कट्टहा नवागांव	प्राथमिक	मंगल भवन में संचालित, ।
5	खैरागढ़	प्रा.शा. पुराना करेला	प्राथमिक	आंगनबाड़ी भवन
6	खैरागढ़	प्रा.शा. घोघेडबरी	प्राथमिक	सामुदायिक भवन में संचालित
7	खैरागढ़	प्रा.शा. कुसियारी	प्राथमिक	सरपंच के घर में संचालित
8	खैरागढ़	प्रा.शा. तेलीटोला	प्राथमिक	रंग मंच में संचालित
9	खैरागढ़	प्रा.शा. गाड़ाघाट	प्राथमिक	मंच में संचालित
10	खैरागढ़	प्रा.शा. बोईरडीह	प्राथमिक	प्रधान पाठक कक्ष में
11	खैरागढ़	प्रा.शा. कटंगी खुर्द	प्राथमिक	राजीव गांधी सेवा केन्द्र में संचालित है
12	डोंगरगढ़	माध्यमिक शाला सिवनीकला	पूर्व माध्यमिक	समुदायिक भवन
13	खैरागढ़	मा.शा. घोघेडबरी	पूर्व माध्यमिक	खाद गोदाम के लिये बने भवन में संचालित
14	खैरागढ़	मा.शा. बरगांव नवागांव	पूर्व माध्यमिक	प्राथमिक शाला के अतिरिक्त 01 कक्ष में शाला संचालित

सहायक संचालक

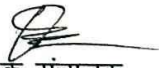
लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

डोगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन शालाओं की वर्तमान संचालन स्थल सहित शालावार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	शाला का नाम	वर्तमान संचालन स्थल
1	राजनांदगांव	शा. हाई स्कूल बोटेपार	मा.शाला के भवन में
2	राजनांदगांव	शा. हाई स्कूल मनगटा	मा.शाला के भवन में (द्वितीय पाली में)
3	राजनांदगांव	शा. उ.मा.शाला सलोनी	हाई स्कूल के भवन में
4	राजनांदगांव	शा. उ.मा.शाला खैरझिटी	हाई स्कूल के भवन में
5	राजनांदगांव	शा. उ.मा.शाला पदुमतरा	अति.कक्ष एवं बरामदा
6	राजनांदगांव	शा. उ.मा.शाला उपरवाह	मा.शाला एवं हाई स्कूल भवन
7	खैरागढ़	शा.उ.मा.शाला चिचोला	हा.स्कूल भवन में संचालित
8	खैरागढ़	शा. उ.मा.शाला ईटार	हा.स्कूल भवन में संचालित
9	खैरागढ़	शा.उ.मा.शाला कुरुभाठ	हा.स्कूल भवन में संचालित
10	खैरागढ़	शा. हाईस्कूल मरकामटोला	प्रा.शाला के अतिरिक्त कक्ष में संचालित
11	खैरागढ़	शा. हाईस्कूल प्रकाशपुर	मा.शाला भवन के अतिरिक्त कक्ष में संचालित


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

परीशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 775) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	छात्रावास का नाम	विकासखण्ड
1	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा
2	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास धुरकोट	डभरा
3	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा
4	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास सिंघरा	मालखरौदा
5	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास अड़भार	मालखरौदा
6	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा
7	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास डभरा	डभरा
8	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास कोटमी	डभरा
9	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा
10	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा
11	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास कोटमी	डभरा
12	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास चंद्रपुर	डभरा
13	पोस्ट मै. अनु. जाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा
14	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

वर्ष 2021-22			
क्र.	छात्रावास का नाम	विकासखण्ड	प्रदाय शिष्यवृत्ति
1	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास धुरकोट	डभरा	49367
2	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा	171598
3	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास अड़भार	मालखरौदा	72133
4	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	389996
5	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास डभरा	डभरा	187000
6	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	155333
7	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा	179233
8	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास कोटमी	डभरा	147167
9	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास चंद्रपुर	डभरा	167333
10	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा	कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश नहीं लेने के कारण संस्था संचालित नहीं हुई।
11	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास सिंघरा	मालखरौदा	
12	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास कोटमी	डभरा	
कुल योग			1519160
10	पोस्ट मै. अनु. जाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा	265449
11	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	80028
कुल योग			345477
वर्ष 2022 से 31.01.2023 तक			
क्र.	छात्रावास का नाम	विकासखण्ड	प्रदाय शिष्यवृत्ति
1	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा	66000
2	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास धुरकोट	डभरा	45000
3	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा	102000
4	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास सिंघरा	मालखरौदा	126000
5	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास अड़भार	मालखरौदा	120000
6	प्री. मै. अनु. जाति बालक छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	240000
7	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास डभरा	डभरा	144000
8	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास कोटमी	डभरा	138000
9	प्री. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	246000
10	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा	156000
11	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास कोटमी	डभरा	144000
12	प्री. मै. अनु. जनजाति बालक छात्रावास चंद्रपुर	डभरा	216000
कुल योग			1743000
13	पोस्ट मै. अनु. जाति बालक छात्रावास डभरा	डभरा	77025
14	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	63000
कुल योग			140025

अनुभाग अधिकारी
 xआदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में की गई दरों में वृद्धि का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति :-

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विगत वर्ष 2010 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

समूह	वर्ष 2010 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
I	1200	550
II	820	530
III	570	300
IV	380	230

अनुसूचित जाति :-

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विगत वर्ष 2020 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

समूह	वर्ष 2020 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिवर्ष)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
I	13500	7000
II	9500	6500
III	6000	3000
IV	4000	2500

अन्य पिछड़ा वर्ग :-

भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विगत वर्ष 2022 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

समूह	वर्ष 2022 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिवर्ष)	
	छात्रावासी/गैर छात्रावासी	
I	10000	
II	8000	
III	6000	
IV	5000	



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-अ

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन, अतिजर्जर, अहाता विहीन एवं शौचालय विहीन शालाओं की जानकारी।

क्रं.	जिला	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेंडरी
1	कोण्डागांव	भवन विहीन	1	0	0	0
2		अतिजर्जर	0	0	0	0
3		अहाता विहीन	57	16	2	2
4		शौचालय विहीन	0	0	0	0
1	नारायणपुर	भवन विहीन	63	0	0	0
2		अतिजर्जर	1	0	0	0
3		अहाता विहीन	167	34	0	0
4		शौचालय विहीन	0	0	0	0
1	बस्तर	भवन विहीन	4	2	0	0
2		अतिजर्जर	3	1	0	0
3		अहाता विहीन	148	53	7	7
4		शौचालय विहीन	0	0	0	0

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रपत्र-ब

विगत 03 वर्षों से 31 जनवरी 2023 तक स्वीकृत जीर्णोद्धार/मरम्मत/नवीन भवन/शौचालय/अहाता निर्माण की जानकारी।

क्रं.	जिला	वर्ष	जीर्णोद्धार	मरम्मत	नवीन भवन	शौचालय	अहाता निर्माण
1	कोण्डागांव	2020-21	0	0	0	0	0
2		2021-22	0	3	0	0	0
3		2022-31.01.2023	0	69	1	0	0
1	नारायणपुर	2020-21	0	33	4	2	0
2		2021-22	0	11	0	0	0
3		2022-31.01.2023	0	56	35	1	0
1	बस्तर	2020-21	0	0	6	3	0
2		2021-22	0	2	0	0	0
3		2022-31.01.2023	3	96	0	1	0
योग:-			3	270	46	7	0

टीप:- 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं की पोर्टल में एण्ट्री की जा चुकी है। निर्माण की कार्यवाही जिलास्तर पर प्रक्रियाधीन है।


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

प्रपत्र-स

स्वीकृति हेतु शेष नवीन भवन निर्माण की जानकारी।

कं.	जिला	नवीन भवन
1	कोण्डागाव	0
3	नारायणपुर	25
2	बस्तर	4
योग:-		29


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

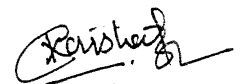
परीक्षित - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 733) की जानकारी

प्रपत्र

कम्प्यूटर संस्थापित विद्यालयों की जानकारी

क्रं.	शाला का नाम	क्रय कम्प्यूटर की संख्या	क्रय तिथि	कम्प्यूटर चालू/बंद
1	2	3	4	5
1	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कवर्धा	5	29/09/2021	चालू
2	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोडला	5	29/09/2021	चालू
3	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स.लोहरा	5	29/09/2021	चालू
4	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पंडरिया	5	29/09/2021	चालू
5	शास. हाईस्कूल बसनी (स्मार्ट क्लास)	1	01/07/2021	चालू
6	शास. उ.मा.वि. कुण्डा	1	01/07/2021	चालू
7	शास.हाईस्कूल महली	1	01/07/2021	चालू
8	शास. पूर्व माध्यमिक शाला माकरी	1	01/07/2021	चालू
9	शास. पूर्व माध्यमिक शाला धुधरीकला	1	01/07/2021	चालू
10	शास. पूर्व माध्यमिक शाला जिन्दा	1	01/07/2021	बंद
11	शास. पूर्व माध्यमिक शाला धरमपुरा	1	01/07/2021	चालू
12	शास. पूर्व माध्यमिक शाला मानिकचौरी	1	01/07/2021	चालू
13	शास. प्राथमिक शाला बिरकोना	1	01/07/2021	चालू
14	शास. पूर्व माध्यमिक शाला छिरहा	1	01/07/2021	चालू
15	शास. पूर्व माध्यमिक शाला पालीगुढा	1	01/07/2021	चालू
16	शास. पूर्व माध्यमिक शाला सोनपुरीरानी	1	01/07/2021	चालू
17	शास. प्राथमिक शाला जुनवानी	1	01/07/2021	चालू
18	शास. प्राथमिक शाला मानिकचौरी	1	01/07/2021	चालू
19	शास. प्राथमिक शाला नवागांव तिवारी	1	01/07/2021	चालू
20	शास. प्राथमिक शाला धुधरीकला	1	01/07/2021	चालू
21	शास.पूर्व माध्य. शाला मगरदा	1	01/07/2021	चालू
22	शास. प्राथमिक शाला गुंझेटा	1	01/07/2021	चालू
23	शास. पूर्व माध्य शाला सूरजपुराकला	1	01/07/2021	चालू
24	शास. पूर्व माध्य. शाला खरहट्टा	1	01/07/2021	चालू
25	शास. पूर्व माध्यमि शाला पेन्डीकला	1	01/07/2021	चालू
	योग	41		



सहायक संचालक

 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

परीक्षित - पॉच
तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 790) की जानकारी

प्रपत्र

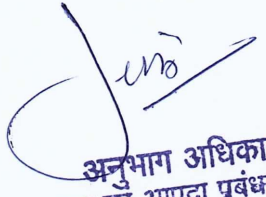
क्रमांक	जिला	तहसील	लंबित प्रकरण की संख्या
1	2	3	4
1	महासमुन्द	महासमुन्द	126
		बगबाहरा	44
		पिथौरा	71
		बसना	62
		सरायपाली	167
योग:-			470
2	नारायणपुर	-	निरंक
3	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	-	-
4	बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर	20
		वाड्डफनगर	62
		रामचन्दपुर	30
		रामानुजगंज	21
		रघुनाथनगर	44
		शंकरगढ़	00
		राजपुर	00
		कुसमी	00
		चांदो	00
		सामरी	00
		डौरा-कोचली	00
योग:-			177
5	सुकमा	गादीरास	07
		छिन्दगढ़	66
योग:-			73
6	सूरजपुर	सूरजपुर	01
		प्रेमनगर	00

1	2	3	4
		रामानुजनगर	01
		सूरजपुर	08
		लटोरी	04
		प्रतापपुर	18
		भैयाधान	10
		ओड़गी	00
		बिहारपुर	01
योग:-			43
7	मुंगेली	-	निरंक
8	बेमेतरा	बेमेतरा	06
		साजा	01
		थानखम्हरिया	05
		देवकर	02
		बेरला	10
		भिंभौरी	09
		नवागढ़	02
		नांदघाट	05
योग:-			40
9	गरियाबंद	गरियाबंद	23
		छुरा	26
		राजिम	88
		मैनपुर	205
		देवभोग	09
		अमलीपदर	71
योग:-			422
10	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	07
		चिरमिरी	08
		खड़गवां	09
		भरतपुर	43
		केल्हारी	01
		कोटाडोल	06
योग:-			74

1	2	3	4
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	-	निरंक
12	राजनांदगांव	-	निरंक
13	कबीरधाम	-	निरंक
14	जशपुर	-	निरंक
15	बालोद	बालोद	18
		गुरुर	19
		गुण्डरदेही	59
		अर्जुन्दा	05
		डौण्डी	10
		डौण्डीलोहारा	14
		मार्री बंगला देवरी	15
योग:-			140
16	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	-	निरंक
17	रायपुर	रायपुर	00
		धरसीवां	00
		आरंग	15
		मंदिर हसौद	37
		अभनपुर	50
		गोबरा नवापारा	58
		तिल्दा	00
		खरोरा	00
योग:-			160
18	बिलासपुर	-	निरंक
19	कोरिया	कोरिया	138
20	दुर्ग	दुर्ग	81
		धमधा	41
		पाटन	96
योग:-			218
21	धमतरी	धमतरी	99
		कुरुद	47
		भखारा	49
		मगरलोड़	58

1	2	3	4
		कुकरेल	10
		नगरी	05
		बेलरगांव	04
योग:-			272
22	बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	20
23	सरगुजा	-	निरंक
24	बस्तर	जगदलपुर	35
		बस्तर	14
		तोकापाल	03
		लोहण्डीगुड़ा	08
		बकावण्ड	15
		बास्तानार	00
		दरभा	00
		नानगुर	09
		भानपुरी	15
योग:-			99
25	सक्ती	-	निरंक
26	रायगढ़	-	निरंक
27	कोण्डागोव	-	निरंक
28	सारंगढ-बिलाईगढ़	-	धनरंक
29	जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	30
		अंतागढ़	00
		पखांजूर	04
		नरहरपुर	02
		सरोना	06
		चारामा	19
		दुर्गूकोंदल	00
		भानुप्रतापपुर	02
योग:-			63
30	बीजापुर	-	निरंक
31	जांजगीर-चांपा	-	निरंक
32	कोरबा	-	-

1	2	3	4
33	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	2
		गीदम	4
		बारसूर	1
		कुआकोण्डा	0
		कटेकल्याण	0
		बड़ेबचेली	0
योग:-			7


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परीशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 469) की जानकारी

“प्रपत्र”

कक्षा 12 वीं से उच्च अध्ययनरत् विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति की दर का विवरण :-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियाँ) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम) (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह-2- (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायशबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्प्यूनिवेशन, ट्रेवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज-सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, इन्शुरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह -3 - समूह-1 और समूह-2 में शामिल नहीं किए गए स्नातक डिग्री के अन्य सभी पाठ्यक्रम जैसे बीए/बी.एस.सी./बी.कॉम इत्यादि	570	300
समूह -4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। सीनियर सेकण्डरी प्रमाण पत्र (कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं) सामान्य एवं व्यावसायिक शाखा, आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति)

समूह	वार्षिक (रूपये में)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	13500	7000
समूह-2- स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।	9500	6500
समूह-3- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह-1 एवं समूह-2 में शामिल नहीं है।	6000	3000
समूह -4 – सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग)

समूह	अध्ययन का वर्ष	(प्रति माह)			
		छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ- डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ- सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई- सर्टीफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स- कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

कक्षा 1ली से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति की दर का विवरण :-

क्रं	योजना	कक्षा	वर्ग / लिंग		छात्रवृत्ति (10 माह) प्रति वर्ष रु	आय सीमा / पात्रता	
01	राज्य छात्र वृत्ति	3री से 5वी	ST/SC की बालिका		500	कोई आय सीमा नहीं	
		6वी से 8वीं	ST/SC की बालिका		800		
			ST/SC के बालक		600		
			OBC की बालिका		450		
			OBC के बालक		300	पालक / अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आते हो अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।	
02	प्री मैट्रिक	9वी से 10वी	OBC की बालिका		600		
			OBC के बालक		450		
			ST/SC की बालिका		1000	पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक हो	
			ST/SC के बालक		800		
			ST/SC छात्रावासी		7000	पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो।	
			ST/SC गैर छात्रावासी		3000		
03	पोस्ट मैट्रिक	11वी से 12वी	ST छात्रावासी		3800	पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो।	
			ST गैर छात्रावासी		2300		
			SC छात्रावासी		4000		
			SC गैर छात्रावासी		2500		
			OBC के बालक बालिका				पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रु 1.00 लाख से अधिक न हो।
			छात्रावासी		गैर छात्रावासी		
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	
			11 वी	1000	1100	500	
		12 वी	1000	1100	550	700	
04	कन्या साक्षरता	6वी	ST/SC की बालिका		500	कोई आय सीमा नहीं	
05	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	ST/SC/OBC		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	कोई आय सीमा नहीं। किंतु राजस्व से प्रति वर्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र आवश्यक है।	
		1ली से 2री		NIL	3500		
		3री से 10वी		8000	3500		

टीप—

1. अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को उपरोक्त निर्धारित छात्रवृत्ति के अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित स्थानीय निधी फंड के मदों के शुल्क की राशि का पुनर्भुगतान (Reimburse) भी किया जाता है।
2. अस्वच्छ धंधा की छात्रवृत्ति के विद्यार्थियों को अन्य छात्रवृत्ति देय नहीं है।
3. कक्षा 9वी से 10वी में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति के नार्म्स अनुसार बालक / बालिका की दर से छात्रवृत्ति देय है।

अनुभाग अधिकारी

आदिम जालि तथा अनुसूचित जालि
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत भवन विहीन, जर्जर भवन एवं अहाता विहीन शालाओं की जानकारी।

स.क्र.	क्र.	शाला का नाम	शाला का पता
भवन विहीन शालाएं			
1	1	प्रा०शा० राहौद	ग्राम पंचायत राहौद
2	2	प्राथ०शा० पकरिया	ग्राम पंचायत पकरिया
3	3	पू.मा.शा. ससहा	ग्राम पंचायत ससहा
4	4	पू.मा.शा. कुटीघाट	ग्राम पंचायत कुटीघाट
5	5	शास.हाई स्कूल मुलमुला	ग्राम पंचायत मुलमुला
6	6	शासकीय हाईस्कूल तुसमा	ग्राम पंचायत तुसमा
7	7	शासकीय हाईस्कूल पोड़ीराछा	ग्राम पंचायत पोड़ीराछा
जर्जर शालाएं			
8	1	प्रा.शा.आवापारा जेवरा	ग्राम पंचायत जेवरा
9	2	प्रा.शा. कोसा	ग्राम पंचायत कोसा
10	3	प्रा.शा. सतनामीपारा कोसा	ग्राम पंचायत कोसा
11	4	प्रा.शा. घोड़ाखुरी	ग्राम पंचायत घोड़ाखुरी
12	5	प्रा.शा. पैधार	ग्राम पंचायत पैधार
13	6	प्रा.शा. मानाडेश	ग्राम पंचायत मानाडेश
14	7	प्राथ०शा० देवरी	ग्राम पंचायत देवरी
15	8	प्रा०शा० हरदीपारा मेंहदी	ग्राम पंचायत मेंहदी
16	9	प्रा.शा.अ.जा. पारा रसौटा	ग्राम पंचायत रसौटा
17	10	पू.मा.शा. हिरी	ग्राम पंचायत हिरी
18	11	पू.मा.शा. चुरतेला	ग्राम पंचायत चुरतेला
19	12	पू.मा.शा. धनगांव	ग्राम पंचायत धनगांव
20	13	प्रा.शा. कुटराबोड	ग्राम पंचायत कुटराबोड
21	14	प्राथ०शा० बुन्देला	ग्राम पंचायत बुन्देला
22	15	प्रा.शा. हिरी	ग्राम पंचायत हिरी
23	16	प्रा.शा. खरखोद	ग्राम पंचायत खरखोद
24	17	प्रा.शा. कोनार	ग्राम पंचायत कोनार
25	18	प्रा०शा० सोडे० लोहसी	ग्राम पंचायत लोहसी
26	19	प्रा.शा. उरैहा	ग्राम पंचायत उरैहा
27	20	प्रा.शा. चण्डीपारा	ग्राम पंचायत चण्डीपारा
28	21	प्रा.शा.नरसिंह चौक मेंड	ग्राम पंचायत मेंड
29	22	प्रा.शा. भदरा (नीचे)	ग्राम पंचायत भदरा (नीचे)
30	23	प्राथ०शा० महका	ग्राम पंचायत महका
31	24	प्रा.शा. कोड़ाभाट	ग्राम पंचायत कोड़ाभाट
32	25	प्रा०शा० खरगहनी	ग्राम पंचायत खरगहनी
33	26	प्रा.शा. पचरी	ग्राम पंचायत पचरी
34	27	शा.न.प्रा.शा. कचंदा	ग्राम पंचायत कचंदा

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
पंचालय, महानदी नगर
नया रायपुर

स.क.	क्र.	शाला का नाम	शाला का पता
35	28	शा.प्रा.शा. गंगाजल	ग्राम पंचायत गंगाजल
36	29	शा.पू.मा.शा. कचंदा	ग्राम पंचायत कचंदा
37	30	शा.पू.मा.शा. कपुरताल तुसमा	ग्राम पंचायत तुसमा
38	31	शा.पू.मा.शा. सिंघुल	ग्राम पंचायत सिंघुल

अहाता विहीन शालाएं

39	1	प्रा.शा. उरैहा	ग्राम पंचायत उरैहा
40	2	प्रा.शा.नरसिंह चौक मेंऊ	ग्राम पंचायत मेंऊ
41	3	प्रा.शा. भदरा (नीचे)	ग्राम पंचायत भदरा
42	4	प्रा0शा0 राहौद	नगर पंचायत राहौद
43	5	प्रा.शा. वार्ड क्र.8 भैसों	ग्राम पंचायत भैसों
44	6	प्रा.शा. वार्ड क्र.9 भैसों	ग्राम पंचायत भैसों
45	7	प्रा.शा.नहरकालोनी भैसो	ग्राम पंचायत भैसो
46	8	प्रा.शा.चंदनियापारा डोंगाकोहरौद	ग्राम पंचायत डोंगाकोहरौद
47	9	प्राथ0शा0 भुईगांव	ग्राम पंचायत भुईगांव
48	10	प्राथ0शा0 कोहका	ग्राम पंचायत कोहका
49	11	प्रा.शा. तिलोकवा पारा कोसा	ग्राम पंचायत कोसा
50	12	प्रा.शा. सेमरिया (डि)	ग्राम पंचायत सेमरिया (डि)
51	13	प्राथ0शा0 बुन्देलाभाठा	ग्राम पंचायत बुन्देलाभाठा
52	14	प्रा.शा.स.डे. चोरभट्टी	ग्राम पंचायत चोरभट्टी
53	15	प्रा.शा.तेलीपारा डोंगाकोहरौद	ग्राम पंचायत डोंगाकोहरौद
54	16	प्रा.शा. मदनपुर	ग्राम पंचायत मदनपुर
55	17	प्रा.शा. बोहारडीह	ग्राम पंचायत बोहारडीह
56	18	प्रा.शा. नवाडीह सिरी	ग्राम पंचायत सिरी
57	19	प्राथ0शा0 खाल्हेपारा खरौद	नगर पंचायत खरौद
58	20	प्राथ0शा0 खोखरी	ग्राम पंचायत खोखरी
59	21	प्राथ0शा0 पकरिया	ग्राम पंचायत पकरिया
60	22	प्रा.शा. सतनामीपारा कोसा	ग्राम पंचायत कोसा
61	23	प्रा.शा. मानाडेश	ग्राम पंचायत मानाडेश
62	24	प्राथ0शा0 भाठापारा कोसला	ग्राम पंचायत कोसला
63	25	प्रा0 शा0 सागरपारा कोसला	ग्राम पंचायत कोसला
64	26	प्रा.शा. दर्पपारा कोनार	ग्राम पंचायत कोनार
65	27	प्राथ.शा.इं.आ. कोनार	ग्राम पंचायत कोनार
66	28	प्रा.शा. कुटीघाट	ग्राम पंचायत कुटीघाट
67	29	प्रा0शा0 धरसापारा लोहसी	ग्राम पंचायत लोहसी
68	30	प्राथ0शा0 गुडी पारा मेंहदी	ग्राम पंचायत मेंहदी
69	31	प्रा0शा0 मुडपार (चु)	ग्राम पंचायत मुडपार (चु)
70	32	प्रा0शा0प0पा0 मुडपार(चु)	ग्राम पंचायत मुडपार(चु)
71	33	प्रा.शा.गुडीपारा मुलमुला	ग्राम पंचायत मुलमुला
72	34	प्रा.शा.स.डे. मुलमुला	ग्राम पंचायत मुलमुला
73	35	प्रा.शा.धनु.पा. कोनार	ग्राम पंचायत कोनार
74	36	प्रा0शा0गादीदाई प्रा0शा0हौद	नगर पंचायत शाहौद
75	37	प्रा0शा0अ0जा0पारा शाहौद	नगर पंचायत शाहौद
76	38	प्रा0शा0पकरियापारा शाहौद	नगर पंचायत शाहौद

स.क्र.	क्र.	शाला का नाम	शाला का पता
77	39	प्रा०शा०अ०स०डे० राहौद	नगर पंचायत राहौद
78	40	प्रा.शा.धरसा पारा रसीटा	ग्राम पंचायत रसीटा
79	41	प्रा.शा.अ.जा. पारा रसीटा	ग्राम पंचायत रसीटा
80	42	प्रा.शा. भलवाही	ग्राम पंचायत भलवाही
81	43	प्रा.शा. नवापारा नैसों	ग्राम पंचायत नवापारा नैसों
82	44	पू.मा.शा. धनगांव	ग्राम पंचायत धनगांव
83	45	पू.मा.शा. ससहा	ग्राम पंचायत ससहा
84	46	पू.मा.शा. कोहका	ग्राम पंचायत कोहका
85	47	पू.मा.शा. सेमरिया (डि.)	ग्राम पंचायत सेमरिया (डि.)
86	48	पू.मा.शा. पैधार	ग्राम पंचायत पैधार
87	49	शास.हाई स्कूल मुलमुला	ग्राम पंचायत मुलमुला
88	50	शास.हाई स्कूल बिलारी	ग्राम पंचायत बिलारी
89	51	शा.प्राथ.शा.ठकुरदिया	ग्राम पंचायत ठकुरदिया
90	52	शा.न.प्राथ.शा.गणेश मोह गोघना	ग्राम पंचायत गोघना
91	53	शा.न.प्राथ.शा.महावीर मोह.कुरियारी	ग्राम पंचायत कुरियारी
92	54	शा.न.प्राथ.शा.भाठा.रिंगनी	ग्राम पंचायत भाठा.रिंगनी
93	55	शा.प्राथ.शा.बोरदा	ग्राम पंचायत बोरदा
94	56	शा.न.प्राथ.शा.भाठा सलखन	ग्राम पंचायत सलखन
95	57	शा.न.प्राथ.शा.डीहपारा सलखन	ग्राम पंचायत सलखन
96	58	शा.न.प्राथ.शा.कुटराबोड़	ग्राम पंचायत कुटराबोड़
97	59	शा.न.प्राथ.शा.साहु मुहल्ला मुड़पार	ग्राम पंचायत मुड़पार
98	60	शा.प्राथ.शा.केसला	ग्राम पंचायत केसला
99	61	शा.प्राथ.शा.मिस्टा	ग्राम पंचायत मिस्टा
100	62	शा.न.प्राथ.शा.आदिवासी मोह.सिंधुल	ग्राम पंचायत सिंधुल
101	63	शा.प्राथ.शा.करमंदी (शि.ना.)	ग्राम पंचायत करमंदी (शि.ना.)
102	64	शा.न.प्राथ.शा.भाठा करमंदी (शि.ना.)	ग्राम पंचायत करमंदी (शि.ना.)
103	65	शा.न.प्राथ.शा.सवरियापारा कटौद	ग्राम पंचायत कटौद
104	66	शा.प्राथ.शा.चारपारा केरा	ग्राम पंचायत चारपारा केरा
105	67	शा.न.पू.मा.शा.बोरदा	ग्राम पंचायत बोरदा
106	68	शा.पू.मा.शा.मिसदा	ग्राम पंचायत मिसदा
107	69	शा.पू.मा.शा.पचरी	ग्राम पंचायत पचरी
108	70	शा.न.पू.मा.शा.करमंदी (शि.ना.)	ग्राम पंचायत करमंदी (शि.ना.)
109	71	शा.हाईस्कूल रिंगनी	ग्राम पंचायत रिंगनी
110	72	शा.हाईस्कूल तुलसी	ग्राम पंचायत तुलसी
111	73	शा.हाईस्कूल सिंधुल	ग्राम पंचायत सिंधुल
112	74	शा.हाईस्कूल कटौद	ग्राम पंचायत कटौद
113	75	शा.उ.मा.वि.शिवरीनारायण	नगर पंचायत शिवरीनारायण

पारोक्षिक - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 719) की जानकारी

प्रपत्र

अ. राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अ. चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में संचालित शासकीय शालाओं की जानकारी

क	विधानसभा क्षेत्र	प्राथमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी	योग
1	राजनांदगांव	111	69	9	25	214
2	डोंगरगढ़	281	141	15	32	469
3	डोंगरगांव	261	134	22	39	456
4	मोहला मानपुर	524	176	34	34	768
5	खुज्जी	327	134	21	41	523
6	खैरागढ़	337	125	27	31	520
	महायोग	1841	779	128	202	2950

ब. दर्ज संख्या के मान से शिक्षकों की कमी एवं अतिशेष वाली शालाओं की जानकारी

क	विधानसभा क्षेत्र	दर्ज संख्या के मान से शिक्षकों की कमी वाली शालाओं की संख्या	दर्ज संख्या के मान से शिक्षकों की अतिशेष वाली शालाओं की संख्या
1	राजनांदगांव	44	58
2	डोंगरगढ़	132	25
3	डोंगरगांव	48	41
4	मोहला मानपुर	222	2
5	खुज्जी	195	5
6	खैरागढ़	123	23
	महायोग	764	154

स. शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाली शालाओं की संख्या

क	विधानसभा क्षेत्र	शिक्षक विहीन संस्थाओं की संख्या	एकल शिक्षकीय संस्थाओं की संख्या
1	राजनांदगांव	0	7
2	डोंगरगढ़	0	20
3	डोंगरगांव	0	18
4	मोहला मानपुर	0	89
5	खुज्जी	0	23
6	खैरागढ़	0	37
	महायोग	0	194

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

परीक्षेष्ट - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 799) की जानकारी

घुमारियानाला डायवसेन योजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण मआवजा वितरण की जानकारी

ग्राम - सेवताटोला

प्रपत्र

मुआवजा वितरण दिनांक 28.03.1979

क्र.	किसान का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	मुआवजा राशि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
1	आशाराम - कोदू रावत	109/2 111/2	5.18	0.69	2242.50	
2	समारू - छबिलाल केवट	307	2.68	0.67	493.10	
3	प्रेमलाल - बनवाली लोहार	114 296/1	5.40	0.67	3672.50	
		109/3 304/3	0.68	0.24		
		294	0.30	0.20		
		295	0.14	0.02		
4	रामभरोसा - बृजलाल साहू	288	2.43	1.10	3575.00	
5	मगलू - पलटू	253/3 255/3 282/3 286/3	1.30	1.00	3250.00	
6	जीवन - झुमुक	253/2 255/2 282/2 286/2	1.32	0.80	2600.00	
7	मनराखन - नन्दूलाल साहू	253/1 255/1 288/1 286/1	7.61	0.57	2437.50	
8	लक्ष्मण . बृजलाल लोधी	253/4 255/4 282/4 286/4	2.25	0.80	2600.00	
9	खीरबाहरा . अगनू साहू	262/2 262/3 272/2	0.71	0.71	2307.50	
10	रामप्रसाद, पुरन - बुघवा	319/1	0.10	0.02	65.00	
11	भीखम ना.बा. भुजबल	319/2	0.10	0.02	65.00	

(Signature)
राज्य एवं आवास विभाग
भारत, नया दिल्ली, भारत (दूर.)

क्र.	किसान का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अजित रकबा	मुआवजा राशि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
12	केशरबाई जी लल्लाप्रसाद	320 323/1 323/2	0.20 0.14 0.03	0.05 0.02 0.03	325.00	
13	शत्रुहन - भागबली	257 270 271 272/1 278/2 272/3	0.22 0.19 0.19 0.76 0.05	0.22 0.01 0.19 0.07 0.05	1755.00	
14	खोरबाहरीन पि. फगुवा	349	0.89	0.17	552.50	
15	छोटेला केशोराम वगै.	386/3	1.31	0.25	184.00	
16	रामप्रसाद, पुरन - बुचवा	384/2	1.64	0.16	268.60	
17	सातोबाई बेवा मूलचंद	384/1	0.18	0.17	552.50	
18	नारायण, नाथू गोबिंद वगै.	383/1 383/2 383/3	1.81	0.35	1137.50	
19	भगवानदास - रामचरण दास	385/2 387/4 389/4	3.63	0.69	2242.50	
20	छक्कीलाल - रतनचंद	385/1 387/2 389/3	9.31	0.45	1462.50	
21	रामप्रसाद, पुरन - बुचवा महर	276	0.41	0.41	1332.50	
22	परसराम - रामसिंह	349/6	0.20	0.04	130.00	
23	सरोवर - बिलहकुंवर ब्राम्हण	349/8	0.31	0.10	325.00	
24	जानकीबाई, कचरीबाई, रूपाबाई पि. मूलचंद	322/2	0.15	0.15	487.50	
	कुल योग राशि :-		50.45	10.68	34063.20	

कार्यपालन अभियंता
जन संधादन बैंगल संधाग

प्रपत्र

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सत्र 2021-22 में केन्द्रांश राशि से क्रय की जानकारी

क्र	निविदा द्वारा क्रय सामग्री का नाम	सामग्री पर व्यय केन्द्रांश राशि रुपये	आर-सी- द्वारा क्रय की गयी सामग्री का नाम	सामग्री पर व्यय केन्द्रांश राशि रुपये
1	2	3	4	5
1	कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशनरी, प्रिंटर एवं अन्य सामग्री	189814.8	कम्प्यूटर एवं उपकरण	46927121.4
2	दिव्यांग बच्चों हेतु उपकरण	21069472.8	कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशनरी, प्रिंटर एवं अन्य सामग्री	836601.6
3			कार्यालयीन एवं विद्यार्थी फर्नीचर	190770852.6
4			विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री	6420000
5			व्यावसायिक प्रयोगशाला सामग्री	28662117.6
6			टॉयकिट (एससीईआरटी)	64724830.8
7			फोटोकॉपियर (एससीईआरटी)	977100

पॉरीशेष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 819) की जानकारी

iii=

राजस्व अभिलेख में दर्ज रोवा भूमि की जानकारी वर्ष 2022-23,
पटवारी हल्का नंबर 23 ग्राम चुरियारा रा.नि.गं. नगरी, तहसील नगरी, जिला धमतरी

वर्तमान खसरा पांचसाला के अनुसार				कैफियत
क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	कोटवारों का नाम	
1	341/1	0.02	धसिया पिता झाड़ूराम	कृषि कार्य
2	342/2	0.08	प्रिन्स कुमार पिता शीखमचंद	कृषि कार्य
3	415/1	0.13		कृषि कार्य
4	415/2	0.16		कृषि कार्य
5	722	2.82	लक्ष्मीबाई पति घसियाराम	रकबा 1.82 हे. खेल मैदान
6	723	0.18		कृषि कार्य
7	770	0.35		कृषि कार्य
8	831	0.25		कृषि कार्य
9	195	0.39	आराकरण पिता अकतू	कृषि कार्य
10	220	2.08		1.28 हे. पर अतिक्रमण 0.80 हे. पर नवीन थाना नगरी निर्मित है।
11	191	1.11	सरस्वती बाई पति शंभूराम	कोटवार द्वारा खेती कार्य
12	523	2.27		0.20 हे. भूमि में अतिक्रमण
13	819	0.36		कृषि कार्य
योग	कुल 13	10.2		

टीप :- कोटवारी भूमि की 1.48 हे. भूमि अतिक्रमणित है। 1.82 हे. में खेल मैदान तथा 0.80 हे. भूमि पर नवीन थाना भवन निर्मित है।


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं भूजमा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर (जम.)

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीक्षे - बारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 494) की जानकारी

प्रपत्र- 3A

शिक्षा सत्र 2020-21

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय + अनुदान प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या			
		शाला संख्या	छात्र	छात्रा	योग
1	2	3	4	5	6
1	कबीरधाम	149	7091	6845	13936
2	गौरेला पेण्ड्रा मरवारी	64	2585	3030	5615
3	धमतरी	171	4536	4429	8965
4	राजनांदगांव	167	6310	6657	12967
5	खैरागढ़ छुईखदान	77	3343	3227	6570
6	मानपुर मोहला	86	1998	2319	4317
7	कोरबा	181	6632	7280	13912
8	सूरजपुर	208	7591	6425	14016
9	बस्तर	180	5579	5772	11351
10	बीजापुर	50	1475	1248	2723
11	दन्तेवाड़ा	64	1470	1459	2929
12	कांकेर	242	6607	6811	13418
13	कोण्डागांव	167	5625	5254	10879
14	नारायणपुर	33	768	947	1715
15	सुकमा	50	1193	1127	2320
16	सक्ति	130	2074	4759	6833
17	बलरामपुर	136	3000	4824	7824
18	सरगुजा	160	5009	5631	10640
19	जशपुर	169	6471	7052	13523
20	कोरिया	146	3736	4279	8015
21	मनेद्रगढ़ चिरमिरी	कोरिया जिले में सम्मिलित है ।			
22	रायपुर	210	11798	13013	24811
23	बालोद	169	5622	5886	11508
24	रायगढ़	265	7898	8428	16326
25	सारंगढ़		3474	4135	7609
26	मुंगेली	127	5484	5980	11464
27	गरियाबंद	145	4318	4586	8904
28	दुर्ग	187	7476	8448	15924
29	जांजगीर-चांपा	170	5619	6534	12153
30	बलीदा बाजार	204	8463	9972	18435
31	बिलासपुर	235	10232	12101	22333
32	महासमुंद	194	7210	7980	15190
33	बैतार	167	6777	7596	14373
योग:-		4703	167464	184034	351498

प्रपत्र- १०

शिक्षा सत्र 2021-22

क्र.सं.	जिले का नाम	शासकीय + अनुदान प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की			
		माला संख्या	छात्र	छात्रा	योग
1	कबीरधाम	149	6594	7128	13722
2	गौरेला पेण्ड्रा मरवारी	64	1982	2027	4009
3	धमतरी	171	5179	5286	10465
4	राजनांदगांव	167	6155	6439	12594
5	खैरागढ़ छुईखदान	77	3210	3262	6472
6	मानपुर मोहला	86	1979	2223	4202
7	कोरबा	181	6052	7357	13409
8	सूरजपुर	208	7756	7273	15029
9	बस्तर	180	5463	5689	11152
10	बीजापुर	50	1521	1208	2729
11	दन्तेवाड़ा	64	1603	1295	2898
12	कांकेर	242	5651	5852	11503
13	कोण्डागांव	168	5012	4854	9866
14	नारायणपुर	34	906	923	1829
15	सुकमा	50	1287	1029	2316
16	सक्ति	130	2166	4562	6728
17	बलरामपुर	140	5004	5312	10316
18	सरगुजा	164	5149	5638	10787
19	जशपुर	169	6533	6997	13530
20	कोरिया	149	3648	4012	7660
21	मनेद्रगढ़ चिरमिरी	कोरिया जिले में सम्मिलित है ।			
22	रायपुर	210	10481	11573	22054
23	बालोद	171	5301	5562	10863
24	रायगढ़	267	7882	8870	16752
25	सारंगढ़		3558	4035	7593
26	मुंगेली	130	5102	6026	11128
27	गरियाबंद	145	4158	4395	8553
28	दुर्ग	190	7425	8143	15568
29	जांजगीर-चांपा	170	5797	6442	12239
30	बलौदा बाजार	204	8154	9423	17577
31	बिलासपुर	235	11012	12240	23252
32	महासमुंद	195	7116	8085	15201
33	बेमेतरा	167	7058	7709	14767
योग:-		4727	165894	180869	346763

शिक्षा सत्र 2022-23

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय + अनुदान प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या			
		शाला संख्या	छात्र	छात्रा	योग
1	कबीरधाम	149	6332	6749	13081
2	गौरेला पेण्ड्रा मरवारी	64	2722	2797	5519
3	धमतरी	171	6486	6076	12562
4	राजनांदगांव	167	7447	6994	14441
5	खैरागढ़ छुईखदान	77	3844	3340	7184
6	मानपुर मोहला	86	2113	2243	4356
7	कोरबा	181	6039	7435	13474
8	सूरजपुर	208	7722	7266	14988
9	बस्तर	180	5325	5439	10764
10	बीजापुर	50	1431	1262	2693
11	दन्तेवाड़ा	64	1766	1735	3501
12	कांकेर	242	5703	6271	11974
13	कोण्डागांव	173	5345	4948	10293
14	नारायणपुर	35	1004	2193	3197
15	सुकमा	50	1292	1212	2504
16	सक्ति	131	2519	4293	6812
17	बलरामपुर	140	5256	5338	10594
18	सरगुजा	164	5454	5705	11159
19	जशपुर	169	8243	8048	16291
20	कोरिया	149	4815	3989	8804
21	मनेद्रगढ़, चिरमिरी	कोरिया जिले में सम्मिलित है ।			
22	रायपुर	210	12317	12799	12317
23	बालोद	175	6536	5918	12454
24	रायगढ़	268	8274	8862	17136
25	सारंगढ़		3489	4100	7589
26	मुंगेली	130	4905	5544	10449
27	गरियाबंद	145	4422	4072	8494
28	दुर्ग	194	8920	9676	18596
29	जांजगीर-चांपा	170	6287	6053	12340
30	बलौदा बाजार	204	7830	8985	16815
31	बिलासपुर	235	10613	11251	21864
32	महासमुंद	195	6999	7913	14912
33	बेमेतरा	167	8557	8745	17302
योग:-		4743	180007	174452	354459

परीशेष - तेरह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 521) की जानकारी

प्रश्न

वर्ष 2020 से दिनांक 31.01.2023 तक स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष वाली शालाएं तथा स्वीकृति हेतु शेष शालाओं की विधानसभावार, विकासखण्डवार जानकारी।

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकास खण्ड	वर्ष	स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष वाली शालाओं की संख्या	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किया जाना शेष शालाएं
1	मुंगेली	मुंगेली	2020-21	0	19
			2021-22	20	
			2022-31.01.2023	0	
		पथरिया	2020-21	3	4
			2021-22	4	
			2022-31.01.2023	0	
2	बिल्हा	पथरिया	2020-21	3	9
			2021-22	12	
			2022-31.01.2023	0	
3	लोरमी	लोरमी	2020-21	2	18
			2021-22	11	
			2022-31.01.2023	0	

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - चौदह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 522) की जानकारी

प्रपत्र

छात्रवृत्ति योजना

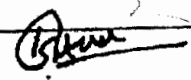
कक्षा 1ली से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति योजना की जानकारी -

क्रं	योजना	कक्षा	वर्ग/लिंग	छात्रवृत्ति (10 माह) प्रति वर्ष रु	आय सीमा/पात्रता
01	राज्य छात्र वृत्ति	3री से 5वी	ST/SC की बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं
			ST/SC की बालिका	800	
		6वी से 8वीं	ST/SC के बालक	600	
			OBC की बालिका	450	पालक/अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आते हो अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।
			OBC के बालक	300	
			OBC की बालिका	600	
02	प्री मैट्रिक	9वी से 10वी	OBC के बालक	450	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक हो
			ST/SC की बालिका	1000	
			ST/SC के बालक	800	
			ST/SC छात्रावासी	7000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो।
			ST/SC गैर छात्रावासी	3000	
			ST छात्रावासी	3800	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो।
03	पोस्ट मैट्रिक	11वी से 12वी	ST गैर छात्रावासी	2300	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 1.00 लाख से अधिक न हो।
			SC छात्रावासी	4000	
			SC गैर छात्रावासी	2500	
			OBC के बालक बालिका छात्रावासी		
			गैर छात्रावासी		
		11 वी	बालक	1000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 1.00 लाख से अधिक न हो।
			बालिका	1100	
		12 वी	बालक	500	
			बालिका	600	
		12 वी	बालक	550	
			बालिका	700	
04	कन्या साक्षरता	6वी	ST/SC की बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं
05	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	ST/SC/OBC छात्रावासी		गैर छात्रावासी	कोई आय सीमा नहीं। किंतु राजस्व से प्रति वर्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
		1ली से 2री	NIL	3500	
		3री से 10वी	8000	3500	

टीप- 1. ST पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को उपरोक्त निर्धारित छात्रवृत्ति के अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित स्थानीय निधी फंड के मदों के शुल्क की राशि का पुनर्भुगतान (Reimburse) भी किया जाता है।

2. अस्वच्छ धंधा की छात्रवृत्ति के विद्यार्थियों को अन्य छात्रवृत्ति देय नहीं है।

3. कक्षा 9वी से 10वी में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति के नाम्स अनुसार बालक/बालिका की दर से छात्रवृत्ति देय है।


उप संचालक
शुलोक शिक्षण संचालनालय

पारिशिष्ट - पन्द्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 606) की जानकारी

प्रपत्र

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ एवं विकासखण्डों को मदवार प्राप्त राशि, कार्य व व्यय की जानकारी

क्र०	वर्ष	जिला एवं विकासखण्ड कार्यालय	मदवार प्राप्त आबंटन		कार्य एवं व्यय राशि	
			मद	राशि रु.	कार्य	व्यय राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
1	2021-22	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़	स्वामी आत्मानंद विद्यालय	2462600	वेतन भत्ता एवं कार्यालय व्यय	2397672
2			वेतन भत्ता	23066700	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	29606974
3			मजदूरी	50157	स्वीपर मानदेय पर व्यय	48051
4			यात्रा व्यय	78000	कर्मचारी के यात्रा व्यय	27276
5			कार्यालय व्यय	900000	कार्यालय के कार्य हेतु	841784
6			विशेष सेवाएँ	23676087	परीक्षा कार्य व अतिथि शिक्षक मानदेय	10752087
7			अनुरक्षण कार्य	49000	गाडी मरम्मत कम्प्यूटर मरम्मत पर	45650
8			अनुदान	61807000	शिक्षा विभाग अन्तर्गत अनुदान शिक्षकों का वेतन पर व्यय	40461401
			योग:-	112089544		84180895
9	2021-22	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	वेतन भत्ता	527753241	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	610458001
10			यात्रा व्यय	289750	कर्मचारियों यात्रा व्यय	63948
11			कार्यालय व्यय	890995	कार्यालय व्ययस्था पर	874177
12			मजदूरी	7712658	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	5687432
13			स्वच्छता	619370	विद्यालय के स्वच्छता व्यवस्था पर	619181
14			मध्याह्न भोजन	6253158	कुकिंग कास्ट रसोईया मानदेय व कार्यालय व्यय पर	6248508
			योग:-	643510172		623951247

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

क्र०	वर्ष	जिला एवं विकासखण्ड कार्यालय	मदवार प्राप्त आबंटन		कार्य एवं व्यय राशि	
			मद	राशि रु.	कार्य	व्यय राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
15	2021-22	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पुसौर	वेतन भत्ता	442677470	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	445725634
16			यात्रा व्यय	289750	कर्मचारियों यात्रा व्यय	44530
17			कार्यालय व्यय	806685	कार्यालय के व्यवस्था	750450
18			मजदूरी	6437192	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	5744871
19			स्वच्छता	619370	विद्यालय के स्वच्छता व्यवस्था पर	619349
20			मध्याह्न भोजन	5215977	कुकिंग कास्ट रसोईया मानदेय व कार्यालय व्यय पर	5215969
			योग:-	456046444		458100803
21	वर्ष 2021-22	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ	शिक्षक मानदेय	288000	अतिथि शिक्षक मानदेय पर व्यय	288000
22			वेतन भत्ता	662982130	अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	744971029
23			यात्रा व्यय	424500	कर्मचारियों यात्रा व्यय	243726
24			कार्यालय व्यय	1361457	कार्यालय के व्यवस्था	1248441
25			मजदूरी	9075639	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय भूगतान	8306044
26			परीक्षा	2580	उ०मा०विद्या०के लिए परीक्षा व्यवस्था	2580
27			स्वच्छता	790770	विद्यालय के लिए स्वच्छता व्यवस्था	769351
28			मध्याह्न भोजन	9703206	कुकिंग कास्ट रसोईया मानदेय व कार्यालय व्यय पर	9703189
			योग:-	684628282		765532360
29	वर्ष 2021-22	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला	शिक्षक मानदेय	432000	अतिथि शिक्षक मानदेय पर व्यय	416400
30			वेतन भत्ता	389595887	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	509712371
31			यात्रा व्यय	329200	कर्मचारियों यात्रा व्यय	191254
32			कार्यालय व्यय	1476971	कार्यालय के व्यवस्था	7469600
33			मजदूरी	7772268	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	2682294

क्र०	वर्ष	जिला एवं विकासखण्ड कार्यालय	मदवार प्राप्त आबंटन		कार्य एवं व्यय राशि	
			मद	राशि रु.	कार्य	व्यय राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
34			स्वच्छता	930490	विद्यालय के स्वच्छता व्यवस्था पर	887668
35			मध्याह्न भोजन	5062012	कुकिंग कास्ट रसोईया मानदेय व कार्यालय व्यय पर	5057835
			योग:-	405598828		526417422
36	वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01. 2023 तक)	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़	स्वामी आत्मानंद विद्यालय	82077000	शिक्षक कर्मचारियों का वेतन भत्ता एवं कार्यालय व्यय	80180308
37			वेतन भत्ता	21660600	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	21304314
38			मजदूरी	66250	स्वीपर मानदेय पर व्यय	42167
39			यात्रा व्यय	128000	कर्मचारी के यात्रा व्यय	13100
40			कार्यालय व्यय	1228000	कार्यालय के कार्य हेतु	746311
41			विशेष सेवाएँ	17547225	परीक्षा कार्य व अतिथि शिक्षक मानदेय	10103268
42			अनुरक्षण कार्य	60000	गाड़ी मरम्मत कम्प्यूटर मरम्मत पर	18750
43			अनुदान	142243181	शिक्षा विभाग अन्तर्गत अनुदान शिक्षकों का वेतन पर व्यय	54508999
			योग:-	265010256		166917217
44	वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01. 2023 तक)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	वेतन भत्ता	621022383	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	610357363
45			यात्रा व्यय	269050	कर्मचारियों यात्रा व्यय	38478
46			कार्यालय व्यय	850140	कार्यालय के व्यवस्था	215890
47			मजदूरी	8721660	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	5249064
48			स्वच्छता	617375	विद्यालय के स्वच्छता व्यवस्था पर	545503
			योग:-	631480608		616406298
49	वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01. 2023 तक)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुसीर	वेतन भत्ता	517886387	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	447071971
50			यात्रा व्यय	267100	कर्मचारियों यात्रा व्यय	30442
51			कार्यालय व्यय	790140	कार्यालय के व्यवस्था	244600

क्र०	वर्ष	जिला एवं विकासखण्ड कार्यालय	मदवार प्राप्त आबंटन		कार्य एवं व्यय राशि	
			मद	राशि रु.	कार्य	व्यय राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
52			मजदूरी	7452086	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	4372776
53			स्वच्छता	605795	विद्यालय के स्वच्छता व्यवस्था पर	605340
			योग:-	527001508		452325129
54	वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01. 2023 तक)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ	शिक्षक मानदेय	306000	अतिथि शिक्षक मानदेय पर व्यय	252000
55			वेतन भत्ता	853352652	अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	723910247
56			यात्रा व्यय	461920	कर्मचारियों यात्रा व्यय	75936
57			कार्यालय व्यय	1031847	कार्यालय के व्यवस्था	336814
58			मजदूरी	13465154	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	10399354
59			परीक्षा	12912	उ०मा०विद्या०के लिए परीक्षा व्यवस्था	0
60			स्वच्छता	430070	उ०मा०विद्या०के लिए स्वच्छता व्यवस्था	332680
			योग:-	869060555		735307031
61	वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.01. 2023 तक)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला	शिक्षक मानदेय	360000	अतिथि शिक्षक मानदेय पर व्यय	270000
62			वेतन भत्ता	453390625	कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	514295743
63			यात्रा व्यय	262000	कर्मचारियों यात्रा व्यय	92728
64			कार्यालय व्यय	724610	कार्यालय के व्यवस्था	31575
65			मजदूरी	10568868	स्वीपर कर्मचारी का मानदेय	1864128
66			स्वच्छता	890560	विद्यालय के स्वच्छता व्यवस्था पर	830105
			योग:-	466196663		517384279

अनुभाग अधिकारी
स्वीपर शिक्षा विभाग
गेब्रालय, महानदी बालन,
नया रायपुर

पारोशिए - सोलह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 736) की जानकारी

iii=

विधानसभा क्षेत्र पण्डरिया के अंतर्गत सेवा सहकारी समितियों के द्वारा वर्ष 2021 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक क्रय किये गये सामग्री की जानकारी

क्र.	सेवा सहकारी समिति का नाम	वर्ष 2020-21 समिति द्वारा क्रय की गई सामग्रियों का विवरण (सामग्रीवार)	वर्ष 2021-22 समिति द्वारा क्रय की गई सामग्रियों का विवरण (सामग्रीवार)	वर्ष 2022-23 समिति द्वारा क्रय की गई सामग्रियों का विवरण (सामग्रीवार)	क्या कालम 5 की खरीदी में भंडारण क्रय नियम का पालन किया गया (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6
1	महली	पंखा, पेन ड्राईव	लेपटॉप, फाइवर कुर्सी	इले.कांटा, कुर्सी	नहीं
2	बघर्रा (नवीन)	—	खुर्सी टेबल, प्रिंटर	—	नहीं
3	पौनी	—	नमीमापक	—	नहीं
4	खैरझिटीनया (नवीन)	—	खुर्सी टेबल, प्रिंटर, लेपटाप	—	नहीं
5	पण्डरिया	लेपटॉप	इले.कांटा, पेनड्राईव	कुर्सी	नहीं
6	किशुनगढ़	—	इले.कांटा	—	नहीं
7	रमतला (नवीन)	—	खुर्सी टेबल, लेपटाप	प्रिंटर	नहीं
8	बाघामुड़ा	प्रिंटर	नमीमापक, ऑलमारी, पंखा	लेपटाप	नहीं
9	दुल्लापुर (नवीन)	—	खुर्सी, टेबल, इलेक्ट्रानिक कांटा	लेपटाप	नहीं
10	खपरी	तारपोलिन, डेनेज, भूसा, कले. कांटा, इले.सामान	तारपोलिन, डेनेज, भूसा, कले. कांटा, इले.सामान	तारपोलिन, डेनेज, भूसा, कले.कांटा, इले.सामान	नहीं
11	मरका	तारपोलिन, डेनेज, भूसा, कले. कांटा, इले.कांटा, इले.समान	तारपोलिन, डेनेज, भूसा, इले. समान	तारपोलिन, डेनेज, भूसा, इले.समान	नहीं
12	गैंदपुर	तारपोलीन डनेज	तारपोलीन डनेज कम्प्युटर सेट	0	नहीं
13	ठाठापुर	तारपोलीन डनेज	तारपोलीन डनेज	0	नहीं
14	गोछिया	तारपोलीन डनेज	तारपोलीन डनेज	0	नहीं
15	चारभांठा	तारपोलीन डनेज	तारपोलीन डनेज	0	नहीं
16	कुकदुर	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, डेमेज सुतली, भूसी, कैमरा,	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, डेमेज सुतली भूसी	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, सुतली, भूसी लेपटाप, प्रिंटर, फर्नीचर इलेक्ट्रानिक्स, नमीमापक	नहीं
17	कामठी (नवीन)	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, सुतली, भूसी लेपटाप, प्रिंटर, फर्नीचर इलेक्ट्रानिक्स, नमीमापक	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, डेमेज सुतली भूसी, फर्नीचर	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, डेमेज सुतली, भूसी	नहीं
18	चांटा	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, सुतली, भूसी लेपटाप, प्रिंटर, फर्नीचर इलेक्ट्रानिक्स, नमीमापक	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर, डेमेज सुतली भूसी, फर्नीचर	1.तारपोलिन प्लास्टिक कवर इलेक्ट्रानिक्स	नहीं

[illegible]

1	2	3	4	5	6
31	कुम्ही	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	नहीं
32	पेंडिकला	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	नहीं
33	बोडतरा	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	तिरपाल, सुतली, रंग, सुजा, ब्रश, बम्बू, इलेक्ट्रिक सामान, भूसा, ड्रेनेज बोरी, स्टेंसील	नहीं
34	इंदौरी	एंगल, गेट एवं जालीतार	इले.कांटा एवं स्टील चेयर	—	नहीं
35	झिरौनी	नमीमापक यंत्र	खुर्सी, टेबल	खुर्सी, टेबल, रेक, डम	नहीं
36	मोहगांव	तिरपाल, सुतली, पन्नी,	तिरपाल, सुतली	सुतली पन्नी, चेयर	नहीं
37	दशरंगपुर	तिरपाल, सुतली, पन्नी, नमी	तिरपाल, सुतली, इले.कांटा,	तिरपाल, सुतली,	नहीं
38	पाण्डातराई	तिरपाल	तिरपाल, सुतली	तिरपाल, सुतली, लेपटाप	नहीं
39	करपीगोडान (पाडी)	तिरपाल, सुतली	तिरपाल, सुतली	तिरपाल, सुतली	नहीं
40	गौरकापा (खैरझिटी पुराना)	तिरपाल	तिरपाल	टेबल कुर्सी, कम्प्यूटर सेट, टेबलेट, इले.कांटा, माइस्वर मशीन	नहीं
41	दशरंगपुर	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, सुतली, भूसी लेपटाप, प्रिंटर, फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स, नमीमापक	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स,	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज सुतली भूसी	नहीं
42	पनेका	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स नमीमापक	नहीं
43	कोसमंदा	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	नहीं
44	सोनपुरी	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	नहीं
45	कृतबंधा	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	नहीं
46	चचेडी	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	1.तारपोलिन प्लास्टिक कर्वर, डेमेज, सुतली, भूसी, इलेक्ट्रॉनिक्स	नहीं


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

राज्य, नरसिंहापुर, अन्तर्गत

परिशेष - सत्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 737) की जानकारी

प्रपत्र - अ

खेलगढ़ी योजना के तहत केन्द्रांश से वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	स्तर	केन्द्रांश राशि रुपये में	राज्यांश राशि रुपये में
1	2	3	4	5
1	2020-21	प्राथमिक	91530000	61020000
		उच्च प्राथमिक	79032000	52688000
		हाई स्कूल	29205000	19470000
		हायर सेकेंडरी स्कूल	40050000	26700000
2	2021-22	प्राथमिक	91407000	60938000
		उच्च प्राथमिक	78912000	52608000
		हाई स्कूल	29070000	19380000
		हायर सेकेंडरी स्कूल	40440000	26960000
3	2022-23 (दिसम्बर 2022)	प्राथमिक	91530000	61020000
		उच्च प्राथमिक	78822000	52548000
		हाई स्कूल	28890000	19260000
		हायर सेकेंडरी स्कूल	40785000	27190000


सहायक संचालक
समग्र शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रश्न - ७

खेलगढ़ी योजना के तहत क्रय सामग्री का नाम एवं संख्या की जानकारी

वर्ष 2021-22

क्र.	स्तर	सामग्री का नाम (प्रति किट)	प्रति शाला प्रति किट सामग्री की संख्या
1	2	3	4
1	प्राथमिक स्तर	प्लास्टिक बैट एवं बाल 01 नग	1
		स्टम्प स्टैड के साथ 01 नग	1
		टेनिस क्रिकेट बॉल 01 पैकेट	1 पैकेट
		फुटबॉल साइज़ 03, 01 नग	1
		चेस बोर्ड 02 नग	2
		6" हरडल 03 नग	3
		9" फ्लाईंग डिस्क 02 नग	2
		कैरम बोर्ड 01 नग	1
		लूडों के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)	1
2	उच्च प्राथमिक स्तर	लकड़ी का क्रिकेट टेनिस बैट 01 नग	1
		लकड़ी का क्रिकेट स्टम्प 04 नग	4
		क्रिकेट बेट 02 नग	2
		बॉलीबाल 01 नग	1
		टेनिस क्रिकेट बाल पैकेट 04 नग (01 पैकेट)	01 पैकेट
		फुटबाल साइज़ 4 नंबर 01 नग	1
		चेस बोर्ड 02 नग	2
		बैडमिंटन रैकेट 02 नग	2
		शटल कार्ड 10 नग 01 पैकेट	01 पैकेट
		कैरम बोर्ड 01 नग	1
		लूडों के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)	1
3	हाई एवं हायर सेकेंडरी स्तर	लकड़ी का क्रिकेट टेनिस बैट 01 नग	1
		लकड़ी का क्रिकेट स्टम्प सेट 06 नग	6
		क्रिकेट बेट 02 नग	2
		टेनिस क्रिकेट बॉल 04 नग, 01 पैकेट	01 पैकेट
		बास्केटबॉल साइज़ नंबर 07, 02 नग	2
		स्किपिंग रोप 06 नग	6
		फुटबॉल 02 नग	2
		थ्रो बॉल 02 नग	2
		पम्प 01 नग	1
		12" हर्डल 03 नग	3

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

स्तर	सामग्री का नाम (प्रति किट)	प्रति शाला प्रति किट सामग्री की संख्या	
2	3	4	
3 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्तर	चेस सेट 05 सेट	5	
	बैंडमिंटन रैकेट 04 नग	4	
	शटल कार्क 10 नग, 01 पैकेट	01 पैकेट	
	कैरम बोर्ड 01 नग	1	
	लूडो के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)	1	
वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022)			
क्र.	स्तर	सामग्री का नाम (प्रति किट)	प्रति शाला प्रति किट सामग्री की संख्या
1	2	3	4
1	प्राथमिक स्तर	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 04 नग	4
		रिंग टॉस थ्रो गेम्स 02 सेट	2
		टेनिस क्रिकेट बॉल 02 सेट	2
		चेस बोर्ड 01 सेट	1
		फुटबॉल साईज 03, 02 सेट	2
		पिटठुल (लगोरी गेम्ससेट) 02 सेट	2
		फ्लाईंग डिस्क 9" 02 सेट	2
		कैरम बोर्ड विथ लूडो 20" 01 सेट	1
2	उच्च प्राथमिक स्तर	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 04 नग	4
		कैरम बोर्ड 28" 01 नग	1
		बास्केटबॉल साईज 07, 02 नग	2
		फुटबॉल साईज 04, 02 नग	2
		टेनिस क्रिकेट बॉल 02 पैकेट	2
		चेस बोर्ड 02 सेट	2
		फ्लाईंग डिस्क 9" 06 नग	6
		पिटठुल (लगोरी गेम्ससेट) 03 सेट	3
		रिंग टॉस थ्रो गेम्स 02 सेट	2
		स्किपिंग रोप 08 नग	8
		थ्रो बॉल साईज 05, 01 नग	1
		शॉटपुट (सीआई शॉट) जूनियर्स 02 नग	2
		पंप 01 नग	1
		3	हाई एवं हायर सेकेंडरी स्तर
बास्केटबॉल साईज 07, 03 नग	3		
फुटबॉल साईज 05, 03 नग	3		
चेस बोर्ड 06 सेट	6		
कैरम बोर्ड 28" 02 सेट	2		
टेनिस क्रिकेट बॉल 06 पैकेट	6		
वालीबाल 01 नग	1		
थ्रो बॉल साईज 05, 04 नग	4		
3	हाई एवं	स्किपिंग रोप 09 नग	9

स्तर	सामग्री का नाम (प्रति किट)	प्रति शाला प्रति किट सामग्री की संख्या
2	3	4
हायर सेकेंडरी स्तर	शॉटपुट (सीआई शॉट) जूनियर्स 02 नग	2
	शॉटपुट (सीआई शॉट) फॉर बालिका 02 नग	2
	शॉटपुट (सीआई शॉट) फॉर बालक 02 नग	2
	डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालिका आल एज ग्रुप 02 नग	1
	डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालक अंडर 17 एज ग्रुप 01 नग	1
	डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालक अंडर 19 एज ग्रुप 01 नग	1
	पंप 01 नग	1

सहायक संचालक
समग्र शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

खेल सामग्री की खरीदी हेतु मापदंड

वर्ष- 2021-22

1. निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ही एस निविदा में भाग ले सकते हैं :-
 - इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी।
 - एल.एल.पी. एक्ट 2008 के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी इकाई।
 - भारतीय क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत तथा जी.एस.टी. पंजीकृत प्रोप्राइटरशिप इकाई।
 निविदा तिथि तक कम से कम 10 वर्षों के पूर्व से कार्यरत होनी चाहिए।
2. निविदाकर्ता किसी भी शासकीय प्रदेश अथवा केन्द्रीय, अर्धशासकी, पी.एस.यू./यू.एल.बी. इत्यादि में ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए।
3. निविदाकर्ता के पास आई.एस.ओ. 9001:2015 होना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता का छत्तीसगढ़ शासन के पास प्रदायकर्ता के रूप में कार्यरत होना आवश्यक है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कम से कम 7 करोड़ रुपये का कार्य अनुभव होना चाहिए।
5. निविदाकर्ता के पास छत्तीसगढ़ में स्थानीय कार्यालय होना जरूरी है।
6. निविदाकर्ता का पिछले 03 वित्तीय वर्षों में (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) कम से कम 10 करोड़ रुपये की सम्मिलित टर्नओवर आवश्यक है।
7. निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/इकाई ही निविदा में भाग ले सकते हैं। एक निर्माता केवल एक व्यक्ति/इकाई को अधिकृत कर सकता है। इससे ज्यादा होने पर उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. निविदाकर्ता को निम्नलिखित निर्माता इकाई के दस्तावेज में से किसी एक का स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
 - एन.एस.आई.सी.
 - एम.एस.एम.ई. उद्यम
 - जिला उद्योग कार्यालय द्वारा प्रमाणित उत्पादन प्रमाण पत्र
9. निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ शासन के सी.एस.आई.डी.सी. विभाग में सम्बंधित एजेंसी से कम से कम एक सेम्पल की सभी सामग्रियों का निरीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

वर्ष- 2022-23

वर्ष- 2022-23 में सीएसआईडीसी के मापदंड पर ई-मानक से क्रय किया गया है।



सहायक संचालक

समग्र शिक्षा

छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रपत्र-८

जिलेवार क्रय किट संख्या एवं व्यय राशि की जानकारी

वर्ष 2021-22

क्र	जिले का नाम	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		हाई/हायर सेकेंडरी	
		किट की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालोद	816	2827440	410	2839250	173	3005875
2	बलौदाबाजार	1183	4099095	636	4404300	255	4430625
3	बलरामपुर	1354	4691610	548	3794900	130	2258750
4	बस्तर	1519	5263335	618	4279650	176	3058000
5	बेमेतरा	743	2574495	387	2679975	166	2884250
6	बीजापुर	539	1867635	158	1094150	62	1077250
7	बिलासपुर	1113	3856545	521	3607925	222	3857250
8	दंतेवाड़ा	590	2044350	204	1412700	59	1025125
9	धमतरी	877	3038805	445	3081625	168	2919000
10	दुर्ग	585	2027025	341	2361425	179	3110125
11	गरियाबंद	975	3378375	450	3116250	145	2519375
12	जी पी एम	542	1878030	235	1627375	67	1164125
13	जांजगीर चाम्पा	1527	5291055	773	5353025	295	5125625
14	जशपुर	1641	5686065	465	3220125	147	2554125
15	कांकेर	1583	5485095	608	4210400	242	4204750
16	कवर्धा	973	3371445	488	3379400	150	2606250
17	कोंडागांव	1225	4244625	600	4155000	159	2762625
18	कोरबा	1464	5072760	518	3587150	179	3110125
19	कोरिया	954	3305610	411	2846175	145	2519375
20	महासमुंद	1277	4424805	491	3400175	185	3214375
21	मुंगेली	658	2279970	272	1883600	130	2258750
22	नारायणपुर	398	1379070	131	907175	34	590750
23	रायगढ़	1966	6812190	902	6246350	265	4604375
24	रायपुर	757	2623005	461	3192425	207	3596625

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

क्र	जिले का नाम	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		हाई/हायर सेकेंडरी	
		किट की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये
2		3	4	5	6	7	8
26	राजनंदगांव	1837	6365205	788	5456900	330	5733750
27	सुकमा	670	2321550	175	1211875	49	851375
27	सूरजपुर	1381	4785165	552	3822600	156	2710500
28	सरगुजा	1322	4580730	564	3905700	159	2762625

वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022)

क्र	जिले का नाम	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		हाई/हायर सेकेंडरी	
		किट की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालोद	816	0	410	0	173	0
2	बलौदाबाजार	1183	0	636	0	255	0
3	बलरामपुर	1353	0	547	0	131	0
4	बस्तर	1521	0	619	0	176	0
5	बेमेतरा	743	0	387	0	166	0
6	बीजापुर	539	0	158	0	62	0
7	बिलासपुर	1113	0	521	0	223	0
8	दंतेवाड़ा	589	0	201	0	60	0
9	धमतरी	877	0	444	0	168	0
10	दुर्ग	585	0	341	0	179	0
11	गरियाबंद	975	0	449	0	146	0
12	जी पी एम	542	0	235	0	67	0
13	जांजगीर चाम्पा	1528	0	774	0	295	0
14	जशपुर	1643	0	465	0	149	0
15	कांकेर	1582	0	608	0	246	0
16	कवर्धा	973	0	488	0	150	0
17	कौडागांव	1224	0	600	0	159	0
18	कोरबा	1462	0	515	0	179	0
19	कोरिया	952	0	409	0	145	0
20	महासमुंद	1277	0	491	0	185	0
21	मुंगेली	659	0	272	0	130	0
22	नारायणपुर	398	0	131	0	34	0

जिले का नाम	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		हाई/हायर सेकेंडरी	
	किट की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये	शाला की संख्या	व्यय राशि रुपये
2	3	4	5	6	7	8
23 रायगढ़	1967	0	902	0	266	0
24 रायपुर	754	0	457	0	207	0
25 राजनंदगांव	1836	0	788	0	330	0
26 सुकमा	716	0	174	0	49	0
27 सूरजपुर	1381	0	553	0	156	0
28 सरगुजा	1321	0	562	0	159	0


 सहायक संचालक
 समय शिक्षा
 रायपुर, छत्तीसगढ़

परिशेष - अट्टारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 744) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2021-22

(राशि रु. लाख में)

क्र.	विकासखण्ड का नाम	छात्रावास/आश्रम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम छिन्दोला में जीर्णोद्धार कार्य	अनुरक्षण कार्य	5.13	5.13
2	मैनपुर	आदि.कन्या आश्रम कुल्हाड़ीघाट में जीर्णोद्धार कार्य	अनुरक्षण कार्य	12.55	12.55
3	मैनपुर	आदि.कन्या आश्रम कालीमाटी में लघु मूल निर्माण कार्य	अनुरक्षण कार्य	11.85	11.85
4	गरियाबंद	आदि.कन्या आश्रम, गरियाबंद में जीर्णोद्धार कार्य (शीट युक्त भवन)	अनुरक्षण कार्य	6.75	6.75
5	मैनपुर	आदि.बालक आश्रम, मैनपुर में जीर्णोद्धार कार्य	अनुरक्षण कार्य	8.66	7.45
6	गरियाबंद	पो.मे.आदि.बालक छात्रा.गरियाबंद में जीर्णोद्धार कार्य	अनुरक्षण कार्य	5.00	5.00
7	गरियाबंद	प्री.मे.आदि.कन्या छात्रा.गरियाबंद में जीर्णोद्धार कार्य	अनुरक्षण कार्य	7.24	7.24
8	गरियाबंद	प्री.मे.आदि.कन्या छात्रा.गरियाबंद में क्षतिग्रस्त चाहरदिवारी का निर्माण कार्य	अनुरक्षण कार्य	1.76	1.74
9	गरियाबंद	ट्रेनिंग सेंटर पंटोरा में अति.अहाता निर्माण कार्य	अनुरक्षण कार्य	5.25	5.25

क्र.	विकासखण्ड का नाम	छात्रावास/आश्रम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
10	गरियाबंद	आदि.कन्या आश्रम पंटोरा में नवीनीकरण कार्य	अनुरक्षण कार्य	4.93	4.93
11	मैनपुर	प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.मैनपुर में बोर खनन एवं सबमर्शिबल पंप, पानी टंकी एवं पाइप फिटिंग कार्य	अनुरक्षण कार्य	1.81	1.81
कुल योग:-				70.93	69.70

वर्ष 2022-23

1	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम, टेंवारी	लघु निर्माण/अनुरक्षण	4.64	0.00
2	मैनपुर	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास, मैनपुर	लघु निर्माण/अनुरक्षण	3.66	0.00
3	राजिम	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास, राजिम	लघु निर्माण/अनुरक्षण	4.21	0.00
4	मैनपुर	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास, गोहरापदर	लघु निर्माण/अनुरक्षण	5.61	3.52
5	गरियाबंद	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास, लिटीपारा	लघु निर्माण/अनुरक्षण	19.43	16.40
6	गरियाबंद	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास, लिटीपारा	लघु निर्माण/अनुरक्षण	5.10	0.00
7	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम, बड़ेगोबरा	लघु निर्माण/अनुरक्षण	1.93	0.00
8	गरियाबंद	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास, बिन्दानवागढ़	लघु निर्माण/अनुरक्षण	18.57	10.00
9	गरियाबंद	आदिवासी बालक आश्रम, धवलपुर	लघु निर्माण/अनुरक्षण	3.72	0.00
10	छुरा	आदिवासी कन्या आश्रम, नागिनबाहरा	लघु निर्माण/अनुरक्षण	4.58	0.00
11	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, नगबेल-गरहाडीह	लघु निर्माण/अनुरक्षण	8.26	0.00
12	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, शोभा	लघु निर्माण/अनुरक्षण	15.50	0.00
13	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम, इंदागांव (साहेबिनकच्छार)	लघु निर्माण/अनुरक्षण	1.50	0.00
14	गरियाबंद	आदिवासी कन्या आश्रम मौहामाठा (गरियाबंद)	लघु निर्माण/अनुरक्षण	89.90	0.00
15	छुरा	आदिवासी बालक आश्रम तौरंगा (छुरा)	लघु निर्माण/अनुरक्षण	80.85	0.00
16	गरियाबंद	कमार बालक आश्रम गरियाबंद	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00
17	मैनपुर	आदिवासी बालक आश्रम देहागुड़ा	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00

क्र.	विकासखण्ड का नाम	छात्रावास/आश्रम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
18	मैनपुर	आदिवासी कन्या आश्रम कालीमाटी	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00
19	छुरा	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पाण्डुका	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00
20	छुरा	पो.मै.आदि.बालक छात्रावास छुरा	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00
21	देवभोग	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास देवभोग	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00
22	देवभोग	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास देवभोग	बोर खनन, सबमर्शिबल पंप, पाइप फिटिंग पानी टंकी	2.10	0.00
	कुल योग:-			282.16	29.92


अनुपम अचर्य
 आवास जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-“ब”

वर्ष 2021-22

क्र.	स्वीकृत राशि	क्रय सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर	एजेंसी/संस्था/ फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	355000.00	फिनाईल	1500	85.00	मै. धन्वतरी केमिकल्स अंजनी	151342
2		पंखा	37	2600.00	मै. साई टेक्नोसेल्स बोरियाकला	114197
3		पिलो कव्हर	516	165.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	89397
4	532000.00	कुकुर 12 ली.	50	2400.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	135250
5		स्टील थाली 1000 नग $\frac{1}{4} \times 0.530 \text{kg}$	530	300.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	179206
6		स्टील गिलास 1000 नग	125	360.00		50719
7		दाल पात्रा 200 नग	170	360.00		68977
8		जग 200 नग	66	300.00		22316
9		दरी फर्श	130	525.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	71663
10		फिनाईल	1500	85.00	मै. धन्वतरी केमिकल्स अंजनी	151342
11	580000.00	पंखा	112	2600.00	मै. साई टेक्नोसेल्स बोरियाकला	345678
12		पिलो कव्हर	478	165.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	82814
13		कुकुर 18ली.	50	3500.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	197239
14	870000.00	चौमुख 200 नग	270	360.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	109552
15		भगोना 200 नग	528	300.00		178529
16		स्टील पानी ड्रम 200 नग	820	260.00		240293
17		दरी फर्श	220	525.00		121275
18		पर्दा तैयार	30	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	21263

क्रं.	स्वीकृत राशि	क्रय सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर	एजेंसी / संस्था / फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
19	360000.00	पलंग	68	4456.00	मै. वर्षा इन्डस्ट्रीज बेमेतरा	359694
20		पलंग	50	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	264481
21	540000.00	स्टूडेंट टेबल	95	1242.00	मै. महावीर इन्टरप्राजेस स्वेल्डीह	140064
22		स्टूडेंट चेयर	96	1185.00		135042
23	408000.00	पलंग	77	4456.00	मै. वर्षा इन्डस्ट्रीज बेमेतरा	407301
24		पलंग	75	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	396722
25	610000.00	स्टूडेंट टेबल	74	1242.00	मै. महावीर इन्टरप्राजेस स्वेल्डीह	109102
26		स्टूडेंट चेयर	74	1185.00		104095
27	480000.00	एल.ई.डी. बल्ब 15 वाट	1278	199.00	मै. आर.जी. इन्टरप्राजेस रायपुर	286641
28		एल.ई.डी. टी.वी.	5	31400.00	मै. फुडुरजोन बोरियाकला	186372
29		स्टूडेंट टेबल	100	1242.00	मै. महावीर इन्टरप्राजेस स्वेल्डीह	147435
30	456000.00	स्टूडेंट चेयर	100	1185.00		140669
31		अलमारी	16	8500.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	161443
32	175000.00	अलमारी	17	8500.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	171533
33	504000.00	गद्दा	111	3800.00	मै. अरविन्द इन्डस्ट्रीज रायपुर	500710
34		गद्दा	100	3300.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	391736
35	450000.00	पर्दा तैयार	73	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	58145
36	800000.00	गद्दा	177	3800.00	मै. अरविन्द इन्डस्ट्रीज रायपुर	798430
37		गद्दा	150	3300.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	587605
38	787000.00	पर्दा तैयार	250	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	199125
39		पंखा	64	2600.00	मै. साई टेक्नोसेल्स बोरियाकला	197530
40	200000.00	पिलो कव्हर	6	165.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	1040
41	287000.00	पर्दा तैयार	400	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	283500
42	20000.00	पंखा	6	2600.00	मै. साई टेक्नोसेल्स बोरियाकला	18518
43	27000.00	पर्दा तैयार	38	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	26933

क्र.	स्वीकृत राशि	क्रय सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर	एजेंसी/संस्था/ फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
44	150000.00	पलंग	28	4456.00	मै. वर्षा इन्डस्ट्रीज बेमेतरा	148109
45		पलंग	25	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्डिंग वर्क डेकोर	132241
46	195000.00	स्टूडेंट टेबल	23	1242.00	मै. महावीर इन्टरप्राजेस खेलडीह	33910
47		स्टूडेंट चेयर	20	1185.00		28134
48	20000.00	पलंग	3	4456.00	मै. वर्षा इन्डस्ट्रीज बेमेतरा	15868
49		स्टूडेंट टेबल	8	1242.00	मै. महावीर इन्टरप्राजेस खेलडीह	11795
50	27000.00	स्टूडेंट चेयर	10	1185.00		14067
51	50000.00	एल.ई.डी.बल्ब 15 वाट	222	199.00	मै. आर.जी. इन्टरप्राजेस रायपुर	49792
52	64000.00	अलमारी	6	8500.00	मै. द्विवेदी वेल्डिंग वर्क डेकोर	60541
53	22000.00	एल.ई.डी.बल्ब 15 वाट	98	199.00	मै. आर.जी. इन्टरप्राजेस रायपुर	21980
54	17000.00	अलमारी	1	8500.00	मै. द्विवेदी वेल्डिंग वर्क डेकोर	10090
55	152000.00	गद्दा	33	3800.00	मै. अरविन्द इन्डस्ट्रीज रायपुर	148860
56	102000.00	पर्दा तैयार	127	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	101156
57	30000.00	गद्दा	6	3800.00	मै. अरविन्द इन्डस्ट्रीज रायपुर	27065
58	26000.00	पर्दा तैयार	32	675.00	सचिन ट्रेडर्स किरवाई	25488
योग	9296000.00	-	-	-	-	9234012.17

क्रं.	स्वीकृत राशि	क्रय सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर	एजेंसी/संस्था/ फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2022-23						
1	19000.00	पंखा	10	1560.00	मै. अर्बन सप्लायर रायपुर	18022.00
2	355000.00	फिनाईल	1500	85.00	मै. नलिन मेडिकल स्टोर्स सूरजपुर	147289.00
3		पंखा	85	1560.00	मै. अर्बन सप्लायर रायपुर	153181.00
4		ग्लास 800 नंबर (0.125)	100	360.00	मै. मनीषा इन्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	39197.00
5	580000.00	फिनाईल	1500	85.00	मै. नलिन मेडिकल स्टोर्स सूरजपुर	147289.00
6		पलंग	18	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	92657.00
7		पंखा	152	1560.00	मै. अर्बन सप्लायर रायपुर	273923.00
8		कढ़ाही 24 नंबर (5.2)	124.80	350.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	47559.00
9	210000.00	पंखा	56	1560.00	मै. अर्बन सप्लायर रायपुर	100918.00
10		भगोना/टॉप 40 नं. (5.1)	204	350.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	77740.00
11		भगोने की लीड/टॉप 40 नं. (1.1)	44	350.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	16768.00
12		पंखा	7	1560.00	मै. अर्बन सप्लायर रायपुर	12615.00
13		पलंग	8	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	41182.00
14		पलंग	68	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	350038.00
15		पलंग	77	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	396367.00
16		पलंग	27	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	138986.00
17	13000.00	पलंग	2	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	10295.00
18	300000.00	सम्पूर्ण खेल पोषाक ट्रेक शूट, जर्सी, निक्कर, जूता मोजा	100	2990.00	मै. संजारी इन्टरप्राइजेस रायपुर	290670.00
19	455000.00	स्ट्रीट लाइट 25 वॉट	105	1199.00	मै. ओरियनटल सेल्स कॉर्पोरेशन रायपुर	145436.00
20		थाली (0.53 केजी)	530	300.00	मै. मनीषा इन्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	173119.00
21		पलंग	22	4456.00	मै. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क डेकोर	113248.00
22	75000.00	एल.ई.डी.बल्ब 15 वाट	316	199.00	मै. आर.जी. इन्टरप्राइजेस रायपुर	72645.00
23	60000.00	एल.ई.डी.बल्ब 15 वाट	252	199.00	मै. आर.जी. इन्टरप्राइजेस रायपुर	57932.00
24	15000.00	एल.ई.डी.बल्ब 15 वाट	62	199.00	मै. आर.जी. इन्टरप्राइजेस रायपुर	14253.00
25	37000.00	तकिया	79	392.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सूरजपुर	35773.00
26	610000.00	गद्दा	259	1979.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सूरजपुर	592113.00

क्रं.	स्वीकृत राशि	क्रय सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर	एजेंसी/संस्था/ फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
27		गद्दा	219	1979.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	500668.00
28	988000.00	तकिया	421	392.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	190647.00
29		मच्छरदानी	1300	200.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	266893.00
30	170000.00	गद्दा	72	1979.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	164604.00
31	32000.00	मच्छरदानी	150	200.00	मै. छत्तीसगढ़ इन्टरप्राजेस सूरजपुर	30795.00
योग	4888000.00					4712822.00

अनुमान अधिकारी
आरक्षित जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - उन्नीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 747) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रदेश में जर्जर शाला भवन की जानकारी।

क्र.	जिला	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेंडरी	योग
1	बालोद	545	253	15	41	854
2	बलौदाबाजार	328	118	3	14	463
3	बलरामपुर	628	255	13	28	924
4	बस्तर	305	101	8	50	464
5	बेमेतरा	637	311	26	55	1029
6	बीजापुर	152	32	0	2	186
7	बिलासपुर	774	305	52	49	1180
8	दंतेवाड़ा	307	105	6	3	421
9	धमतरी	239	111	11	32	393
10	दुर्ग	396	213	30	70	709
11	गरियाबंद	468	187	11	23	689
12	गौरेला-पेण्डुर-मरवाही	124	57	1	4	186
13	जाजगीर-चांपा	370	166	22	29	587
14	जशपुर	722	221	16	32	991
15	काकोर	250	100	4	38	392
16	कवर्धा	305	200	12	23	540
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	132	53	1	4	190
18	कोण्डागांव	536	204	3	8	751
19	कोरबा	390	154	13	21	578
20	कोरिया	209	96	8	6	319
21	महासमुंद	340	63	17	41	461
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	223	118	7	8	356
23	मोहला-मानपुर-चौकी	126	41	0	3	170
24	मुंगेली	129	77	8	8	222
25	नारायणपुर	40	14	2	4	60
26	रायगढ़	1260	550	47	100	1957
27	रायपुर	284	120	5	47	456
28	राजनांदगांव	262	123	5	23	413
29	सक्ती	281	122	0	5	408
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	320	118	5	8	451
31	सुकमा	379	108	26	8	521
32	सुरजपुर	674	235	13	35	957
33	सरगुजा	939	370	25	34	1368
योग:-		13074	5301	415	856	19646


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परिशेष - बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 748) की जानकारी

प्रपत्र-अ

निजी विद्यालयों को किए गए भुगतान का विवरण

क.	जिला	वर्ष 2019 से 2022 तक कुल प्रवेशित छात्र संख्या	जिलेवार भुगतान की गई राशि			
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कवर्धा	4967	37444155	39994756	49454196	वर्ष 2022-23 में दावा प्रक्रियारत है।
2	कांकेर	3770	42788298	17739342	46451578	
3	कोंडागांव	2779	15223311	16190538	Nil	
4	कोरबा	13943	96870627	97827388	120471944	
5	कोरिया	5276	21790330	34676211	41423428	
6	गरियाबंद	3425	11932540	13428235	24221594	
7	गौरैला-पेंडा-मरवाही	1434	-	30649731	Nil	
8	जशपुर	4918	8053120	30073031	Nil	
9	जांजगीर-चाम्पा	14578	112274570	71178723	134153750	
10	दन्तेवाड़ा	585	3916664	4586680	2724504	
11	दुर्ग	15516	139156511	128709271	Nil	
12	धमतरी	5294	49750919	45172048	24471054	
13	नारायणपुर	315	2742519	2343462	3553626	
14	बलरामपुर	5916	22090411	29561153	42080055	
15	बलौदा बाजार-भाटापारा	11686	27865844	67602759	82334433	
16	बस्तर	5909	40189260	29374141	35763032	
17	बालोद	3798	23361363	4520703	29507386	
18	बिलासपुर	18448	122442554	106751073	139098663	
19	बीजापुर	1004	5792326	7190930	8123338	
20	बेमेतरा	4379	28989529	29949106	35895441	
21	महासमुंद	6966	47988494	40583776	65536019	
22	मुंगेली	9316	18350656	38540905	45909653	
23	राजनांदगांव	10826	14487503	78370755	Nil	
24	रायगढ़	11149	21047143	61981688	73671751	
25	रायपुर	18886	173821050	172668974	174233142	
26	सक्ती	6337	57617341	13395931	63892935	
27	सरगुजा	5164	16704012	24206254	Nil	
28	सुकमा	526	7689946	5683410	Nil	
29	सुरजपुर	8796	25562366	Nil	Nil	
कुल:		205906	1195943360	1242950974	1242971522	


अनुपमा अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

भुगतान हेतु लंबित राशि का विवरण

क.	जिला	वर्ष 2019 से 2022 तक कुल प्रवेशित छात्र संख्या	वर्षवार शेष भुगतान की जानकारी			
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	कवर्धा	4967	4571329	4647566	दावा शेष नहीं	वर्ष 2022-23 में दावा प्रक्रियारत है।
2	कांकेर	3770	दावा शेष नहीं	24608899	558060	
3	कोंडागांव	2779	460000	2648220	16919365	
4	कोरबा	13943	दावा शेष नहीं	7104957	दावा शेष नहीं	
5	कोरिया	5276	दावा शेष नहीं	2404730	दावा शेष नहीं	
6	गरियाबंद	3425	दावा शेष नहीं	7606754	135738	
7	गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	1434	दावा शेष नहीं	6474978	32264842	
8	जशपुर	4918	7944584	2385083	38170175	
9	जांजगीर-चाम्पा	14578	2970214	52085914	372886	
10	दन्तेवाड़ा	585	दावा शेष नहीं	दावा शेष नहीं	दावा शेष नहीं	
11	दुर्ग	15516	19525559	14365824	163484537	
12	धमतरी	5294	दावा शेष नहीं	1140035	दावा शेष नहीं	
13	नारायणपुर	315	67500	1643582	दावा शेष नहीं	
14	बलरामपुर	5916	1200000	5062930	दावा शेष नहीं	
15	बलौदा बाजार-भाटापारा	11686	दावा शेष नहीं	3671870	दावा शेष नहीं	
16	बस्तर	5909	दावा शेष नहीं	11309845	181360	
17	बालोद	3798	दावा शेष नहीं	24222288	दावा शेष नहीं	
18	बिलासपुर	18448	9292627	9044321	दावा शेष नहीं	
19	बीजापुर	1004	दावा शेष नहीं	दावा शेष नहीं	दावा शेष नहीं	
20	बेमेतरा	4379	1819821	3088800	दावा शेष नहीं	
21	महासमुंद	6966	दावा शेष नहीं	19018336	दावा शेष नहीं	
22	मुंगेली	9316	दावा शेष नहीं	3262783	दावा शेष नहीं	
23	राजनांदगांव	10826	2308838	13340156	55588601	
24	रायगढ़	11149	908603	7002733	660404	
25	रायपुर	18886	26420259	17468454	दावा शेष नहीं	
26	सक्ती	6337	35179260	42512886	993000	
27	सरगुजा	5164	1128000	19254673	45951255	
28	सुकमा	526	18900	82160	5916909	
29	सुरजपुर	8796	दावा शेष नहीं	50490133	69525980	
	कुल:	205906	113815494	355948910	430723112	

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
भिलाई, छत्तीसगढ़

पारिशेष - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 752) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

(राशि रुपये में)

क्र.	वर्ष	गतिविधि/मद का नाम	केन्द्र व राज्य से प्राप्त/ स्वीकृत राशि		कुल व्यय राशि
			राज्य मद	केन्द्र मद	
1	2	3	4	5	6
1	2021.22	राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव	0.00	20,00,000.00	1,51,62,093.00
2		राज्य स्तरीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता	0.00	10,00,000.00	
3		राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव	0.00	15,49,000.00	
		योग	0.00	45,49,000.00	1,51,62,093.00



अनुभाग-अधिकारी

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-“ब”

(राशि रुपये में)

क्र.	व्यक्ति/संस्था/फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	चयन का आधार
1.	2.	3.	4.	5.
1.	छत्तीसगढ़ फिल्म एवं विजुअल आर्ट सोसाइटी, सड्डू रायपुर “लमझना नाट्य कार्यक्रम”	92000	.	उच्च कोटि प्रदर्शन के आधार पर
2.	अचिन्त्य, कला साहित्य रंगमंच “गुण्डाधुर नाट्य कार्यक्रम”	99000	.	छ.ग. के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आधारित नाट्य कार्यक्रम के उच्च कोटि प्रदर्शन के आधार पर
3.	अनुविभागीय अधि. लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग क02 रायपुर	251250	.	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
4.	अनुविभागीय अधि. लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग क02 रायपुर	50000	.	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
5.	श्री अमित वर्मा	495000	.	परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित
6.	गरीब नवाज टूर एंड ट्रेवल्स	243066	159934	पोटोकाल दर पर
7.	कृष्णा ट्रान्सकोनेक्ट प्राइ.लिमि. जगदलपुर “शहीद वीरनारायण सिंह नाट्य कार्यक्रम”	44730	.	छ.ग. के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आधारित नाट्य कार्यक्रम के उच्च कोटि प्रदर्शन के आधार पर
8.	श्री हितेश सिंह ठाकुर	9700	.	परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित पोटोकाल दर पर
9.	अनमोल गिफ्टिंग रायपुर	123900	.	छ0ग0 भण्डार कय नियम
10.	पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बॉस कला) जगदलपुर	42440	.	छ0ग0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर
11.	छ.ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर	538422	.	ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
12.	श्री सीताराम शंकुन्तला देवी चेरिटेबल, श्री राम सेवा सदन	130500	.	आवास सुविधा उपलब्धता के आधार पर
13.	शिक्षक छात्रावास, पं.रवि.वि.वि. रायपुर	16200	.	पं.रवि.विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित दर पर
14.	मौ महामाया मार्केटिंग	66334	.	कलेक्टर रायपुर द्वारा निर्धारित दर पर
15.	क्लासिक स्टेशनरी	34743	.	छ0ग0 भण्डार कय नियम के आधार पर
16.	विजय मार्केटिंग, रायपुर	28320	.	
17.	साई आटोमेशन रायपुर	156704	.	
18.	दक्ष स्टेशनरी रायपुर	27971	.	

क्र.	व्यक्ति/संस्था/फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	चयन का आधार
1.	2.	3.	4.	5.
19.	मुकुन्द रेडियो रायपुर	150000	.	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
20.	आशरा लाईट साउंड, भिलाई	150000	.	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
21.	होटल आदित्य रायपुर	31992	.	होटल कक्ष उपलब्धता के आधार पर
22.	होटल वेनकार्टेस इन्टरनेशनल रायपुर	90160	.	होटल कक्ष उपलब्धता के आधार पर
23.	होटल पिकाडली रायपुर	311617	.	होटल कक्ष उपलब्धता के आधार पर
24.	होटल एम.पी.आई.एन.एन. रायपुर	447920	.	होटल कक्ष उपलब्धता के आधार पर
25.	अमर भारत किराया भण्डार रायपुर (आवासीय सामग्री गद्दा, तकिया आदि)	805000	.	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
26.	एस.आर. वेन्चर्स, रायपुर	229175	.	छ0ग0भण्डार क्रय नियम
27.	अमर भारत किराया भण्डार रायपुर	2278435	652485	लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर
28.	अमर भारत किराया भण्डार रायपुर	406000	3394000	छ0ग0 भण्डार क्रय नियम
29.	बुरहानी डाक्यूमेन्ट्री	323261	.	छ0ग0 भण्डार क्रय नियम
30.	छ0ग0 संवाद रायपुर	.	482359	छ0ग0 संवाद द्वारा निर्धारित दर पर
31.	माईएफएम	50654	.	रेडियो एफएम द्वारा निर्धारित दर पर
32.	व्यापक (इवेन्ट स्टेट)	.	600000	रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा निर्धारित दर पर


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - बाईस
परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 759) की जानकारी

57.37

क्र	विद्यालय का नाम	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं विवरण
1	2	7	8	9
1	पू.माध्य.शा. बरकानी	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
2	पू.माध्य.शा. बरबाहली	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
3	पू.माध्य.शा. सुकलीभाटा पु.	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
4	पू.माध्य.शा. सीनापाली	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
5	पू.माध्य.शा. सितलीजोर	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
6	पू.माध्य.शा. सरगीगुड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
7	बा.पू.माध्य.शा. बाड़ीगांव	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
8	पू.माध्य.शा. चिचिया	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
9	पू.माध्य.शा. माहुलकोट	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
10	पू.माध्य.शा. घुमरगुड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
11	पू.माध्य.शा. दिवानमुड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
12	पू.माध्य.शा. सेन्दमुड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
13	पू.माध्य.शा. झाखरपारा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
14	पू.माध्य.शा. डूमरपीटा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
15	पू.माध्य.शा. गिरसूल	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
16	पू.माध्य.शा. सुकलीभाटा न.	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
17	पू.माध्य.शा. कदलीमुड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
18	पू.माध्य.शा. मुड़ागांव	50000	49102	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
19	पू.माध्य.शा. सुपेबेड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
20	पू.माध्य.शा. उसरीपानी	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
21	पू.माध्य.शा. धौराकोट	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
22	पू.माध्य.शा. दहीगांव	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
23	पू.माध्य.शा. कुम्हड़ईकला	50000	49114	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
24	पू.माध्य.शा. घोघर	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
25	बा.पू.माध्य.शा. देवभोग	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
26	पू.माध्य.शा. लाटापारा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
27	पू.माध्य.शा. करचिया	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
28	पू.माध्य.शा. मोखागुड़ा	50000	49098	खुराना पब्लिशिंगा हाउस, दिल्ली
29	पू.माध्य.शा. कुम्हड़ईखुर्द	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
30	पू.माध्य.शा. डोहल	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
31	पू.माध्य.शा. गोहरापदर	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
32	पू.माध्य.शा. झिरीपानी	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
33	पू.माध्य.शा. बरही	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
34	पू.माध्य.शा. गंगराजपुर	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
35	पू.माध्य.शा. डूमरबाहल	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
36	पू.माध्य.शा. करलागुड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
37	पू.माध्य.शा. खोकसरा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
38	पू.माध्य.शा. गाड़ाघाट	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
39	पू.माध्य.शा. भतराबहली	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
40	पू.माध्य.शा. जामगांव	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
41	पू.माध्य.शा. मगररोड़ा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992

42	पू.माध्य.शा. खुटगांव	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
43	पू.माध्य.शा. नवागांव	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
44	बा.पू.माध्य.शा. मुंगझर	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
45	क.गां.बा.आ.वि. देवभोग	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
46	पू.माध्य.शा. पुरनापानी	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
47	पू.माध्य.शा. निष्टिगुडा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
48	पू.माध्य.शा. रोहनागुडा	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
49	क.पू.माध्य.शा. मुंगझर	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
50	पू.माध्य.शा. माडागांव	50000	49098	एम. बी. जी. एन. वार्ड नं 14 फिंगेश्वर, 493992
		2500000	2454920	


 अति. सहा. मुख्य ग्रंथपाल
 लोक शिक्षण संचालनालय
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र- 'ब'

क्रं.	पुस्तक का नाम	राशि
1	बाल हिन्दी शब्दकोष	550
2	इलेक्ट्रानिक्स और उनकी देखभाल	500
3	राजसंहि	400
4	वरदान	400
5	त्याग का मूल	400
6	भुगोल शिक्षण का विकास	600
7	GK सामान्य ज्ञान	500
8	ऑख की किरकिरी	400
9	अजात शत्रु	400
10	आनन्द मठ	350
11	भगत सिंह	100
12	मनोरजन खगोलीक विज्ञान-1	400
13	इतिहास शब्दकोश	500
14	कपाल कुण्डला	400
15	देवी चौधरानी	450
16	कायाकल्प	400
17	राजनितिशास्त्र शब्दकोष	500
18	भौतिकी शिक्षण का महत्व	600
19	समाजशास्त्र शब्दकोश	600
20	मुहावरा-लोकवित् कोश (अंग्रेजी-हिन्दी)	500
21	हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश	600
22	Dictionary of mathematics	500
23	संस्कृत-हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश	850
24	चन्द्रगुप्त	350
25	Dictionary of physics	600
26	खेल खिलाड़ी और सम्प्लोषण	450
27	धर्मशास्त्र शब्दकोश	500
28	दर्शनशास्त्र शब्दकोश	500
29	निर्मला	350
30	कर्मभूमि	400
31	कामायनी	400
32	हिन्दी-व्याकरण रचना एवं छन्दशास्त्र	500
33	कला-साहित्य शब्दकोश	550
34	स्कन्दगुप्त	400
35	पानी एवं अहम भूमिका	300

36	गोदान	400
37	कबला	400
38	प्रेरणाप्रद निबन्ध	350
39	Dictionary of chemistry	500
40	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	600
41	English-Hindi Dictionary (अंग्रेजी-हिन्दी)	900
42	Dictionary of Medical	800
43	हिन्दी रचना एवं छंद अलंकार	500
44	प्रसन्नता की कुंजी	500
45	भारत के राष्ट्रपति	500
46	अप्रत्याशित चिंताएं	505
47	भारत के प्रधानमंत्री	500
48	सामाजिक पर्यावरण	500
49	स्वास्थ्य मन निरोगी काया	500
50	स्नदेह	650
51	प्रतिज्ञा	400
52	प्रेमाश्रम	550
53	बिराज बहु	600
54	श्रीकांत	800
55	एक और सच (कहानी संग्रह)	500
56	ग्रहदाह	600
57	खेल-खेल में शारीरिक शिक्षा	500
58	मूंगे का विचित्र टापू	500
59	हमारे प्रेरण स्रोत	600
60	सकून और स्वप्नफल विचार	600
61	खिलते फूल	500
62	जयशंकर प्रदान की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ-1	500
63	महिला स्वास्थ्य एवं सामान्य रोग	500
64	जीवों की उत्पत्ति	450
65	आदर्श विद्यार्थी के गुण	450
66	सुख का आधार मेहनत	600
67	चरित्रहीन	700
68	हिन्दी निबन्ध	400
69	बैरागी	500
70	देना पावना	500
71	नारियों का बदलता स्वरूप	500
72	बड़ी दीदी	400
73	विचारों का मंथन	500
74	शिशिर की धूप	600
75	सत्ता, समाज और शिक्षा	500
76	खेलों की दुनिया	400
77	भगवान बुद्ध के उपदेश	400
78	स्ती	300

79	श्रंगभूमि	600
80	हम स्वयं कैसे बने	500
81	दलितों कर मसीहा डॉ. भीमराव अम्बेडकर	400
82	भारत के राज्य	600
83	ब्राम्हण की बेटी	400
84	पथ के दावेदार	500
85	जानिए भारत को	500
86	चेकोस्लोवाकिया की लोक कथाएँ	500
87	स्वास्थ्य की कुंजी	500
88	चन्द्रनाथ	500
89	उत्तम स्वास्थ्य के लिये भोजन	500
90	हिन्दी निबन्ध पत्र लेखन अनुच्छेद	500
91	हिन्दी निबन्ध पत्र लेखन कहानियाँ	500
92	बेटी हो तो ऐसी	500
93	सरल हिन्दी व्याकरण एवं रचना	500
94	अनुज बाल-एटलस	400
95	दलित साहित्य और संघर्ष	400
96	जीव-जगत का खेल	550
97	चाणक्य नीति	500
98	भण्डार कय नियम	300
99	शिक्षा संहिता	1795


 अति. सहा. मुख्य ग्रंथपाल
 लोक शिक्षण संचालनालय
 रायपुर (छ.ग.)

परीक्षेष्ट - तेईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 779) को जानकारी

प्रपत्र अ

क्र	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का नाम	प्राचार्य			व्याख्याता			प्रधानपाठक संवर्ग (मा.शा. + प्रा.शा.)			शिक्षक संवर्ग (शिक्षक+कम्प्यू. शिक्षक+ व्यायाम शि.)			सहा शिक्षक संवर्ग (स. शिक्षक+सहा. शि. प्रयोगशाला)			ग्रंथपाल			लिपिक संवर्ग (सहा. ग्रेड 2+3)			चतुर्थ श्रेणी संवर्ग		
		स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त	स्त्री	पुरुष	रिक्त
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जे. एम.पी. तखतपुर	1	1	0	14	14	0	2	2	0	10	7	3	8	5	3	1	1	0	2	2	0	7	7	0
2	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डी.के.पी. कोटा	1	1	0	14	12	2	2	0	2	10	7	3	8	6	2	1	1	0	2	1	1	7	7	0
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मस्तूरी	1	1	0	14	14	0	2	2	0	10	6	4	8	7	1	1	1	0	2	1	1	7	7	0
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चकरभाठा बिलासपुर	1	1	0	14	14	0	2	2	0	11	4	7	8	8	0	1	0	1	2	2	0	7	7	0
5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलकनगर बिलासपुर	1	1	0	8	8	0	2	1	1	12	5	7	14	4	10	1	1	0	1	1	0	8	8	0
6	स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर	1	1	0	19	18	1	2	2	0	13	12	1	11	9	2	1	0	1	2	2	0	9	6	3
7	स्वामी आत्मानंद डॉ. बी.आर. अंबेडकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर	1	1	0	19	15	4	2	2	0	15	15	0	14	12	2	1	1	0	2	1	1	9	5	4
योग:-		7	7	0	102	95	7	14	11	3	81	56	25	71	51	20	7	5	2	13	10	3	54	47	7

2 उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

प्रपत्र ब

सर्वगवार प्रतिनियुक्ति, संविदा एवं नियमित भर्ती से भरे गये पदों की जानकारी

क्र.	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का नाम	प्राचार्य			व्याख्याता			प्रधानपाठक संवर्ग (मा.शा. + प्रा.शा.)			शिक्षक संवर्ग (शिक्षक+कम्प्यु. शिक्षक+ व्यायाम शि.)			सहा शिक्षक संवर्ग (स. शिक्षक+सहा.शि. प्रशेगशाला)			ग्रंथपाल			लिपिक (सहा.ग्रेड2+3)			चतुर्थ श्रेणी		
		प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.	प्रति.	संवि.	निय.
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जे. एम.पी. तखतपुर	1	0	0	12	2	0	2	0	0	7	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	1	6	0
2	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डी. के.पी. कोटा	1	0	0	12	0	0	0	0	0	7	0	0	4	2	0	1	0	0	1	0	0	2	5	0
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मस्तूरी	1	0	0	13	1	0	2	0	0	4	2	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	4	3	0
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चकरभाठा बिलासपुर	1	0	0	13	1	0	2	0	0	3	1	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	3	4	0
5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलकनगर बिलासपुर	1	0	0	0	8	0	1	0	0	4	1	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	3	5	0
6	स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर	1	0	0	10	8	0	2	0	0	6	6	0	4	5	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0
7	स्वामी आत्मानंद डॉ. बी.आर. अंबेडकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर	1	0	0	7	8	0	2	0	0	10	5	0	7	5	0	0	1	0	1	0	0	5	0	0
योग		7	0	0	67	28	0	11	0	0	41	15	0	37	14	0	3	2	0	9	1	0	24	23	0

उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

परिशेष - चौबीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 786) की जानकारी

प्रपत्र

सप्लायर/संस्था फर्म द्वारा फर्नीचर सप्लाई की मात्रा एवं दर की जानकारी

क्र.	वर्ष	सप्लायर फर्म का नाम	मात्रा	दर राशि रु.
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2021-22	मे.अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज अंबिकापुर छ.ग.	224	4320
			303	1720
			69	5256
			202	9650
			18	9084
		मे. शरद इंटरप्राइजेस राजनांदगांव छ.ग.	1482	1317
			1481	1188
		मे. श्री साई इंडस्ट्रीज अंबिकापुर छ.ग.	1535	1317
			1534	1188
4	वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक)	मे.अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज अंबिकापुर छ.ग.	10	4352
			110	2079
			32	9000
			20	4100
		मे. अल्ट्रा मॉड्यूलर इंडस्ट्रीज पटपरिया एम0जी0 रोड सरगुजा छ0ग0	55	4352
			407	2079
			90	9000
			35	4100
		मे. अल्ट्रा मॉड्यूलर इंडस्ट्रीज पटपरिया एम0जी0 रोड सरगुजा छ0ग0	1443	1052
			1443	1232
		मे. श्री कृष्णा उद्योग रायपुर छ0ग0	944	1052
			945	1232
		मे. श्री श्याम इंडस्ट्रीज सूजरपुर छ0ग0	86	4352
			2	1600
			248	2079
			76	9000
			25	4100
			25	3579
			1150	1900
			1149	1200

अनुभाष अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

परिशेष - पच्चीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 794) की जानकारी

पृष्ठ - 34

खेलगढ़ी योजना के तहत जिला दुर्ग को वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	स्तर	केन्द्रांश राशि रुपये में	राज्यांश राशि रुपये में
1	2	3	4	5
1	2021-22	प्राथमिक	1755000	1170000
		उच्च प्राथमिक	2046000	1364000
		हाई स्कूल	780000	520000
		हायर सेकेंडरी स्कूल	1905000	1270000
2	2022-23	प्राथमिक	1755000	1170000
		उच्च प्राथमिक	2046000	1364000
		हाई स्कूल	750000	500000
		हायर सेकेंडरी स्कूल	1935000	1290000


अनुभाषा अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

खेलगढ़ी योजना के तहत क्रय सामग्री की जानकारी

वर्ष 2021-22

क्र.	स्तर	सामग्री का नाम	प्रति किट की दर रूपए	सामग्री की संख्या	व्यय राशि रूपए
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक स्कूल	प्लास्टिक बैट एवं बाल 01 नग	3465	585	2027025
		स्टम्प स्टेड के साथ 01 नग		585	
		टेनिस क्रिकेट बॉल 01 पैकेट		585	
		फुटबॉल साइज 03, 01 नग		585	
		चेस बोर्ड 02 नग		1170	
		6" हरडल 03 नग		1755	
		9" फ्लाईंग डिस्क 02 नग		1170	
		कैरम बोर्ड 01 नग		585	
		लूडो के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)		585	
2	उच्च प्राथमिक स्कूल	लकड़ी का क्रिकेट टेनिस बैट 01 नग	6925	341	2361425
		लकड़ी का क्रिकेट स्टम्प 04 नग		1364	
		क्रिकेट बैट 02 नग		682	
		बॉलीबाल 01 नग		341	
		टेनिस क्रिकेट बाल पैकेट 04 नग (01 पैकेट)		341	
		फुटबाल साइज 4 नंबर 01 नग		341	
		चेस बोर्ड 02 नग		682	
		बैंडमिंटन रैकेट 02 नग		682	
		शटल कार्क 10 नग 01 पैकेट		341	
		कैरम बोर्ड 01 नग		341	
		लूडो के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)		341	
3	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल	लकड़ी का क्रिकेट टेनिस बैट 01 नग	17375	179	3110125
		लकड़ी का क्रिकेट स्टम्प सेट 06 नग		1074	
		क्रिकेट बैट 02 नग		358	
		टेनिस क्रिकेट बॉल 04 नग, 01 पैकेट		179	
		बास्केटबॉल साइज नंबर 07, 02 नग		358	
		स्किपिंग रोप 06 नग		1074	
		फुटबॉल 02 नग		358	

क्र.	स्तर	सामग्री का नाम	प्रति किट की दर रूपए	सामग्री की संख्या	व्यय राशि रूपए
1	2	3	4	5	6
3	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल	थ्रो बॉल 02 नग		358	
		पम्प 01 नग		179	
		12" हर्डल 03 नग		537	
		चेस सेट 05 सेट		895	
		बैंडमिंटन रैकेट 04 नग		716	
		शटल कार्क 10 नग, 01 पैकेट		179	
		कैरम बोर्ड 01 नग		179	
		लूडो के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)		179	
वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022)					
क्र.	स्तर	सामग्री का नाम	दर	सामग्री की संख्या	व्यय राशि रूपए
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक स्कूल	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 04 नग	340	2340	दिसम्बर 2022 तक भुगतान नहीं किया गया है।
		रिंग टॉस थ्रो गेम्स 02 सेट	280	1170	
		टेनिस क्रिकेट बॉल 02 सेट	299	1170	
		चेस बोर्ड 01 सेट	249	585	
		फुटबॉल साईज 03, 02 सेट	374	1170	
		पिटठुल (लगोरी गेम्ससेट) 02 सेट	249	1170	
		फ्लाइंग डिस्क 9" 02 सेट	48	1170	
		कैरम बोर्ड विथ लूडो 20" 01 सेट	300	585	
2	उच्च प्राथमिक स्कूल	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 04 नग	340	1364	दिसम्बर 2022 तक भुगतान नहीं किया गया है।
		कैरम बोर्ड 28" 01 नग	800	341	
		बास्केटबॉल साईज 07, 02 नग	440	682	
		फुटबॉल साईज 04, 02 नग	425	682	
		टेनिस क्रिकेट बॉल 02 पैकेट	299	682	
		चेस बोर्ड 02 सेट	260	682	
		फ्लाइंग डिस्क 9" 06 नग	48	2046	
		पिटठुल (लगोरी गेम्ससेट) 03 सेट	249	1023	
		रिंग टॉस थ्रो गेम्स 02 सेट	280	682	
		स्किपिंग रोप 08 नग	100	2728	
		थ्रो बॉल साईज 05, 01 नग	545	341	
		शॉटपुट (सीआई शॉट) जूनियर्स 02 नग	372	682	
		पंप 01 नग	179	341	

क्र.	स्तर	सामग्री का नाम	दर	सामग्री की संख्या	व्यय राशि रूपए
1	2	3	4	5	6
3	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 06 नग	520	1074	दिसम्बर 2022 तक भुगतान नहीं किया गया है।
		बास्केटबॉल साईज 07, 03 नग	440	537	
		फुटबॉल साईज 05, 03 नग	559	537	
		चेस बोर्ड 06 सेट	529	1074	
		कैरम बोर्ड 28" 02 सेट	800	358	
		टेनिस क्रिकेट बॉल 06 पैकेट	299	1074	
		वालीबाल 01 नग	415	179	
		थ्रो बॉल साईज 05, 04 नग	545	716	
		स्किपिंग रोप 09 नग	100	1611	
		शॉटपुट (सीआई शॉट) जूनियर्स 02 नग	372	358	
		शॉटपुट (सीआई शॉट) फॉर बालिका 02 नग	650	358	
		शॉटपुट (सीआई शॉट) फॉर बालक 02 नग	600	358	
		डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालिका आल एज ग्रुप 02	750	358	
		डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालक अंडर 17 एज ग्रुप 01	500	179	
		डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालक अंडर 19 एज ग्रुप 01	560	179	
		पंप 01 नग	179	179	


 अनुभाष अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 जयपुर

खेल सामग्री की खरीदी हेतु मापदंड

प्रपत्र-स

1. निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ही एस निविदा में भाग ले सकते हैं :-
 - इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी।
 - एल.एल.पी. एक्ट 2008 के अंतर्गत पंजीकृत भागीदारी इकाई।
 - भारतीय क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत तथा जी.एस.टी. पंजीकृत प्रोप्राइटरशिप इकाई।
 निविदा तिथि तक कम से कम 10 वर्षों के पूर्व से कार्यरत होनी चाहिए।
2. निविदाकर्ता किसी भी शासकीय प्रदेश अथवा केन्द्रीय, अर्धशासकी, पी.एस.यू./यू.एल.बी. इत्यादि में ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए।
3. निविदाकर्ता के पास आई.एस.ओ. 9001:2015 होना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता का छत्तीसगढ़ शासन के पास प्रदायकर्ता के रूप में कार्यरत होना आवश्यक है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कम से कम 7 करोड़ रुपये का कार्य अनुभव होना चाहिए।
5. निविदाकर्ता के पास छत्तीसगढ़ में स्थानीय कार्यालय होना जरूरी है।
6. निविदाकर्ता का पिछले 03 वित्तीय वर्षों में (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) कम से कम 10 करोड़ रुपये की सम्मिलित टर्नओवर आवश्यक है।
7. निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/इकाई ही निविदा में भाग ले सकते हैं। एक निर्माता केवल एक व्यक्ति/इकाई को अधिकृत कर सकता है। इससे ज्यादा होने पर उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. निविदाकर्ता को निम्नलिखित निर्माता इकाई के दस्तावेज में से किसी एक का स्वयं सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
 - एन.एस.आई.सी.
 - एम.एस.एम.ई. उद्यम
 - जिला उद्योग कार्यालय द्वारा प्रमाणित उत्पादन प्रमाण पत्र
9. निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ शासन के सी.एस.आई.डी.सी. विभाग में सम्बंधित एजेंसी से कम से कम एक सेम्पल की सभी सामग्रियों का निरीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।


 अनुभाग अधिकारी
 खेल विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - छब्बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 798) की जानकारी

प्रपत्र

विषय:-स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक, व्याख्याता का स्थानांतरण निरस्त किया जाना।					
क्रमांक	जिला का नाम	निरस्त किये गये आदेश		विचाराधीन	
		शासन के द्वारा	जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा	शासन स्तर पर	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर
1	2	3	4	5	6
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	—	—	1	—
2	बिलासपुर	—	1	1	—
3	कोरबा	—	2	1	—
4	सक्ती	—	—	1	—
कुल		—	3	4	—

टीप:- शेष जिलों की जानकारी निरंक है।


 अनुभव अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - सत्ताईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 802) की जानकारी

प्रपत्र

क्रं.	मद का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य संख्या	प्रदत्त राशि (राशि लाखों में)
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना (परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना)	2021-22	1465	4989.09
		2022-23	0.00	0.00
	योग		1465	4989.09
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2021-22	04	136.90
		2022-23	04	85.71
	योग		08	222.61



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष - अट्ठाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 809) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2021 से 31 जनवरी 2023 तक व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरणों की जानकारी				
		व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अनुविभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों की संख्या	जिला स्तरीय समिति के पास लंबित प्रकरणों की संख्या	जारी किये गये वन अधिकार पत्रों की संख्या	RoR में दर्ज वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी 2021 से दिसंबर 2021	नारायणपुर	27	7	0	20	20
	कोण्डागांव	0	0	0	0	0
	बस्तर	15	0	0	15	15
जनवरी 2022 से दिसंबर 2022	योग	42	7	0	35	35
	नारायणपुर	122	0	0	119	119
	कोण्डागांव	53	0	0	53	53
1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक	बस्तर	1470	0	0	1470	ROR में दर्ज करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
	योग	1645	0	0	1642	172
	नारायणपुर	0	0	0	0	0
	कोण्डागांव	0	0	0	0	0
	बस्तर	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0
	महायोग	1687	7	0	1677	207


 अनुभाग अधिकारी
 आरक्षण तथा अनुसूचित जाति

परिशेष - उन्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 817) की जानकारी

५५४

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखंडों में संचालित कन्या छात्रावासों में सामग्रियों का प्रदाय एवं मूलभूत सुविधायें की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखंड	100 सीटर कन्या छात्रावास का नाम	प्रदाय सामग्री का नाम वर्षवार			उपलब्ध मूलभूत सुविधायें
				2019-20	2020-21	2021-22	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
2	बस्तर	बस्तर	बस्तर	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
3	बस्तर	तोकापाल	बडेमोरठापाल	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
4	बस्तर	लोहण्डीगुडा	लामडागुडा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
5	बस्तर	दरभा	दरभा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
6	बस्तर	बास्तानार	लालागुडा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
7	बस्तर	बकावण्ड	बकावण्ड	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
8	कौडागांव	कौडागांव	अडकाछेपडा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
9	कौडागांव	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
10	कौडागांव	माकडी	माकडी	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
11	कौडागांव	फरसगांव	बोरगांव	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
12	कौडागांव	केशकाल	केशकाल	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
13	दंतेवाडा	कुआकौडा	कुआकौडा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
14	दंतेवाडा	दंतेवाडा	दंतेवाडा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
15	दंतेवाडा	कटेकल्याण	कटेकल्याण	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
16	दंतेवाडा	गौदम	गौदम	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
17	सुकमा	छिंदगढ़	छिंदगढ़	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
18	सुकमा	कौटा	कौटा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
19	सुकमा	सुकमा	सुकमा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
20	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
21	नारायणपुर	ओरछा	ओरछा	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
22	बीजापुर	भैरमगढ़	भैरमगढ़	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
23	बीजापुर	उसूर	उसूर	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
24	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
25	बीजापुर	भोपालपट्टनम	भोपालपट्टनम	निरंक	गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
26	बीजापुर	बीजापुर	कन्या छात्रावास बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
27	बीजापुर	बीजापुर	कन्या छात्रावास गंगालूर	निरंक	निरंक	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
28	बीजापुर	भैरमगढ़	कन्या छात्रावास पुसनार	निरंक	निरंक	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
29	बीजापुर	भैरमगढ़	कन्या छात्रावास नेलसनार	निरंक	निरंक	निरंक	भवन, विद्युत, पेयजल, शौचालय, रैंप, अहाता,
30	बीजापुर	बीजापुर	कन्या छात्रावास नैमैड	निरंक	निरंक	निरंक	उक्त 100 सीटर कन्या छात्रावास का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण प्रारम्भिक स्तर के पोर्टा कैबिन में निवासरत हैं। जहां बच्चों हेतु आवास, विद्युत, पेयजल, शौचालय, अहाता आदि की सुविधा उपलब्ध है।
31	बीजापुर	भैरमगढ़	कन्या छात्रावास जांगला	निरंक	निरंक	निरंक	
32	बीजापुर	भोपालपट्टनम	कन्या छात्रावास संगमपल्ली	निरंक	निरंक	निरंक	

1	जिला	विकासखंड	100 सीटर कन्या छात्रावास का नाम	प्रदाय सामग्री का नाम वर्षवार			उपलब्ध मूलभूत सुविधाये
				2019-20	2020-21	2021-22	
2	3	4	5	6	7	8	
33	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कन्या छात्रावास चित्तौलूर	निरंक	निरंक	निरंक	उक्त 100 सीटर कन्या छात्रावास का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण प्रारम्भिक स्तर के पोर्टा केबिन में निवासरत हैं। जहाँ बच्चों हेतु आवास, विद्युत, पेयजल, शौचालय, अहाता आदि की सुविधा उपलब्ध है।
34	दंतेवाड़ा	गौदम	कन्या छात्रावास गुमड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	
35	दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	कन्या छात्रावास पातनार	निरंक	निरंक	निरंक	
36	नारायणपुर	नारायणपुर	कन्या छात्रावास देवगांव	निरंक	निरंक	निरंक	
37	सुकमा	सुकमा	कन्या छात्रावास कुम्हाररास सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	
38	सुकमा	सुकमा	कन्या छात्रावास मुरतोण्डा	निरंक	निरंक	निरंक	
39	सुकमा	छिन्दगढ़	कन्या छात्रावास छिन्दगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	
40	सुकमा	कोण्टा	कन्या छात्रावास पोतमपल्ली	निरंक	निरंक	निरंक	
41	सुकमा	कोण्टा	कन्या छात्रावास एर्राबोर	निरंक	निरंक	निरंक	

16
अनुभवा अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंडल, रायपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 8) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 08 हेतु कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को दी गई सुविधा की जानकारी

क्रमांक	जिला	दी गई सुविधाएँ						
		छात्रवृत्ति		निजी शाला शुल्क		प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत अनुदान		स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थी
		विद्यार्थी संख्या	राशि रु. में	विद्यार्थी संख्या	राशि रु. में	विद्यार्थी संख्या	राशि रु. में	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	BALOD	153	1095000	19	199714	6	120000	14
2	BALODA BAZAR	473	3245000	221	2780284	23	470000	16
3	BALRAMPUR	10	65000	3	13600	0	0	3
4	BASTAR	45	280000	28	550050	0	0	9
5	BEMETARA	277	1910000	92	2040068	2	72000	23
6	BIJAPUR	23	165000	10	55730	0	0	0
7	BILASPUR	319	2185000	55	1306051	3	120000	42
8	DANTEWADA	15	80000	10	89600	0	0	0
9	DHAMTARI	228	1640000	91	1074185	10	288000	10
10	DURG	802	5830000	569	11642470	19	456000	68
11	GARIYABAND	123	855000	29	296065	3	18000	13
12	GAUREL PENDRA MARVAHI	58	430000	3	40735	0	0	17
13	JANJIGIR-CHAMPA	277	1885000	150	1769455	5	164000	25
14	JASHPUR	100	685000	90	789718	0	0	13
15	KABIRDHAM	166	1120000	50	804977	5	200000	21
16	KANKER	63	405000	11	164070	7	200000	14
17	KONDAGAON	22	130000	2	30970	2	88000	10
18	KORBA	284	1900000	168	2348355	1	12000	13
19	KOREA	89	625000	39	384124	6	240000	9
20	MAHASAMUND	105	720000	85	940276	9	280000	7
21	MUNGELI	88	610000	43	446377	5	178000	21
22	NARAYANPUR	13	95000	0	0	1	44000	0
23	RAIGARH	405	2695000	240	3611824	24	784000	65
24	RAIPUR	992	7020000	734	15231557	1	12000	96
25	RAJNANDGAON	304	2080000	119	1760472	20	464000	40
26	SAKTI	181	1270000	74	784252	0	0	4
27	SUKMA	9	60000	1	7000	5	178000	2
28	SURAJPUR	62	465000	42	508665	2	60000	8
29	SURGUJA	61	455000	36	714043	0	0	9
		5747	40000000	3014	50384687	159	4448000	572

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन

उप संचालक
जोड शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पारिशेष - इकतीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 2 (क्र. 51) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	जिला का नाम	कार्यालय स्थापना		
		कलेक्टर	पुलिस अधीक्षक	अन्य जिला कार्यालय
1	2	3	4	5
1	सारंगढ-बिलाईगढ़	दिनांक 01/09/2022	दिनांक 03/09/2022 से संचालित है।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उप जेल संचालित है। कार्यपालन यंत्री (सं/सं) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला कार्यालय समाज कल्याण उप संचालक कृषि
2	सक्ती	दिनांक 08/09/2022	दिनांक 08/09/2022 से संचालित है।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उप जेल संचालित है। कार्यपालन यंत्री (सं/सं) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला कार्यालय समाज कल्याण उप संचालक कृषि


 अनुभाग अधिकारी
 प्रश्न एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

1	2	3	4	5
3	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	दिनांक 01/09/2022	दिनांक 02/09/2022 से संचालित है।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कार्यपालन यंत्री (सं/सं) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला कार्यालय समाज कल्याण उप संचालक कृषि जिला कौशल विकास प्राधिकरण
4	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	दिनांक 08/09/2022	दिनांक 09/09/2022 से संचालित है।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उप जेल संचालित है। कार्यपालन यंत्री (सं/सं) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला कार्यालय समाज कल्याण उप संचालक कृषि
5	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	दिनांक 01/09/2022	दिनांक 03/09/2022 से संचालित है।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उप जेल संचालित है। कार्यपालन यंत्री (सं/सं) कार्यालय जिला कार्यालय समाज कल्याण उप संचालक कृषि कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जिला कौशल विकास प्राधिकरण,

1	2	3	4	5
6	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	दिनांक 10/02/2022	दिनांक 10/02/2020 से संचालित है।	जिले में विभागीय कार्यालय स्थापित है। (मछली पालन विभाग) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, स्थापित है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है।


 अनुभाष अधिकारी
 सज्जन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 जिला शिक्षा, रायपुर

परोशष्ट - बतुस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 144) की जानकारी

“प्रपत्र”

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)

- आय-सीमा- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक हो।
- छात्रवृत्ति की दरें :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम) (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह-2- (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, इन्शूरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह -4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। सीनियर सेकण्डरी प्रमाण पत्र (कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं) सामान्य एवं व्यावसायिक शाखा, आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति)

- आय-सीमा- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक हो।
- छात्रवृत्ति की दरें :-

समूह	वार्षिक (रूपये में)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<u>समूह-1-</u> (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	13500	7000
<u>समूह-2-</u> स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	9500	6500
<u>समूह -4</u> - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक हो।
- छात्रवृत्ति की दरें :-

समूह	वार्षिक (रूपये में)		
	शैक्षणिक भत्ता	ट्यूशन फीस	कुल
<u>समूह-1-</u> (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	10000	10000	20000
<u>समूह-2-</u> स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	8000	5000	13000
<u>समूह -4</u> - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	5000	0	5000



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परीशद - तृतीय

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 249) की जानकारी

पत्र

प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

क्र.	जिला	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक
1	महासमुंद	526	525	1620
2	बलौदाबाजार	573	709	710
3	गरियाबंद	674	610	46
4	रायपुर	108	349	889
5	धमतरी	158	548	0
6	कबीरधाम	289	925	963
7	बेमतरा	346	549	372
8	दुर्ग	60	219	202
9	बालोद	151	715	618
10	राजनांदगांव	58	612	912
11	मोहला मानपुर चौकी	112	407	616
12	बिलासपुर	28	363	1336
13	मुंगेली	291	330	689
14	कोरबा	0	810	1213
15	सक्ती	257	421	448
16	जाजगीर-चांपा	105	509	786
17	रायगढ़	226	738	768
18	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	80	318	495
19	कांकेर	253	612	666
20	नारायणपुर	126	195	534
21	कोण्डागांव	796	802	951
22	जगदलपुर	351	612	1981
23	दत्तेवाड़ा	162	240	559
24	बीजापुर	191	170	1042
25	सुकमा	237	296	1210
26	कोरिया	110	304	408
27	बलरामपुर	493	1322	1196
28	जशपुर	410	187	1099
29	सरगुजा	0	716	855
30	सूरजपुर	223	752	1057
31	खैरागढ़ छुईखदान-गण्डई	215	335	307
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	274	623	290
33	मन्द्रेगढ़ चिरमिरी-भरतपुर	281	404	399

सहायक सचिव

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पारिशेष - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 346) की जानकारी

अथ "अ"

वर्तमान में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा के लंबित एवं वितरण हेतु लंबित के कारण तथा पट्टा प्रदाय करने की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है-

क	जिला	आबादी पट्टा के लंबित आवेदन	लंबित होने के कारण
1	रायपुर	0	—
2	महासमुन्द	837	जिले के राजस्व न्यायालय में आपत्ति के निराकरण हेतु 837 भू-खण्डधारकों के प्रकरण लंबित हैं।
3	धमतरी	0	—
4	बलौदाबाजार	0	—
5	गरियाबंद	0	—
6	दुर्ग	199	पट्टेधारियों एवं उनके परिवार के वर्तमान में निवासस्थान नहीं होने के कारण वितरण नहीं किया जा सका है। परिवारों से संपर्क करके पट्टे वितरण की कार्यवाही की जायेगी।
7	बेमेतरा	0	—
8	बालोद	0	—
9	कबीरधाम	34	—
10	राजनांदगांव	0	—
11	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	0	—
12	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़	0	—
13	बिलासपुर	0	—
14	मुंगेली	0	—
15	जांजगीर-चांपा	397	चिन्हाकित सर्वेसूची का परीक्षण नहीं हो पाने के कारण वितरण नहीं किया गया है। परीक्षण उपरांत वितरण कर दिया जायेगा।
16	रायगढ़	0	—
17	कोरबा	0	—
18	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	—
19	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	—
20	सक्ती	0	—
21	सरगुजा	0	—
22	सूरजपुर	0	—
23	बलरामपुर	0	—
24	कोरिया	0	—
25	जशपुर	0	—
26	भरतपुर-मनेन्द्र-चिरमिरी	0	—
27	बस्तर	0	—
28	कांकेर	0	—
29	कोण्डागांव	0	—
30	दंतेवाड़ा	0	—
31	बीजापुर	0	—
32	सुकमा	0	—
33	नारायणपुर	0	—

प्रपत्र "ब"

दिसम्बर 2020 से जनवरी 2023 तक नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवादी पट्टा वितरण की जानकारी निम्नानुसार है—

क्र	जिला	वितरित पट्टों की संख्या
1	रायपुर	0
2	महासमुन्द	903
3	धमतरी	0
4	बलौदावाजार	0
5	गरियाबंद	0
6	दुर्ग	0
7	बेमेतरा	0
8	बालोद	0
9	कवीरधाम	312
10	राजनांदगांव	230
11	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	1478
12	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़	0
13	विलासपुर	0
14	मुंगेली	0
15	जांजगीर-चांपा	0
16	रायगढ़	0
17	कोरबा	0
18	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0
19	सारंगढ़-विलाईगढ़	0
20	सक्ती	0
21	सरगुजा	0
22	सूरजपुर	0
23	बलरामपुर	0
24	कोरिया	0
25	जशपुर	0
26	भरतपुर-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी	0
27	बस्तर	0
28	कांकेर	0
29	कोण्डागांव	0
30	दंतेवाड़ा	0
31	बीजापुर	0
32	सुकमा	0
33	नारायणपुर	0

पारोशेष्ट - पेंतीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 432) की जानकारी

प्रपत्र

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2021/एक/6.— राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 (करोना) महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा/अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” लागू किया जाता है।

1. योजना का नाम —

इस योजना का नाम “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” है।

2. उद्देश्य —

कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा/अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

3. विस्तार —

इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।

4. पात्रता की शर्तें —

- छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो।
- ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखता हो।
- जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण-पोषण की समस्या हो गई हो।

5. शैक्षणिक सुविधा —

- ऐसे पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जावेगी।
- ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित “स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम” स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।

- iii. जिनके माता पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गयी है, उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा। साथ ही छात्रवृत्ति दी जावेगी।
- iv. जिनके कमाने वाला माता अथवा पिता की मृत्यु हो गयी है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जावेगा।
- v. पात्र छात्रों को स्कूल शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा।
- vi. प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा।

6. छात्रवृत्ति -

ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को जिनका छात्रवृत्ति देय होगा :-

- i. कक्षा 1 से 8 तक - रुपये 500/- प्रतिमाह
- ii. कक्षा 9 से 12 तक - रुपये 1000/- प्रतिमाह

7. योजना का क्रियान्वयन -

इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा -

- i. किसी भी स्त्रोत से कलेक्टर को जानकारी प्राप्त होने पर, कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- ii. छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकेगा।
- iii. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का एक-एक अधिकारी नामांकित होंगे।
- iv. समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जावेगी।
- v. अभिलेखों के रख-रखाव हेतु पंजी का संधारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- vi. योजना की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा समय-समय पर की जावेगी।
- vii. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी कर सकेगी।

8. वित्तीय प्रबंधन -

सामान्य प्रशासन विभाग प्रति वर्ष छात्रों के मान से स्कूल शिक्षा विभाग को वांछित राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

9. शिथिलिकरण -

सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यकतानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु शर्तों में शिथिल कर सकेगा।

10. विवाद की स्थिति में -

इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोहितमा यादव, उप-सचिव

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जून 2021 — आषाढ़ 7, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2021/एक/6.— राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” की कंडिका 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना की कंडिका 5 की उप कंडिका (vi) के पश्चात् निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :-

- vii. योजनांतर्गत राज्य में संचालित शासकीय स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में अध्ययनरत हो, उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
- viii. योजनांतर्गत शासकीय स्कूलों के अतिरिक्त निजी स्कूलों में पिछले एक साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकेंगे, राज्य सरकार द्वारा उनकी स्कूल फीस का वहन किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोक्तिमा यादव, उप-सचिव

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/वुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर 2021 — भाद्रपद 30, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2021/एक/6— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 द्वारा “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” लागू की गई है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2021 द्वारा उक्त योजना की कंडिका 5 की उप कंडिका कंडिका (vi) के पश्चात् (vii) एवं (viii) जोड़ी गई है।

2. राज्य शासन एतद्वारा “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” की कंडिका 5 की उप कंडिका (viii) के पश्चात् निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :-

ix. नवप्रवेशित विद्यार्थियों के निजी विद्यालयों में शासन द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय या एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो, होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहितभा यादव, उप-सचिव

पारोशेष्ट - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 477) की जानकारी

प्रश्न

योजना / मद का नाम - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

क्र०	वर्षवार	स्वीकृत कार्य का नाम	लागत राशि (रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1	2020-21	नाली निर्माण कार्य (जितेन्द्र यादव घर से रामगुलाल घर की तरफ) ग्राम पंचायत मिलौनी	4.00	-	अपूर्ण
2	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (दशरथ साहू घर से मोतीलाल बघेल घर के तरफ) ग्राम पंचायत मिलौनी	5.00	पूर्ण	-
3	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मेनरोड से बीचनी बघेल घर तक) ग्राम पंचायत मिलौनी	5.00	पूर्ण	-
4	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मेनरोड से रामदत्त तिवारी घर तक) ग्राम पंचायत मिलौनी	5.000	पूर्ण	-
5	2020-21	नाली निर्माण (मंदिर से गेट तक) ग्राम पंचायत मेहन्दी	4.00	पूर्ण	-
6	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मेनरोड से गोदाम भवन तक) ग्राम पंचायत मेहन्दी	5.00	पूर्ण	-
7	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (गोदाम भवन से श्याम घर तक) ग्राम पंचायत मेहन्दी	5.00	पूर्ण	-
8	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मेनरोड से सहेल्लर घर तक) ग्राम पंचायत मेहन्दी	5.00	पूर्ण	-
9	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मुख्यमार्ग से भगवान लाल घर तक) ग्राम पंचायत पामगढ़	5.00	पूर्ण	-
10	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मुख्यमार्ग से प्रायमरी स्कूल तक) ग्राम पंचायत पामगढ़	10.00	पूर्ण	-
11	2020-21	सी०सी० रोड निर्माण (मुख्यमार्ग से सुखसागर कश्यप घर तक) ग्राम पंचायत पामगढ़	4.00	पूर्ण	-
		योग	57.00	10	1
1	2022-23	आंगनबाड़ी भवन मरम्मत कार्य (करमंदी में) ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	2.50		अपूर्ण
2	2022-23	अहाता निर्माण कार्य (आंगनबाड़ी भवन करमंदी में) ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	5.00		अपूर्ण
3	2022-23	मुक्तिधाम शेड एवं प्रतिकालय निर्माण कार्य ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	7.50		अपूर्ण
4	2022-23	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (ग्राम करमंदी में) ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	9.50		अपूर्ण
5	2022-23	सी०सी० रोड निर्माण कार्य (मेनरोड से किशन के घर की तरफ) ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	3.00		अपूर्ण
6	2022-23	सी०सी० रोड निर्माण कार्य (गुरुघासी दास चौक से देवचरण घर की तरफ)	2.50		अपूर्ण
7	2022-23	सी०सी० रोड निर्माण (मुख्य मार्ग से धरम कुर्रे के घर की तरफ) ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	5.00		अपूर्ण
8	2022-23	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम करमंदी ग्राम पंचायत केसला	5.00	पूर्ण	-

क्र०	वर्षवार	स्वीकृत कार्य का नाम	लागत राशि (रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	
				पूर्ण	अपूर्ण
9	2022-23	अहाता निर्माण कार्य (आंगनवाड़ी केन्द्र में) ग्राम बेल्हा ग्राम पंचायत बेल्हा	6.00		अपूर्ण
10	2022-23	मुक्तिधाम शेड एवं प्रतिकालय निर्माण कार्य ग्राम बेल्हा ग्राम पंचायत बेल्हा	5.00		अपूर्ण
11	2022-23	सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (कौसल खुंटे के घर से पंचायत भवन की तरफ) ग्राम बेल्हा ग्राम पंचायत बेल्हा	10.00		अपूर्ण
12	2022-23	सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (रामसाय खुंटे घर से मुख्य सड़क की तरफ) ग्राम बेल्हा ग्राम पंचायत बेल्हा	10.00		अपूर्ण
13	2022-23	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम बेल्हा ग्राम पंचायत बेल्हा	9.00	पूर्ण	-
		योग	80.00	2	11


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - सेंटोस

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 497) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किसानों को प्रदान की गई फसल क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी

स.क्र.	जिले का नाम	धान/दलहन/तिलहन फसल				
		कुल किसानों की संख्या	प्रकरणों में कुल स्वीकृत राशि (रुपये में)	प्रदाय की गई राशि का विवरण		
				किसानों की संख्या	प्रदान की गई राशि (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	1248	8238396.00	1248	8238396.00	0.00
2	बलौदाबाजार	259	1431943.00	6	24443.00	1407500.00
3	गरियाबंद	10139	68518340.00	10139	68518340.00	0.00
4	धमतरी	12668	63201437.00	7920	36734904.00	26466533.00
5	महासमुंद	1000	5841370.00	1000	5841370.00	0.00
6	बिलासपुर	21	57338.00	21	57338.00	0.00
7	मुंगेली	38	136698.00	38	136698.00	0.00
8	कोरबा	45	144559.00	45	144559.00	0.00
9	जांजगीर-चांपा	5	64016.00	5	64016.00	0.00
10	रायगढ़	351	3344443.00	351	3344443.00	0.00
11	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	141	369132.00	141	369132.00	0.00
12	बस्तर	770	4128990.00	770	4128990.00	0.00
13	कोण्डागांव	168	741994.00	168	741994.00	0.00
14	कांकेर	3671	28285649.00	3671	28285649.00	0.00
15	दंतेवाड़ा	259	1230072.00	259	1230072.00	0.00
16	सुकमा	499	5492033.00	499	5492033.00	0.00
17	नारायणपुर	189	701121.00	189	701121.00	0.00
18	बीजापुर	54	573276.00	54	573276.00	0.00
19	सरगुजा	25	143199.00	25	143199.00	0.00
20	सूरजपुर	1670	8143112.00	1670	8143112.00	0.00
21	बलरामपुर	1698	13613726.00	1698	13613726.00	0.00
22	कोरिया	87	410945.00	87	410945.00	0.00
23	जशपुर	40	185021.00	40	185021.00	0.00
24	दुर्ग	15276	97410654.00	15276	97410654.00	0.00
25	राजनांदगांव	748	4768757.00	748	4768757.00	0.00
26	बालोद	33303	141120665.00	25642	109381139.00	31739526.00
27	बेमेतरा	5200	30040699.00	5200	30040699.00	0.00
28	कबीरधाम	952	4797227.00	952	4797227.00	0.00
कुल योग		90524	493134812.00	77862	433521253.00	59613559.00

नोट :- नवीन जिला सक्ती, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई तथा मोहला-मानपुर-अ. चौकी की जानकारी उनके पूर्व जिले में शामिल किया गया है।

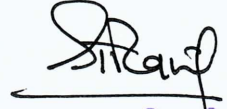
पारोशेष्ट - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 507) की जानकारी

iii=

क्रमांक	जिला	बकाया डायवर्सन टैक्स (रु. में)	कार्यवाही
1	2	3	4
1	रायपुर	6,42,86,116	उद्योग मालिकों को मांग पत्र जारी किया जा चुका है। वसूली प्रक्रियाधीन है।
2	महासमुंद	66,293	बकाया भुगतान हेतु नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।
3	धमतरी	0	0
4	बलौदाबाजार-भाटापारा	1,51,216	
5	गरियाबंद	0	0
6	दुर्ग	26,60,552	बकाया टैक्स वसूलने के लिए छठगठ भू.सं. 1959 की धारा 146/147 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
7	बेमेतरा	4,32,200	निरंक
8	बालोद	53,841	संबंधित उद्योग प्रबंधन/मालिक को राशि वसूलने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।
9	कबीरधाम	33,92,639	बकायादार के द्वारा राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।
10	राजनांदगांव	39,88,618	बकायादार के द्वारा राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	15,22,164	मांग पत्र जारी किया गया है।
12	मोहला-मानपुर-अंबागढ़	0	0
13	बिलासपुर	28,83,457	प्रतिवर्ष व्यपवर्तन अभिलेख का पृथक से बी-1 तैयार कर राजस्व वर्ष के प्रारंभ में तहसीलदारों को प्रेषित की जाती है।
14	मुंगेली	5,65,586	नियमानुसार पत्राचार की कार्यवाही की जा रही है।
15	जांजगीर-चांपा	4,60,28,962	तहसील अकलतरा अंतर्गत डायवर्सन भू-भाटक के बकाया राशि में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक का प्रकरण (NCLT Cuttack Bench Corporation, Bhan CDA Sector 1 Cuttak में लंबित होने के कारण 32,87,095 एवं वर्ष 2022-23 का 65,73,607 का प्रकरण के निराकरण पश्चात् ही भुगतान कराया जाना संभव होगा।
16	रायगढ़	93,06,872	संबंधित उद्योग मालिकों को मांग पत्र जारी कर वसूली किया जा रहा है। टैक्स नहीं पटाये जाने पर चल अचल संपत्ति कुर्की किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया।
17	कोरबा	13,62,348	संबंधित उद्योग मालिकों को मांग पत्र जारी करते हुए, नोटिस जारी किया गया है, जिसे यथाशीघ्र वसूली कर ली जावेगी।
18	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0
19	सारंगढ़-बिलाईगढ़	4,23,846	बकायादारों को मांग पत्र जारी किया गया है।
20	सक्ती	41,75,311	बकाया टैक्स वसूली हेतु संबंधित उद्योग के मालिक की चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

21	सरगुजा	0	0
22	सूरजपुर	2,99,479	संबंधित उद्योग मालिकों को नोटिस जारी किया गया है एवं उनकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
23	बलरामपुर-रामानुजगंज	0	0
24	कोरिया	0	0
25	जशपुर	0	0
26	भरतपुर-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी	0	0
27	बस्तर	36,82,659	वर्तमान में वसूली पूर्ण है।
28	कांकेर	55,540	संबंधित उद्योग मालिक को मांग पत्र जारी किया गया है तथा हल्का पटवारी द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
29	कोण्डागांव	0	0
30	दन्तेवाड़ा	0	0
31	बीजापुर	0	0
32	सुकमा	0	0
33	नारायणपुर	0	0



अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

iii=

क्रमांक	तहसील	ग्राम	कुल पात्र हितग्राही (दि.27-02-2023)	प्रदान की गई कुल राशि (रूपये में)	राशि भुगतान हेतु शेष पात्र हितग्राही (जिसका पंजीयन जनवरी 2023 में होने के कारण शेष है)
1	जरहागांव	कूआगांव	57	148000	8
2	जरहागांव	कुरानकापा	19	84000	2
3	जरहागांव	केशरवाडीह	81	288000	9
4	जरहागांव	किशनपुर	45	160000	19
5	जरहागांव	कोना	32	190000	4
6	जरहागांव	कोसमा	33	110000	4
7	जरहागांव	खम्हरीया	52	96000	28
8	जरहागांव	खैरवार (मि.)	19	144000	1
9	जरहागांव	खाम्हीकुर्मी	13	72000	0
10	जरहागांव	घुन्डूकापा	26	186000	0
11	जरहागांव	छत्तौना	48	68000	31
12	जरहागांव	जरहागांव	156	320000	76
13	जरहागांव	झझपूरीखुर्द	38	126000	0
14	जरहागांव	ठकुरीकापा	57	316000	2
15	जरहागांव	डोमनपुर	53	192000	5
16	जरहागांव	तराईगांव	8	60000	0
17	जरहागांव	तोताकापा	2	16000	0
18	जरहागांव	दशरगपुर	65	268000	23
19	जरहागांव	दाऊकापा	117	608000	25
20	जरहागांव	धनगांव गो	75	562000	0
21	जरहागांव	पेण्डीडीह	14	24000	8
22	जरहागांव	पदमपुर	156	938000	15
23	जरहागांव	फरहदा	70	440000	0
24	जरहागांव	फुलवारी	84	380000	6
25	जरहागांव	बुचुवाकापा	1	0	1
26	जरहागांव	बरदुली	4	8000	2
27	जरहागांव	बरेला	862	4946000	85
28	जरहागांव	बिरगहनी मन-2	1	0	1
29	जरहागांव	बिरगहनी मन-1	80	472000	1
30	जरहागांव	भठलीकला	5	0	5
31	जरहागांव	भठलीखुर्द	6	24000	0
32	जरहागांव	भथरी	212	1538000	2
33	जरहागांव	रामपुर	7	18000	2
34	जरहागांव	लोहडिया	41	164000	4
35	जरहागांव	लोहराकापा	3	24000	0
36	जरहागांव	सेमरचुआ	31	246000	0

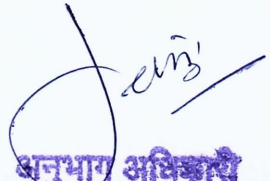
37	जरहागांव	सोढ़ार	90	294000	22
38	जरहागांव	सोल्हाबेल्हा	14	52000	1
39	मुंगेली	अचानकपुर	45	256000	1
40	मुंगेली	अमलीडीह	40	272000	1
41	मुंगेली	उदका	12	82000	0
42	मुंगेली	उमरीया	91	496000	2
43	मुंगेली	उसलापुर	7	8000	5
44	मुंगेली	कंचनपुर	2	0	2
45	मुंगेली	कैथ नवागांव	39	120000	9
46	मुंगेली	कन्तेली	56	356000	1
47	मुंगेली	करूपान	9	56000	1
48	मुंगेली	करही	108	596000	18
49	मुंगेली	केशली	15	104000	2
50	मुंगेली	केशलीकला	31	182000	0
51	मुंगेली	केसतरा	3	12000	0
52	मुंगेली	केहरपुर	1	4000	0
53	मुंगेली	कारेसरा	58	300000	10
54	मुंगेली	किंगरियापारा	1	4000	0
55	मुंगेली	किरना	27	166000	0
56	मुंगेली	कोदूकापा	5	22000	1
57	मुंगेली	कोदवाबानी	157	1144000	1
58	मुंगेली	कोलीहाडीह	22	138000	1
59	मुंगेली	कोहडिया	29	174000	1
60	मुंगेली	खुझा	27	178000	1
61	मुंगेली	खेड़ा	91	568000	2
62	मुंगेली	खम्हरिया	17	130000	0
63	मुंगेली	खैरवार	63	144000	27
64	मुंगेली	खरसी	42	288000	5
65	मुंगेली	खैरासेतगंगा	81	434000	4
66	मुंगेली	खलबोरवा	7	48000	1
67	मुंगेली	गुना	9	32000	1
68	मुंगेली	गस्तीकापा	52	362000	4
69	मुंगेली	गाढ़ाघाट	5	38000	0
70	मुंगेली	गिगतारा	16	90000	1
71	मुंगेली	गिधपुरी म.नं.1	2	4000	0
72	मुंगेली	गीधा	43	276000	4
73	मुंगेली	गोपतपुर	10	74000	0
74	मुंगेली	गोरखपुर	25	140000	2
75	मुंगेली	घुठेरा	46	248000	4
76	मुंगेली	घुठेली	33	138000	6
77	मुंगेली	घोरपुरा	16	96000	2
78	मुंगेली	चकरभाठा	27	198000	0
79	मुंगेली	चुचरूंगपुर	3	24000	0
80	मुंगेली	चमारी	33	180000	2
81	मुंगेली	चलान	61	226000	6
82	मुंगेली	चातरखार	23	106000	6
83	मुंगेली	चारभाठा	40	310000	0

84	मुंगेली	चिचेसरा	15	102000	1
85	मुंगेली	चिरहुला	38	180000	4
86	मुंगेली	चिरौंजपुर	10	0	10
87	मुंगेली	चीनू	8	24000	1
88	मुंगेली	छईहा	3	16000	0
89	मुंगेली	छटन	45	312000	1
90	मुंगेली	छाता	39	216000	1
91	मुंगेली	छीतापुर	3	0	3
92	मुंगेली	जुझारभाटा	6	34000	1
93	मुंगेली	जेठुकापा	16	86000	3
94	मुंगेली	जैतपुरी	3	12000	0
95	मुंगेली	जमकोर	81	622000	0
96	मुंगेली	जमहा	7	28000	1
97	मुंगेली	जल्ली	26	70000	10
98	मुंगेली	जोगीपुर	3	12000	0
99	मुंगेली	झुलनाखुर्द	10	54000	1
100	मुंगेली	झलियापुर	51	288000	1
101	मुंगेली	झिटकनिया	12	64000	2
102	मुंगेली	टेढ़ाधौरा	20	104000	1
103	मुंगेली	टेमरी	22	154000	2
104	मुंगेली	टिंगीपुर	16	110000	0
105	मुंगेली	ठेंगा	11	50000	0
106	मुंगेली	ठाकुरकापा	2	0	2
107	मुंगेली	डौंडा मन 1	40	150000	7
108	मुंगेली	डौंडा मन-2	1	0	1
109	मुंगेली	डौंकीदह	2	8000	0
110	मुंगेली	ढेबहा	15	80000	2
111	मुंगेली	तरवरपुर	0	0	0
112	मुंगेली	तालम	9	46000	2
113	मुंगेली	दुल्लापुर	39	236000	1
114	मुंगेली	दुलहिनबाय	24	126000	8
115	मुंगेली	देवगांव	26	176000	2
116	मुंगेली	देवरी	51	234000	9
117	मुंगेली	दाबो	38	238000	4
118	मुंगेली	दामापुर	78	456000	3
119	मुंगेली	धनगांव मन	2	0	2
120	मुंगेली	धनगांव मन2	38	238000	2
121	मुंगेली	धपई	27	184000	4
122	मुंगेली	धरमपुरा	130	420000	11
123	मुंगेली	नैकडूम	28	140000	4
124	मुंगेली	नुनियाकछार	11	24000	5
125	मुंगेली	नवागांव	69	284000	7
126	मुंगेली	नवागांव गजिया	5	24000	0
127	मुंगेली	नेवासपुर	18	64000	2
128	मुंगेली	नागोपहरी	9	44000	3
129	मुंगेली	नारायणपुर	10	64000	0
130	मुंगेली	निपनिया	29	188000	3

131	मुंगेली	निरजाम	8	28000	1
132	मुंगेली	पड़कीखुर्द	2	12000	0
133	मुंगेली	पंडरभठा	20	92000	0
134	मुंगेली	पण्डोतरा	14	94000	1
135	मुंगेली	पतालकुण्डी	2	8000	0
136	मुंगेली	परतापपुर	51	360000	1
137	मुंगेली	परसवारा	13	78000	0
138	मुंगेली	पुरान	37	268000	1
139	मुंगेली	पलानसरी	22	168000	1
140	मुंगेली	पालचुआ	35	52000	22
141	मुंगेली	पिथमपुर	20	156000	0
142	मुंगेली	पौनी	34	200000	6
143	मुंगेली	फंदवानी	58	346000	0
144	मुंगेली	फंदवानीकापा	7	52000	0
145	मुंगेली	फागुपारा	4	12000	1
146	मुंगेली	बूचीपारा	23	132000	4
147	मुंगेली	बुंदेली	17	88000	0
148	मुंगेली	बुधवारा	5	32000	0
149	मुंगेली	बरबसपुर	3	8000	1
150	मुंगेली	बलौदी	11	38000	0
151	मुंगेली	बहरपुर	5	0	5
152	मुंगेली	बैहरसरी	18	24000	12
153	मुंगेली	बैहाकापा	105	642000	7
154	मुंगेली	बांकी	21	108000	5
155	मुंगेली	बाघामुड़ा	29	170000	4
156	मुंगेली	बामपारा	15	118000	0
157	मुंगेली	बिचारपुर	16	106000	1
158	मुंगेली	बिझौरि	3	24000	0
159	मुंगेली	बिरगांव	177	1102000	15
160	मुंगेली	बीजातराई	65	400000	0
161	मुंगेली	बोड़तरा	1	8000	0
162	मुंगेली	बोदा	23	112000	2
163	मुंगेली	बोधापारा	32	186000	0
164	मुंगेली	बोधीपारा	1	6000	0
165	मुंगेली	भूमियापारा	2	14000	0
166	मुंगेली	भुरका	27	186000	0
167	मुंगेली	भरदा	16	82000	3
168	मुंगेली	भरुहागुड़ा	24	140000	4
169	मुंगेली	भांचा(सी)	2	8000	0
170	मुंगेली	भालापुर	15	80000	1
171	मुंगेली	भीमपुरी	23	158000	1
172	मुंगेली	मु.नवागांव	18	24000	12
173	मुंगेली	मजगांव	10	24000	1
174	मुंगेली	मझगांव	17	124000	0
175	मुंगेली	मुड़पार	41	322000	0
176	मुंगेली	मुढ़िया	19	148000	0
177	मुंगेली	मदनपुर	6	38000	0

178	मुंगेली	मानपुर	5	38000	0
179	मुंगेली	मामा	2	8000	0
180	मुंगेली	माहादेवगढ़	14	84000	0
181	मुंगेली	मौहामड़वा	17	90000	5
182	मुंगेली	मोतिमपुर	6	40000	1
183	मुंगेली	मोहतरा	43	308000	0
184	मुंगेली	रजपालपुर	1	4000	0
185	मुंगेली	रमईपुर	1	4000	0
186	मुंगेली	रैहुटा	66	494000	1
187	मुंगेली	राजपुर	28	186000	0
188	मुंगेली	रानीउमरीया	1	4000	0
189	मुंगेली	रामगढ़	245	1910000	1
190	मुंगेली	रामाकापा	17	112000	3
191	मुंगेली	रीवांपार	6	40000	0
192	मुंगेली	रोहराखुर्द	79	246000	18
193	मुंगेली	लछनपुर	43	176000	5
194	मुंगेली	लालाकापा	14	68000	3
195	मुंगेली	लिम्हा	59	386000	2
196	मुंगेली	लिलवाकापा	10	76000	0
197	मुंगेली	लोकईपुर	4	4000	3
198	मुंगेली	शीतलकुंडा	11	52000	3
199	मुंगेली	शीतलदह	18	108000	2
200	मुंगेली	संगवाकापा	35	0	35
201	मुंगेली	सनकपाट	9	56000	1
202	मुंगेली	संबलपुर	11	88000	0
203	मुंगेली	सेमरकोना	7	34000	1
204	मुंगेली	सुरेठा	21	150000	0
205	मुंगेली	सुरदा	99	560000	10
206	मुंगेली	सुरीघाट	141	710000	6
207	मुंगेली	सारंगपुर	15	100000	0
208	मुंगेली	सिंगबांधा	10	40000	0
209	मुंगेली	सिंगारपुर	22	160000	0
210	मुंगेली	सिपाही	15	84000	0
211	मुंगेली	सिल्ली	36	104000	10
212	मुंगेली	सोनपुरी	53	306000	5
213	मुंगेली	हेडसपुर	42	264000	2
214	मुंगेली	हेडसपुर	6	40000	1
215	मुंगेली	हरदीडीह	4	24000	0
216	मुंगेली	हरियरपुर	17	124000	0
217	पथरिया	अमलीकापा	47	230000	7
218	पथरिया	अमोरा	88	616000	0
219	पथरिया	कुकसदा	31	164000	7
220	पथरिया	कंचनपुर	6	34000	0
221	पथरिया	केवटाडीह	6	32000	0
222	पथरिया	कोकड़ी	38	256000	0
223	पथरिया	कोड़पुरी	8	48000	2
224	पथरिया	खपरी	23	152000	2

225	पथरिया	खैरझिटी	14	78000	1
226	पथरिया	गंधीरवाडीह	7	8000	6
227	पथरिया	गोइंद्री	45	282000	7
228	पथरिया	गोइन्द्रा	73	490000	3
229	पथरिया	जगताकापा	73	430000	13
230	पथरिया	जमकुही	6	48000	0
231	पथरिया	जेवरा	62	408000	0
232	पथरिया	टैंगनागढ़	14	100000	0
233	पथरिया	टोनहीचुवा	14	80000	0
234	पथरिया	डांडगांव	163	928000	23
235	पथरिया	ढोढमा	49	272000	7
236	पथरिया	पुछेली	37	262000	2
237	पथरिया	बैगना	43	238000	2
238	पथरिया	बगबुढ़वा	90	628000	4
239	पथरिया	बछेरा	46	288000	5
240	पथरिया	बमुरहाडीह	32	124000	5
241	पथरिया	बरछा	21	132000	3
242	पथरिया	बरदुली	42	220000	3
243	पथरिया	भटगांव	336	1314000	48
244	पथरिया	भिलाई	44	288000	1
245	पथरिया	मंझरेटा	1	4000	0
246	पथरिया	मोतिमपुर	9	68000	0
247	पथरिया	रौनाकापा	22	160000	2
248	पथरिया	लाटा	47	274000	11
249	पथरिया	लौदा मन 1	74	472000	13
250	पथरिया	सोनपुरी	60	378000	8
251	पथरिया	हथनिखुर्द	2	8000	0
252	पथरिया	हथनीकला	171	910000	18
कुल			9547	52652000	1086


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परोक्ष - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 608) की जानकारी

प्रति

क्र.	पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले का प्र. पा. का नाम	पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने कारण
1	3	4
1	श्री कन्हैया लाल सिदार,	पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने के कारण।
2	श्री प्रेमलाल भारद्वाज	—तथैव—
3	श्री सत्यचरण सरकार	—तथैव—
4	श्री चौधरी टोप्पो	—तथैव—
5	श्री अग्नेयुस कुजूर	—तथैव—
6	श्रीमती रथबाई पाटील	—तथैव—
7	श्री विजय कुमार साहू	—तथैव—


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय रायपुर

परीशेष - इकतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 609) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खेलगढ़िया योजना के तहत सामग्री क्रय हेतु व्यय राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	स्तर	व्यय राशि	सामग्री क्रय का स्तर
1	2	3	4	5	6
1	2021-22	खेलगढ़िया	प्राथमिक	6881000	राज्य स्तर
			उच्च प्राथमिक	6314000	
			हाई/हायर सेकेंडरी	4637500	
2	2022-23 (31/01/2023)	खेलगढ़िया	प्राथमिक	निरंक	राज्य स्तर
			उच्च प्राथमिक		
			हाई/हायर सेकेंडरी		


 सहायक संचालक
 समग्र शिक्षा
 रायपुर, छत्तीसगढ़

खेलगढ़िया योजना के तहत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में क्रय किये गए सामग्री की जानकारी

क्र.	स्तर	स्पोर्ट्स किट्स प्रदाय की गई शाला की संख्या	वर्ष 2021-22 में प्रदाय की गई सामग्री का नाम	स्पोर्ट्स किट्स प्रदाय की गई शाला की संख्या	वर्ष 202-23 में प्रदाय की गई सामग्री का नाम
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक स्कूल किट	1966	प्लास्टिक बैट एवं बाल 01 नग स्टम्प स्टेड के साथ 01 नग टेनिस क्रिकेट बॉल 01 पैकेट फुटबॉल साइज 03, 01 नग चेस बोर्ड 02 नग 6" हरडल 03 नग 9" फ्लाईंग डिस्क 02 नग कैरम बोर्ड 01 नग लूडों के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)	1967	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 04 नग रिंग टॉस थ्रो गेम्स 02 सेट टेनिस क्रिकेट बॉल 02 सेट चेस बोर्ड 01 सेट फुटबॉल साइज 03, 02 सेट पिटडल (लगोरी गेम्ससेट) 02 सेट फ्लाईंग डिस्क 9" 02 सेट कैरम बोर्ड विथ लूडो 20" 01 सेट
2	उच्च प्राथमिक स्कूल किट	902	लकड़ी का क्रिकेट टेनिस बैट 01 नग लकड़ी का क्रिकेट स्टम्प 04 नग क्रिकेट बैट 02 नग बॉलीबॉल 01 नग टेनिस क्रिकेट बाल पैकेट 04 नग (01 पैकेट) फुटबाल साइज 4 नंबर 01 नग चेस बोर्ड 02 नग बैंडमिंटन रैकेट 02 नग शटल कार्क 10 नग 01 पैकेट कैरम बोर्ड 01 नग लूडों के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)	902	क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 04 नग कैरम बोर्ड 28" 01 नग बास्केटबॉल साइज 07, 02 नग फुटबॉल साइज 04, 02 नग टेनिस क्रिकेट बॉल 02 पैकेट चेस बोर्ड 02 सेट फ्लाईंग डिस्क 9" 06 नग पिटडल (लगोरी गेम्ससेट) 03 सेट रिंग टॉस थ्रो गेम्स 02 सेट स्किपिंग रोप 08 नग थ्रो बॉल साइज 05, 01 नग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

1	2	3	4	5	6
वर्ष	स्पोर्ट्स किट्स प्रदाय की गई शाला की संख्या	वर्ष 2021-22 में प्रदाय की गई सामग्री का नाम	स्पोर्ट्स किट्स प्रदाय की गई शाला की संख्या	वर्ष 202-23 में प्रदाय की गई सामग्री का नाम	
3	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल किट	265	लकड़ी का क्रिकेट टेनिस बैट 01 नग लकड़ी का क्रिकेट स्टम्प सेट 06 नग क्रिकेट बैट 02 नग टेनिस क्रिकेट बॉल 04 नग, 01 पैकेट बास्केटबॉल साईज नंबर 07, 02 नग स्किपिंग रोप 06 नग फुटबॉल 02 नग थ्रो बॉल 02 नग पम्प 01 नग 12" हर्डल 03 नग चेस सेट 05 सेट बैंडमिंटन रैकेट 04 नग शटल कार्क 10 नग, 01 पैकेट कैरम बोर्ड 01 नग लूडो के साथ (एक तरफ लूडो दूसरी तरफ कैरम)	266	शॉटपुट (सीआई शॉट) जूनियर्स 02 नग पंप 01 नग क्रिकेट बैट जूनियर लकड़ी वाला 06 नग बास्केटबॉल साईज 07, 03 नग फुटबॉल साईज 05, 03 नग चेस बोर्ड 06 सेट कैरम बोर्ड 28" 02 सेट टेनिस क्रिकेट बॉल 06 पैकेट वालीबाल 01 नग थ्रो बॉल साईज 05, 04 नग स्किपिंग रोप 09 नग शॉटपुट (सीआई शॉट) जूनियर्स 02 नग शॉटपुट (सीआई शॉट) फॉर बालिका 02 नग शॉटपुट (सीआई शॉट) फॉर बालक 02 नग डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालिका आल एज ग्रुप 02 नग डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालक अंडर 17 एज ग्रुप 01 नग डिस्कस थ्रो (डिस्क) फॉर बालक अंडर 19 एज ग्रुप 01 नग पंप 01 नग

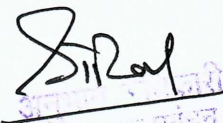

 सहायक संचालक
 समय शिक्षा
 रायपुर, छत्तीसगढ़

परोक्ष - बयालीस
अतारोकेत प्रश्न संख्या 31 (क्र. 716) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2021-22 से दिनांक 16 फरवरी, 2023 तक बालोद जिले में बालोद तहसील अंतर्गत निम्नांकित समाजों एवं संस्थाओं को भूमि आबंटित किया गया है :-

समाज का नाम	प0ह0नं0 एवं खसरा नंबर	आबंटित रकबा
जिला साहू समाज संघ बालोद	06 खसरा नंबर 925/1, 925/2	0.50 एकड़ (21750 वर्गफीट)
हल्बा आदिवासी महिला मण्डल बालोद	06 खसरा नंबर 882/3 एवं अन्य शामिल नंबर	0.04 हेक्टेयर (400 वर्गमीटर)


राजस्थान शासकीय प्रशासन विभाग
मंत्रालय, नया पक्का, जयपुर नगर (छ.प्र.)

प्रपत्र "ब"

कंडिका "क" की अवधि में भूमि आबंटन हेतु बालोद जिलांतर्गत तहसीलों में प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील का नाम	समाज का नाम एवं अन्य
01	बालोद	ब्राम्हण समाज
02	—"—	भारतीय बौद्ध महासभा
03	—"—	जिला निषाद समाज सिवनी
04	—"—	सेन समाज
05	—"—	सतनामी समाज
06	—"—	आदिवासी गोड़ समाज मेड़की
07	—"—	जिला स्वर्णकार संघ
08	—"—	नाथयोगी समाज
09	—"—	जिला प्रेस क्लब
10	—"—	प्रेस क्लब बालोद
11	—"—	नवीन आदर्श मंडी निर्माण
12	डौण्डीलोहारा	कंवर समाज
13	—"—	सिन्हा (कलार) समाज
14	अर्जुन्दा	भूतपूर्व सैनिक
15	डौण्डी	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा
16	—"—	सतनामी समाज

शेष तहसीलों की जानकारी निरंक है।

Siraj
 अध्यापक, जिला शिक्षा
 बालोद, नया रायपुर, जिला बालोद (छ.ग.)

प्रपत्र

बाउण्डीवाल, भवन, रैम्प एवं खेल मैदान विहीन शालाओं की विकासखण्डवार एवं
शालावार जानकारी

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
बाउण्डीवाल विहीन				
1	1	अं. चौकी	प्रा.शा. इन्दिराआवास	प्राथमिक
2	2	अं. चौकी	प्रा.शा. हाण्डीटोला	प्राथमिक
3	3	अं. चौकी	प्रा.शा. राजाटोला	प्राथमिक
4	4	अं. चौकी	प्रा.शा. बिटाल	प्राथमिक
5	5	अं. चौकी	प्रा.शा. मलगामपारा	प्राथमिक
6	6	अं. चौकी	प्रा.शा. डोंगरगांव	प्राथमिक
7	7	अं. चौकी	प्रा.शा. हज्जूटोला	प्राथमिक
8	8	अं. चौकी	प्रा.शा. टोलागांव	प्राथमिक
9	9	अं. चौकी	प्रा.शा. किलारगौदी	प्राथमिक
10	10	अं. चौकी	प्रा.शा. पिनकापार	प्राथमिक
11	11	अं. चौकी	प्रा.शा. मोहगांव	प्राथमिक
12	12	अं. चौकी	प्रा.शा. हालमकोड़ो	प्राथमिक
13	13	अं. चौकी	प्रा.शा. अं. चौकी	प्राथमिक
14	14	अं. चौकी	प्रा.शा. बिहरीकला	प्राथमिक
15	15	अं. चौकी	प्रा.शा. सिराभाठा	प्राथमिक
16	16	अं. चौकी	प्रा.शा. निगनचुवा	प्राथमिक
17	17	अं. चौकी	प्रा.शा. पेन्दलकुही	प्राथमिक
18	18	अं. चौकी	प्रा.शा. लाताकोड़ो	प्राथमिक
19	19	अं. चौकी	प्रा.शा. दुवालगुण्डरा	प्राथमिक
20	20	अं. चौकी	मा.शा. हाण्डीटोला	पूर्व माध्यमिक
21	21	अं. चौकी	मा.शा. डोंगरगांव	पूर्व माध्यमिक
22	22	अं. चौकी	मा.शा. बिहरीकला	पूर्व माध्यमिक
23	23	अं. चौकी	मा.शा. भड़सेना	पूर्व माध्यमिक
24	24	अं. चौकी	मा.शा. ओटेबांधा	पूर्व माध्यमिक
25	25	अं. चौकी	मा.शा. साल्हे कुसुमकसा	पूर्व माध्यमिक
26	26	अं. चौकी	शा.हाई स्कूल थुहाडबरी	हाई स्कूल
27	27	अं. चौकी	शा.बा.उ.मा.वि. अं.चौकी	हायर सेकेण्डरी
28	28	अं. चौकी	शा.उ.मा.वि. चिल्हाटी	हायर सेकेण्डरी
29	29	अं. चौकी	शा.उ.मा.वि. भड़सेना	हायर सेकेण्डरी
30	30	अं. चौकी	शा.उ.मा.वि. सोनसायटोला	हायर सेकेण्डरी
31	31	अं. चौकी	शा.उ.मा.वि. दाऊटोला	हायर सेकेण्डरी

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
32	32	छुरिया	प्रा.शा.कोरगुडा	प्राथमिक
33	33	छुरिया	प्रा.शा.रानामटिया	प्राथमिक
34	34	छुरिया	प्रा.शा.आमाकट्टा	प्राथमिक
35	35	छुरिया	प्रा.शा.बावली	प्राथमिक
36	36	छुरिया	प्रा.शा.कारुटोला	प्राथमिक
37	37	छुरिया	प्रा.शा.रानीपुर खडखडी	प्राथमिक
38	38	छुरिया	प्रा.शा.गेरुघाट	प्राथमिक
39	39	छुरिया	प्रा.शा.कोलियारी	प्राथमिक
40	40	छुरिया	प्रा.शा.चारभांठा	प्राथमिक
41	41	छुरिया	प्रा.शा.मानिकपुर	प्राथमिक
42	42	छुरिया	प्रा.शा.कुल्हाडी	प्राथमिक
43	43	छुरिया	प्रा.शा.बैरागीभेडी	प्राथमिक
44	44	छुरिया	प्रा.शा.मासूल	प्राथमिक
45	45	छुरिया	प्रा.शा.जनकपुर	प्राथमिक
46	46	छुरिया	प्रा.शा.बादराटोला	प्राथमिक
47	47	छुरिया	प्रा.शा.ब्राम्हणटोला	प्राथमिक
48	48	छुरिया	प्रा.शा.जोब	प्राथमिक
49	49	छुरिया	प्रा.शा.विचारपुर	प्राथमिक
50	50	छुरिया	प्रा.शा.ग्वालदंड	प्राथमिक
51	51	छुरिया	प्रा.शा.ठाकुरबांधा	प्राथमिक
52	52	छुरिया	प्रा.शा.गोटाटोला	प्राथमिक
53	53	छुरिया	प्रा.शा.शिकारीमहकाटोला	प्राथमिक
54	54	छुरिया	प्रा.शा.बीरुटोला	प्राथमिक
55	55	छुरिया	मा.शा.छुरिया अंग्रेजी माध्यम	पूर्व माध्यमिक
56	56	छुरिया	मा.शा.गेरुघाट	पूर्व माध्यमिक
57	57	छुरिया	मा.शा.दैहान	पूर्व माध्यमिक
58	58	छुरिया	मा.शा.आमगांव	पूर्व माध्यमिक
59	59	छुरिया	मा.शा.बैरागीभेडी	पूर्व माध्यमिक
60	60	छुरिया	मा.शा.जोब	पूर्व माध्यमिक
61	61	छुरिया	मा.शा.मुंजालपाथरी	पूर्व माध्यमिक
62	62	छुरिया	मा.शा.सागर	पूर्व माध्यमिक
63	63	छुरिया	मा.शा.मातेखेडा	पूर्व माध्यमिक
64	64	छुरिया	हाई स्कूल साल्हेटोला	हाई स्कूल
65	65	छुरिया	हाई स्कूल खुर्सीटिकुल	हाई स्कूल
66	66	छुरिया	हाई स्कूल रामतराई	हाई स्कूल
67	67	छुरिया	हाई स्कूल चिखलाकसा	हाई स्कूल
68	68	छुरिया	हाई स्कूल रामपुर	हाई स्कूल
69	69	छुरिया	हाई स्कूल शिकारीमहका	हाई स्कूल
70	70	छुरिया	हाई स्कूल चिरचारीखुर्द	हाई स्कूल
71	71	छुरिया	हाई स्कूल जोशीलमती	हाई स्कूल

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
72	72	छुरिया	हाई स्कूल गेरुघाट	हाई स्कूल
73	73	छुरिया	हाई स्कूल मोरकुटुम्ब	हाई स्कूल
74	74	छुरिया	हाई स्कूल चारभाठा कु.	हाई स्कूल
75	75	छुरिया	हाई स्कूल जोब	हाई स्कूल
76	76	छुरिया	शा.उ.मा.शा.छुरिया	हायर सेकेण्डरी
77	77	छुरिया	शा.उ.मा.शा.छुरिया डोंगरी	हायर सेकेण्डरी
78	78	छुरिया	शा.उ.मा.शा.कल्लुबंजारी	हायर सेकेण्डरी
79	79	छुरिया	शा.उ.मा.शा.पिनकापार	हायर सेकेण्डरी
80	80	छुरिया	शा.उ.मा.शा.बादराटोला	हायर सेकेण्डरी
81	81	छुरिया	शा.उ.मा.शा.आतरगांव	हायर सेकेण्डरी
82	82	छुरिया	शा.उ.मा.शा.बूचाटोला	हायर सेकेण्डरी
भवन विहीन				
83	1	छुरिया	हाई स्कूल साल्हेटोला	हाई स्कूल
84	2	छुरिया	हाई स्कूल मोरकुटुम्ब	हाई स्कूल
85	3	छुरिया	हाई स्कूल चिरचारीखुर्द	हाई स्कूल
रैम्प विहीन				
86	1	छुरिया	प्रा.शा. खुर्सीपार	प्राथमिक
87	2	छुरिया	प्रा.शा. पाण्डुका	प्राथमिक
88	3	छुरिया	प्रा.शा. आतरगांव	प्राथमिक
89	4	छुरिया	प्रा.शा. कल्याणपुर	प्राथमिक
90	5	छुरिया	प्रा.शा. रामपुर	प्राथमिक
91	6	छुरिया	प्रा.शा. बिसाहूटोला	प्राथमिक
92	7	छुरिया	प्रा.शा. बन नवागांव	प्राथमिक
93	8	छुरिया	प्रा.शा. मिटकूटोला	प्राथमिक
94	9	छुरिया	प्रा.शा. चिखलाकसा टोला	प्राथमिक
95	10	छुरिया	प्रा.शा. पथरी	प्राथमिक
96	11	छुरिया	प्रा.शा. सीताकसा (साल्हे)	प्राथमिक
97	12	छुरिया	प्रा.शा. उंचईपुर	प्राथमिक
98	13	छुरिया	प्रा.शा. धोबनी	प्राथमिक
99	14	छुरिया	प्रा.शा. गिदरी	प्राथमिक
100	15	छुरिया	प्रा.शा. भाठापारा	प्राथमिक
101	16	छुरिया	प्रा.शा. संबलपुर	प्राथमिक
102	17	छुरिया	प्रा.शा. उमरवाही	प्राथमिक
103	18	छुरिया	प्रा.शा. चंदिया	प्राथमिक
104	19	छुरिया	प्रा.शा. जनकपुर	प्राथमिक
105	20	छुरिया	प्रा.शा. गोटाटोला उ.	प्राथमिक
106	21	छुरिया	प्रा.शा. लालूटोला	प्राथमिक
107	22	छुरिया	प्रा.शा. बागनदी	प्राथमिक
108	23	छुरिया	प्रा.शा. रानीपुर खडखडी	प्राथमिक
109	24	छुरिया	प्रा.शा. खेडेपार	प्राथमिक

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
110	25	छुरिया	प्रा.शा. मालडोंगरी	प्राथमिक
111	26	छुरिया	प्रा.शा. किडकाडी	प्राथमिक
112	27	छुरिया	प्रा.शा. हेताडकसा	प्राथमिक
113	28	छुरिया	प्रा.शा. पंडरापानी	प्राथमिक
114	29	छुरिया	प्रा.शा. ग्वालदण्ड	प्राथमिक
115	30	छुरिया	प्रा.शा. बावली	प्राथमिक
116	31	छुरिया	प्रा.शा. बडगांव	प्राथमिक
117	32	छुरिया	प्रा.शा. कारुटोला	प्राथमिक
118	33	छुरिया	प्रा.शा. साल्हेटोला	प्राथमिक
119	34	छुरिया	मा.शा. चिखलाकसा	पूर्व माध्यमिक
120	35	छुरिया	मा.शा. तुरंगढ़	पूर्व माध्यमिक
121	36	छुरिया	मा.शा. आयबांधा	पूर्व माध्यमिक
122	37	छुरिया	मा.शा. गिदरी	पूर्व माध्यमिक
123	38	छुरिया	मा.शा. परेवाडीह	पूर्व माध्यमिक
124	39	छुरिया	मा.शा. सम्बलपुर	पूर्व माध्यमिक
125	40	छुरिया	मा.शा. लालूटोला	पूर्व माध्यमिक
126	41	छुरिया	मा.शा. तेलिनबांधा	पूर्व माध्यमिक
127	42	छुरिया	मा.शा. बिजेपार	पूर्व माध्यमिक
128	43	छुरिया	मा.शा. पंडरापानी	पूर्व माध्यमिक
129	44	छुरिया	मा.शा. जोब	पूर्व माध्यमिक
130	45	छुरिया	मा.शा. बडगांव	पूर्व माध्यमिक
131	46	छुरिया	हाई स्कूल मोरकुटुम्ब	हाई स्कूल
132	47	छुरिया	हाई स्कूल गेरुघाट	हाई स्कूल
133	48	छुरिया	हाई स्कूल चिरचारीखुर्द	हाई स्कूल
134	49	छुरिया	हाई स्कूल रामतराई	हाई स्कूल
135	50	छुरिया	हाई स्कूल रामपुर	हाई स्कूल
136	51	छुरिया	हाई स्कूल साल्हेटोला	हाई स्कूल
खेल मैदान विहीन				
137	1	अ.चौकी	प्रा.शा. सिंघाभेड़ी	प्राथमिक
138	2	अ.चौकी	मा.शा. सिंघाभेड़ी	पूर्व माध्यमिक
139	3	अ.चौकी	उ.मा.शा. सिंघाभेड़ी	हायर सेकेण्डरी
140	4	अ.चौकी	प्रा.शा. खोराटोला	प्राथमिक
141	5	अ.चौकी	प्रा.शा. कहाड़कसा	प्राथमिक
142	6	अ.चौकी	प्रा.शा. राजाटोला	प्राथमिक
143	7	अ.चौकी	प्रा.शा. बिटाल	प्राथमिक
144	8	अ.चौकी	मा.शा. बिटाल	पूर्व माध्यमिक
145	9	अ.चौकी	प्रा.शा. हाण्डीटोला	प्राथमिक
146	10	अ.चौकी	मा.शा. हाण्डीटोला	पूर्व माध्यमिक
147	11	अ.चौकी	प्रा.शा. आमाटोला	प्राथमिक
148	12	अ.चौकी	मा.शा. आमाटोला	पूर्व माध्यमिक

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
149	13	अ.चौकी	प्रा.शा. जरहाटोला	प्राथमिक
150	14	अ.चौकी	प्रा.शा. हज्जूटोला	प्राथमिक
151	15	अ.चौकी	बालक आश्रम हज्जूटोला	प्राथमिक
152	16	अ.चौकी	प्रा.शा. रेंगाकठेरा	प्राथमिक
153	17	अ.चौकी	मा.शा. रेंगाकठेरा	पूर्व माध्यमिक
154	18	अ.चौकी	प्रा.शा. शिकारीटोला	प्राथमिक
155	19	अ.चौकी	प्रा.शा. जादूटोला	प्राथमिक
156	20	अ.चौकी	मा.शा. जादूटोला	पूर्व माध्यमिक
157	21	अ.चौकी	प्रा.शा. राघोटोला	प्राथमिक
158	22	अ.चौकी	प्रा.शा. गुण्डरदेही	प्राथमिक
159	23	अ.चौकी	प्रा.शा.क. बांधाबाजार	प्राथमिक
160	24	अ.चौकी	उ.मा.शा.क. बांधाबाजार	हायर सेकेण्डरी
161	25	अ.चौकी	प्रा.शा. टोलागांव	प्राथमिक
162	26	अ.चौकी	प्रा.शा. किलारगोंदी	प्राथमिक
163	27	अ.चौकी	प्रा.शा. कोटरा	प्राथमिक
164	28	अ.चौकी	प्रा.शा.बा. बांधाबाजार	प्राथमिक
165	29	अ.चौकी	उ.मा.शा. बांधाबाजार	हायर सेकेण्डरी
166	30	अ.चौकी	प्रा.शा. डुमरघुचा	प्राथमिक
167	31	अ.चौकी	उ.मा.शा. दाउटोला	हायर सेकेण्डरी
168	32	अ.चौकी	प्रा.शा. बरारमुड़ी	प्राथमिक
169	33	अ.चौकी	प्रा.शा. आटरा	प्राथमिक
170	34	अ.चौकी	मा.शा. आटरा	पूर्व माध्यमिक
171	35	अ.चौकी	उ.मा.शा. आटरा	हायर सेकेण्डरी
172	36	अ.चौकी	हाईस्कूल थुहाडबरी	हाई स्कूल
173	37	अ.चौकी	प्रा.शा. छछानपाहरी	प्राथमिक
174	38	अ.चौकी	मा.शा. छछानपाहरी	पूर्व माध्यमिक
175	39	अ.चौकी	प्रा.शा. नीचेटोला	प्राथमिक
176	40	अ.चौकी	प्रा.शा. मांगाटोला	प्राथमिक
177	41	अ.चौकी	मा.शा. मांगाटोला	पूर्व माध्यमिक
178	42	अ.चौकी	प्रा.शा. होंडीटोला	प्राथमिक
179	43	अ.चौकी	प्रा.शा. चिखली	प्राथमिक
180	44	अ.चौकी	मा.शा. चिखली	पूर्व माध्यमिक
181	45	अ.चौकी	उ.मा.शा. चिखली	हायर सेकेण्डरी
182	46	अ.चौकी	प्रा.शा. मालडोंगरी	प्राथमिक
183	47	अ.चौकी	प्रा.शा. तोयागोंदी	प्राथमिक
184	48	अ.चौकी	प्रा.शा. हाथीकन्हार	प्राथमिक
185	49	अ.चौकी	उ.मा.शा. सोनसायटोला	हायर सेकेण्डरी
186	50	अ.चौकी	प्रा.शा. मोहगांव	प्राथमिक
187	51	अ.चौकी	प्रा.शा. हालमकोड़ो	प्राथमिक
188	52	अ.चौकी	मा.शा. हालमकोड़ो	पूर्व माध्यमिक

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
189	53	अ.चौकी	प्रा.शा. मरारटोला	प्राथमिक
190	54	अ.चौकी	प्रा.शा. चिल्हाटी	प्राथमिक
191	55	अ.चौकी	मा.शा. चिल्हाटी	पूर्व माध्यमिक
192	56	अ.चौकी	प्रा.शा. माहराडीह	प्राथमिक
193	57	अ.चौकी	प्रा.शा. वार्ड नं. 01 अं. चौकी	प्राथमिक
194	58	अ.चौकी	बा.उ.मा.शा. अं. चौकी	हायर सेकेण्डरी
195	59	अ.चौकी	प्रा.शा. सांगली	प्राथमिक
196	60	अ.चौकी	मा.शा. सांगली	पूर्व माध्यमिक
197	61	अ.चौकी	प्रा.शा. सिगरायटोला	प्राथमिक
198	62	अ.चौकी	प्रा.शा. ओटेबांधा	प्राथमिक
199	63	अ.चौकी	मा.शा. ओटेबांधा	पूर्व माध्यमिक
200	64	अ.चौकी	प्रा.शा. तिरपेमेटा	प्राथमिक
201	65	अ.चौकी	प्रा.शा. लाताकोड़ो	प्राथमिक
202	66	अ.चौकी	प्रा.शा. दुवालगुण्डरा	प्राथमिक
203	67	अ.चौकी	प्रा.शा. साल्हे कुसुमकसा	प्राथमिक
204	68	अ.चौकी	मा.शा. साल्हे कुसुमकसा	पूर्व माध्यमिक
205	69	अ.चौकी	प्रा.शा. कुसुमकसा	प्राथमिक
206	70	अ.चौकी	कन्या आश्रम मक्के	पूर्व माध्यमिक
207	71	अ.चौकी	मा.शा. मक्के	पूर्व माध्यमिक
208	72	अ.चौकी	उ.मा.शा. मक्के	हायर सेकेण्डरी
209	73	अ.चौकी	प्रा.शा. मक्के	प्राथमिक
210	74	छुरिया	प्रा.शा. खुर्सीपार	प्राथमिक
211	75	छुरिया	प्रा.शा. बागद्वार	प्राथमिक
212	76	छुरिया	प्रा.शा. करेठी	प्राथमिक
213	77	छुरिया	प्रा.शा. केरेगांव	प्राथमिक
214	78	छुरिया	प्रा.शा. पाण्डुका	प्राथमिक
215	79	छुरिया	प्रा.शा. सोमाझिटिया	प्राथमिक
216	80	छुरिया	प्रा.शा. तुमडीलेवा	प्राथमिक
217	81	छुरिया	प्रा.शा. आतरगांव	प्राथमिक
218	82	छुरिया	प्रा.शा.बादराटोला	प्राथमिक
219	83	छुरिया	मा.शा. बादराटोला	प्राथमिक
220	84	छुरिया	मा.शा. बागद्वार	प्राथमिक
221	85	छुरिया	मा.शा. आतरगांव	प्राथमिक
222	86	छुरिया	प्रा.शा. ब्राम्हण मासूल	प्राथमिक
223	87	छुरिया	प्रा.शा. कल्लू बंजारी	प्राथमिक
224	88	छुरिया	प्रा.शा. हाटबंजारी	प्राथमिक
225	89	छुरिया	प्रा.शा. भकुरा	प्राथमिक
226	90	छुरिया	प्रा.शा. रामतराई	प्राथमिक
227	91	छुरिया	प्रा.शा. दामा बंजारी	प्राथमिक
228	92	छुरिया	प्रा.शा. छुरिया डोंगरी	प्राथमिक

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
229	93	छुरिया	प्रा.शा. दुर्बंजारी	प्राथमिक
230	94	छुरिया	प्रा.शा. टीपानगढ़	प्राथमिक
231	95	छुरिया	प्रा.शा. आटरा	प्राथमिक
232	96	छुरिया	प्रा.शा. टेकेहरा	प्राथमिक
233	97	छुरिया	मा.शा. कल्लू बंजारी	पूर्व माध्यमिक
234	98	छुरिया	मा.शा. रामतराई	पूर्व माध्यमिक
235	99	छुरिया	मा.शा. छुरिया डोंगरी	पूर्व माध्यमिक
236	100	छुरिया	मा.शा. आटरा	पूर्व माध्यमिक
237	101	छुरिया	प्रा.शा. झालाटोला	प्राथमिक
238	102	छुरिया	प्रा.शा. शिकारीमहका टोला	प्राथमिक
239	103	छुरिया	प्रा.शा. भोलापुर	प्राथमिक
240	104	छुरिया	प्रा.शा. पुरामटोला	प्राथमिक
241	105	छुरिया	प्रा.शा. तेलगांन	प्राथमिक
242	106	छुरिया	मा.शा. पुरामटोला	पूर्व माध्यमिक
243	107	छुरिया	प्रा.शा. ठाकुरबांधा	प्राथमिक
244	108	छुरिया	प्रा.शा. मुंजालकला	प्राथमिक
245	109	छुरिया	प्रा.शा. बिजेपार सागर	प्राथमिक
246	110	छुरिया	प्रा.शा. थैलीटोला	प्राथमिक
247	111	छुरिया	प्रा.शा. सागर	प्राथमिक
248	112	छुरिया	प्रा.शा. चोरहा बंजारी	प्राथमिक
249	113	छुरिया	प्रा.शा. नरेटीटोला	प्राथमिक
250	114	छुरिया	मा.शा. मुंजालकला	पूर्व माध्यमिक
251	115	छुरिया	प्रा.शा. बापूटोला	प्राथमिक
252	116	छुरिया	प्रा.शा. कुबराडीह	प्राथमिक
253	117	छुरिया	प्रा.शा. बिसाहूटोला	प्राथमिक
254	118	छुरिया	प्रा.शा. पिनकापार	प्राथमिक
255	119	छुरिया	प्रा.शा. चिचोला	प्राथमिक
256	120	छुरिया	प्रा.शा. रानीतालाब	प्राथमिक
257	121	छुरिया	प्रा.शा. जनकपुर	प्राथमिक
258	122	छुरिया	प्रा.शा. नागरकोहरा	प्राथमिक
259	123	छुरिया	प्रा.शा. नवागांव	प्राथमिक
260	124	छुरिया	मा.शा. बिसाहूटोला	पूर्व माध्यमिक
261	125	छुरिया	मा.शा. पिनकापार	पूर्व माध्यमिक
262	126	छुरिया	मा.शा. चिचोला	पूर्व माध्यमिक
263	127	छुरिया	मा.शा. नागरकोहरा	पूर्व माध्यमिक
264	128	छुरिया	प्रा.शा. मन्होरा	प्राथमिक
265	129	छुरिया	प्रा.शा. बिरुटोला	प्राथमिक
266	130	छुरिया	प्रा.शा. मिटकूटोला	प्राथमिक
267	131	छुरिया	प्रा.शा. चिखलाकसा	प्राथमिक
268	132	छुरिया	प्रा.शा. चिखलाकसा टोला	प्राथमिक

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
269	133	छुरिया	प्रा.शा. पथरी	प्राथमिक
270	134	छुरिया	प्रा.शा. सीताकसा (साल्हे)	प्राथमिक
271	135	छुरिया	प्रा.शा. साल्हे	प्राथमिक
272	136	छुरिया	प्रा.शा. सल्हईटोला	प्राथमिक
273	137	छुरिया	प्रा.शा. उंचईपुर	प्राथमिक
274	138	छुरिया	प्रा.शा. तलवारटोला	प्राथमिक
275	139	छुरिया	प्रा.शा. आयबांधा	प्राथमिक
276	140	छुरिया	मा.शा. चिखलाकसा	पूर्व माध्यमिक
277	141	छुरिया	मा.शा. साल्हे	पूर्व माध्यमिक
278	142	छुरिया	मा.शा. आयबांधा	पूर्व माध्यमिक
279	143	छुरिया	प्रा.शा. धोबनी	प्राथमिक
280	144	छुरिया	प्रा.शा. बरबसपुर	प्राथमिक
281	145	छुरिया	प्रा.शा. गिदरी	प्राथमिक
282	146	छुरिया	प्रा.शा. भाठापारा	प्राथमिक
283	147	छुरिया	प्रा.शा. संबलपुर	प्राथमिक
284	148	छुरिया	प्रा.शा. चंदिया	प्राथमिक
285	149	छुरिया	प्रा.शा. जनकपुर	प्राथमिक
286	150	छुरिया	प्रा.शा. गोटाटोला उ.	प्राथमिक
287	151	छुरिया	प्रा.शा. लालूटोला	प्राथमिक
288	152	छुरिया	मा.शा. गिदरी	पूर्व माध्यमिक
289	153	छुरिया	मा.शा. सम्बलपुर	पूर्व माध्यमिक
290	154	छुरिया	मा.शा. लालूटोला	पूर्व माध्यमिक
291	155	छुरिया	प्रा.शा. खूटा छुरिया	प्राथमिक
292	156	छुरिया	प्रा.शा. कुमरा छुरिया	प्राथमिक
293	157	छुरिया	मा.शा. साल्हेटोला	पूर्व माध्यमिक
294	158	छुरिया	प्रा.शा. खुसीटिकुल	प्राथमिक
295	159	छुरिया	प्रा.शा. बंशी बंजारी	प्राथमिक
296	160	छुरिया	प्रा.शा. कन्हारपुरी	प्राथमिक
297	161	छुरिया	प्रा.शा. मूचेदण्ड	प्राथमिक
298	162	छुरिया	प्रा.शा. भण्डारी भरदा	प्राथमिक
299	163	छुरिया	प्रा.शा. पांगरीकला	प्राथमिक
300	164	छुरिया	प्रा.शा. देवरी	प्राथमिक
301	165	छुरिया	प्रा.शा. चांदो	प्राथमिक
302	166	छुरिया	मा.शा. खुसीटिकुल	पूर्व माध्यमिक
303	167	छुरिया	मा.शा. पांगरीकला	पूर्व माध्यमिक
304	168	छुरिया	मा.शा. चांदो	पूर्व माध्यमिक
305	169	छुरिया	प्रा.शा. घोरतलाब	प्राथमिक
306	170	छुरिया	प्रा.शा. बागनदी	प्राथमिक
307	171	छुरिया	प्रा.शा. रानीपुर खडखडी	प्राथमिक
308	172	छुरिया	प्रा.शा. सडक बंजारी	प्राथमिक

स.कं.	कं.	विकास खण्ड	शाला का नाम	शाला का स्तर
309	173	छुरिया	प्रा.शा. सडक चिरचारी	प्राथमिक
310	174	छुरिया	प्रा.शा. चाबुकनाला	प्राथमिक
311	175	छुरिया	प्रा.शा. तेलिनबांधा	प्राथमिक
312	176	छुरिया	मा.शा. घोरतलाब	पूर्व माध्यमिक
313	177	छुरिया	मा.शा. सडक चिरचारी	पूर्व माध्यमिक
314	178	छुरिया	मा.शा. तेलिनबांधा	पूर्व माध्यमिक
315	179	छुरिया	प्रा.शा. मरकाकसा	प्राथमिक
316	180	छुरिया	प्रा.शा. बिजेपार	प्राथमिक
317	181	छुरिया	प्रा.शा. पंडरापानी	प्राथमिक
318	182	छुरिया	प्रा.शा. जोब	प्राथमिक
319	183	छुरिया	प्रा.शा. ग्वालदण्ड	प्राथमिक
320	184	छुरिया	मा.शा. बिजेपार	पूर्व माध्यमिक
321	185	छुरिया	मा.शा. पंडरापानी	पूर्व माध्यमिक
322	186	छुरिया	मा.शा. जोब	पूर्व माध्यमिक
323	187	छुरिया	प्रा.शा. कोलियारी	प्राथमिक
324	188	छुरिया	प्रा.शा. गहिराभेडी	प्राथमिक
325	189	छुरिया	मा.शा. गहिराभेडी	पूर्व माध्यमिक
326	190	छुरिया	प्रा.शा. बडगांव	प्राथमिक
327	191	छुरिया	प्रा.शा. कारुटोला	प्राथमिक
328	192	छुरिया	प्रा.शा. चिखला मटिया	प्राथमिक
329	193	छुरिया	मा.शा. बडगांव	पूर्व माध्यमिक
330	194	छुरिया	मा.शा. मासूलकसा	पूर्व माध्यमिक
331	195	छुरिया	मा.शा. गोडलवाही	पूर्व माध्यमिक
332	196	छुरिया	शा0उ0मा0शा0बखरुटोला	हायर सेकेण्डरी
333	197	छुरिया	हाई स्कूल बम्हनीचारभाठा	हाई स्कूल
334	198	छुरिया	हाई स्कूल चिरचारीखुर्द	हाई स्कूल
335	199	छुरिया	हाई स्कूल तेलिनबांधा	हाई स्कूल


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - चवालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 731) की जानकारी

प्रपत्र

"अ"

स.क	वर्ष	जिला का नाम	हाईस्कूल में	हायर सेकेण्डरी में
1	2021-22	दुर्ग	1	1
2	2021-22	बस्तर	1	0
3	2021-22	कोरिया	0	1
4	2022-23	सक्ती	1	1
5	2022-23	महासमुन्द	1	0
6	2022-23	रायपुर	2	1
7	2022-23	जांजगीर- चांपा	1	0
8	2022-23	कोरिया	0	1
9	2022-23	बलरामपुर	0	3
10	2022-23	सुकमा	0	1
11	2022-23	सूरजपुर	0	1
12	2022-23	बालोद	0	1
13	2022-23	बलौदाबाजार	0	1
14	2022-23	बेमेतरा	0	1

"ब"

स.क	जिला का नाम	शाला का नाम	पद	
			स्वीकृत	रिक्त
1	दुर्ग	कन्या हाईस्कूल कुम्हारी	13	2
2	बस्तर	हाईस्कूल ककनार	13	13
3	दुर्ग	हायर सेकेण्डरी पतौरा	23	2
4	कोरिया	हायर सेकेण्डरी घुघरा	23	13
5	सक्ती	हाईस्कूल सुखदा	13	11
6	महासमुन्द	हाईस्कूल मोहगांव	13	13
7	रायपुर	हाईस्कूल बोरियाखुर्द	13	4
8	रायपुर	हाईस्कूल भैंसा	13	11
9	जांजगीर- चांपा	हाईस्कूल महुदा	13	13
10	कोरिया	हायर सेकेण्डरी बरबसपुर	15	10
11	बलरामपुर	हायर सेकेण्डरी ढोंढी	17	9
12	बलरामपुर	हायर सेकेण्डरी फुलीडुमार	17	6
13	बलरामपुर	हायर सेकेण्डरी मुरकौल	16	7
14	सुकमा	हायर सेकेण्डरी तालनार	16	11
15	सूरजपुर	हायर सेकेण्डरी अर्जुनपुर	21	15
16	बालोद	हायर सेकेण्डरी भण्डेरा	16	9
17	बलौदाबाजार	हायर सेकेण्डरी राजादेवरी	19	15
18	सक्ती	हायर सेकेण्डरी धनपुर	17	11
19	रायपुर	हायर सेकेण्डरी खम्हारडीह	21	7
20	बेमेतरा	हायर सेकेण्डरी ट्यासीवा	15	9

सहायक संचालक

श्रीम. शिक्षण संस्थानालय

प्रपत्र

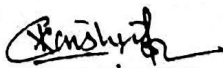
सप्लाईकर्ता फर्म के नाम व पता, सामग्री सप्लाई की मात्रा व दर की वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	सप्लाईकर्ता फर्म	सप्लाई की गई सामग्री व दर विवरण		
			फर्नीचर/प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री की मात्रा	दर	
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2020-21 (जनवरी 21 से मार्च 21)					
1	जांजगीर-चाम्पा	राधा इण्डस्ट्रीज राजनांदगांव	किचन डिवाइस	3120	2053.00
2	जांजगीर-चाम्पा	क्रेडिबल कार्पोरेशन रायपुर	किचन डिवाइस	3125	2059.00
3	जांजगीर-चाम्पा	मेक्स इन्टर प्राइजेस अमर काम्पलेक्स रायपुर	सायकल	6484	3496.24
4	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. रायपुर	फर्नीचर	2184	2022.56
5	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स रॉयल स्टील इण्डस्ट्रिज रायपुर	फर्नीचर	1820	2022.56
6	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स सागर इण्डस्ट्रिज रायपुर	फर्नीचर	2548	2022.56
7	सक्ती	हरिओम उद्योग, खरसिया, चंदन तालाब खरसिया	फर्नीचर	9200	19032.53
8	सक्ती	सेथ इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन जैन बिहार पचपेड़ी नाका रायपुर	सायकल	4759	3496.24
9	सक्ती	मेसर्स न्यू क्रियेटिव फैब्रिक ग्लास रायपुर	व्यायाम उपकरण	16	77466.85
10	सक्ती	श्री राम क्रिसेशन कंचना रायपुर	किचन डिवाइस	1540	3861.27
11	सक्ती	मेसर्स अहिन्त प्रियदर्शनी नगर रायपुर	किचन डिवाइस	8330	3504.12
वर्ष 2021-2022					
12	जांजगीर-चाम्पा	हरिओम उद्योग, कन्या विवाह रोड खरसीया (छ.ग.)	फर्नीचर	1697	2951.48
13	जांजगीर-चाम्पा	केसिका इंटरप्राइजेस रामनगर, कर्मा चौक रायपुर	फर्नीचर	2042	1861.17

अनुमोदित अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

जिला	सप्लायकर्ता फर्म	सप्लाय की गई सामग्री व दर विवरण			
		फर्नीचर/प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री की मात्रा		दर	
1	2	3	4	5	6
14	जांजगीर-चाम्पा	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	फर्नीचर	1268	3508.30
15	जांजगीर-चाम्पा	श्री बालाजी इस्टीमेटिंग प्लांट नम्बर 1 कोरबा रोड चोंपा	फर्नीचर	196	2973.31
16	जांजगीर-चाम्पा	गणपति इंटरप्राइजेस , कपील काम्लेक्स , गुरुनानक चौक रायपुर	फर्नीचर	943	8387.36
17	जांजगीर-चाम्पा	मानकी इंडस्ट्रीज कुलीपोटा	फर्नीचर	1781	2877.17
18	जांजगीर-चाम्पा	एम./एस. एन.आर.एसोसिएट्स , लिंक रोड बिलासपुर	विज्ञान सामग्री	50	101272.64
19	जांजगीर-चाम्पा	विशाल सायकल प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना	सायकल	6229	4126.23
20	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स ओम इंटरप्राइजेस रायपुर	फर्नीचर	728	2022.56
21	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स एल्फा इंजि. एण्ड फेबरीक वर्क रायपुर	फर्नीचर	728	2022.56
22	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स मानकी इंडस्ट्रीज कुलीपोटा	फर्नीचर	1456	2022.56
23	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स डोलिया इंटरप्राइजेस रायपुर	फर्नीचर	7280	2022.56
24	सक्ती	गर्ग फर्नीचर, पुनमचंद कालोनी रायगढ़	विद्यार्थी फर्नीचर	4000	2975.97
25	सक्ती	मेसर्स सागर इंडस्ट्रीज शारदा चौक जांजगीर	विद्यार्थी फर्नीचर	7014	2975.97
26	सक्ती	मेसर्स सिंह इंडस्ट्रीज बोरी राजनांदगांव	फर्नीचर	1536	22507.07
27	सक्ती	मेसर्स एन.आर.एसोसियेट लिंक रोड बिलासपुर	विज्ञान सामग्री	31243	23820.42
28	सक्ती	मेसर्स न्यू क्रियेटिव फैब्रिक ग्लास रायपुर	सी-सा	8	12820.46
			बेक एक्स्टेंशन एक्जूपमेंट	16	21011.36
29	सक्ती	मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज धमतरी	खेल सामग्री	70	180976.36
30	सक्ती	मेसर्स एवन सायकल लिमिटेड रामसागर रोड कोटा रायपुर	सायकल	4581	4126.23
वर्ष 2022-2023 (1 अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक)					
31	जांजगीर-चाम्पा	मौ भवानी इंटरप्राइजेस , मराठा मंगल भवन धमतरी	विज्ञान सामग्री	42	97391.23

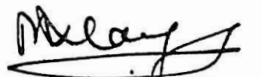
1	जिला	सप्लायकर्ता फर्म	सप्लाय की गई सामग्री व दर विवरण		
			फर्नीचर/प्रयोगशाला सामग्री एवं अन्य सामग्री की मात्रा		दर
2	3	4	5	6	
32	जांजगीर-चाम्पा	श्री राम इन्डस्ट्रीज कॉलेज रोड सारागांव जिला जांजगीर-चांपा	फर्नीचर	2004	9957.54
33	जांजगीर-चाम्पा	मों भवानी इंटरप्राइजेस , मराठा मंगल भवन धमतरी	खेल सामग्री	1494	401.59
34	जांजगीर-चाम्पा	श्री श्याम फ्यूल्स अन्नपूर्णा सायकल फिल्ड ग्राम मोवा रायपुर	सायकल	6053	4126.23
35	जांजगीर-चाम्पा	मेसर्स पीयूष बुक डिपोट धमतरी	विज्ञान सामग्री	40284	268.078
36	सक्ती	श्री साई स्टील इण्डस्ट्रीज सुरजपुर	फर्नीचर	6000	2644.77
37	सक्ती	मेसर्स सेलेनो स्टील अम्बिकापुर सरगुजा	फर्नीचर	3084	2644.77
38	सक्ती	मेसर्स श्री श्याम इण्डस्ट्रीज सिरगिट्टी बिलासपुर	फर्नीचर	572	29273.39
39	सक्ती	मों भवानी इंटरप्राइजेसेस मराठा मंगल भवन धमतरी	विज्ञान सामग्री	20420	25234.50
40	सक्ती	मेसर्स श्री श्याम पल्लसेस मोवा रायपुर	सायकल	4286	4126.23
41	सक्ती	मेसर्स कमला प्रोडक्ट अम्बिकापुर	कॉम्बिनेशन सेट श्री ईन वन	9	51944.25
			हॉरजेनिकल बार	2	15136.40
42	सक्ती	मेसर्स कमला प्रोडक्ट अम्बिकापुर	खेल सामग्री	1185	7268.5


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

परोक्ष - छियालीस
अतारोकेत प्रश्न संख्या 37 (क्र. 734) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	छात्र हितग्राही योजना का नाम	2022 -23 में फरवरी 2023 तक हितग्राही छात्र - छात्राओं की संख्या	योजनान्तर्गत दिये जाने वाले लाभ
1	निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना	6522	कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी छात्राओं को तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. के परिवार के पात्र हितग्राही छात्राओं को सायकल वितरण किया जाता है।
2	छात्रवृत्ति योजना	83121	कक्षा 1ली से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य छात्र वृत्ति शिक्षा सत्र में 10 माह का एकमुश्त राशि प्रदान किया जाता है।
3	महतारी दुलार योजना	157	महतारी दुलार योजना अंतर्गत कोविड 19 से मृत हुये व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अशासकीय शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है।
4	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना)	123195	कक्षा 1ली से 8वीं तक के समस्त छात्र - छात्राओं को शालेय अवधि में गरम पका भोजन प्रदाय किया जाता है।
5	मुख्यमंत्री अमृत योजना	123195	सप्ताह में 01 दिन सोया दूध प्रदाय किया जाता है।
6	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना	200723	शासकीय/अशासकीय/ मदरसा/अनुदान प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूल में अध्ययनरत समस्त छात्र - छात्राओं को हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान किया जाता है।
7	निःशुल्क गणवेश योजना	131790	शासकीय/अशासकीय/मदरसा/अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र - छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है।



सहायक संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

नवा रायपुर

पारोशेष्ट - सेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 735) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	स्वीकृत सीट	लाभान्वित संख्या
1	2	4	3	3
वर्ष 2022-23				
बालक				
1	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास इंदौरी	कवर्धा	50	50
2	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	50
3	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास न. पंडरिया	पंडरिया	50	50
4	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पु. पंडरिया	पंडरिया	50	50
5	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मोहगांव	पंडरिया	20	35
6	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कुण्डा	पंडरिया	50	50
7	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास दामापुर	पंडरिया	50	50
8	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पोलमी	पंडरिया	50	50
9	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पांडातराई	पंडरिया	50	50
10	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर-न.	पंडरिया	50	60
11	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर-पु.	पंडरिया	40	40
12	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ठाठापुर	स.लोहारा	50	50
13	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देवसरा	पंडरिया	50	50
14	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास किशुनगढ़	पंडरिया	50	50
15	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	50
योग			710	735
कन्या				
16	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	50
17	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	50
18	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुण्डा	पंडरिया	50	50
19	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुई	पंडरिया	50	60
20	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कोदवागोडान	पंडरिया	50	60
21	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास रणवीरपुर	स.लोहारा	50	50
22	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास ठाठापुर	स.लोहारा	50	50
योग			350	370
महायोग			1060	1105


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया सक्करपुर

प्रपत्र-“ब”

वर्ष 2022-23				
क्र.	संस्था का नाम	विकास खंड	स्वीकृत सीट	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
बालक				
1	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास इंदौरी	कवर्धा	50	1- श्री जनमेजय महोबे, कलेक्टर जिला कबीरधाम 2- श्रीमती मोनिका कौड़ो, प्र.सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम
2	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	श्री तरुण कुमार बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया
3	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास न. पंडरिया	पंडरिया	50	
4	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पु. पंडरिया	पंडरिया	50	
5	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मोहगांव	पंडरिया	20	
6	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कुण्डा	पंडरिया	50	श्री शिवनंदन साकेत, नायब तहसीलदार कुण्डा
7	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास दामापुर	पंडरिया	50	श्रीमती मोनिका कौड़ो, प्र.सहायक आयुक्त आदि. वि.
8	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पोलमी	पंडरिया	50	श्रीमती मोनिका कौड़ो, प्र.सहायक आयुक्त आदि. वि.
9	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रा. पांडातराई	पंडरिया	50	श्री प्रकाश यादव, तहसीलदार पंडरिया
10	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर-न.	पंडरिया	50	श्रीमती कृतिका सिंह, परियोजना अधिकारी, कुकदूर
11	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर-पु.	पंडरिया	40	
12	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ठाठापुर	स.लोहारा	50	श्री प्रकाश चन्द्र कोरी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
13	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देवसरा	पंडरिया	50	श्री बी.के.मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, पंडरिया
14	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास किशुनगढ़	पंडरिया	50	श्री प्रेमलाल ठाकरे, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पंडरिया
15	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	श्री प्रकाश यादव, तहसीलदार पंडरिया
कन्या				
16	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	सुश्री तोमेश्वरी भण्डारी, राजस्व निरीक्षक
17	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	50	
18	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुण्डा	पंडरिया	50	विकासखण्ड समन्वयक (आजाक) पंडरिया
19	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुई	पंडरिया	50	श्रीमती मोनिका कौड़ो, प्र.सहायक आयुक्त आदि. वि.
20	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कोदवागोडान	पंडरिया	50	श्री ओ.पी.उपाध्याय, एस.डी.ओ. लोक निर्माण विभाग संभाग पंडरिया
21	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास रणवीरपुर	स.लोहारा	50	सुश्री श्रद्धा यादव, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
22	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास ठाठापुर	स.लोहारा	50	श्री प्रकाश चन्द्र कोरी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुमान अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-स

विधानसभा क्षेत्र पंडरिया अंतर्गत संचालित छात्रावासों के भवन की जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	विकासखंड	भवन की स्थिति
1	2	4	3
वर्ष 2022-23			
बालक			
1	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास इंदौरी	कवर्धा	भवन निर्माण पूर्ण जहां छात्रावास संचालित हो रहे हैं।
2	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	
3	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास न. पंडरिया	पंडरिया	
4	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पु. पंडरिया	पंडरिया	
5	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मोहगांव	पंडरिया	
6	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कुण्डा	पंडरिया	
7	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास दामापुर	पंडरिया	
8	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पोलमी	पंडरिया	
9	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रा. पांडातराई	पंडरिया	
10	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर-न.	पंडरिया	
11	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर-पु.	पंडरिया	
12	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ठाठापुर	स.लोहारा	
13	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देवसरा	पंडरिया	भवन विहीन
14	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास किशुनगढ़	पंडरिया	
15	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	
कन्या			
16	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	भवन निर्माण पूर्ण जहां छात्रावास संचालित हो रहे हैं।
17	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पंडरिया	पंडरिया	
18	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुण्डा	पंडरिया	
19	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुई	पंडरिया	
20	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कोदवागोडान	पंडरिया	
21	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास रणवीरपुर	स.लोहारा	
22	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास ठाठापुर	स.लोहारा	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परीक्षे - अड्डातलीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 740) को जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला का नाम	पदस्थापना पद का नाम
1	2	3
1	रायपुर	जिला शिक्षा अधिकारी
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	जिला शिक्षा अधिकारी
3	गरियाबंद	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
4	महासमुन्द	जिला शिक्षा अधिकारी
5	धमतरी	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
6	दुर्ग	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
7	बेमेतरा	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
8	बालोद	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
9	राजनांदगांव	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
10	कबीरधाम	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
11	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
12	मोहला-मानपुर-चौकी	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
13	बिलासपुर	जिला शिक्षा अधिकारी
14	मुंगेली	जिला शिक्षा अधिकारी
15	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
16	कोरबा	जिला शिक्षा अधिकारी
17	जांजगीर-चांपा	जिला शिक्षा अधिकारी
18	सक्ती	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
19	रायगढ़	जिला शिक्षा अधिकारी
20	सरगुजा	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
21	बलरामपुर-रामानुजगंज	जिला शिक्षा अधिकारी
22	कोरिया	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
24	सारंगढ़-बिलाईगढ़	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
25	जशपुर	जिला शिक्षा अधिकारी
26	सूरजपुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

1	2	4
27	जगदलपुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
28	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
29	कोण्डागांव	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
30	उत्तर बस्तर कांकेर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
31	बीजापुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
32	सुकमा	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी
33	नारायणपुर	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

पारिशिष्ट - उन्चास
अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 745) की जानकारी

पृष्ठ-अ

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर,

क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/06/2019

संचालक,
लोक शिक्षण,
छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर

विषय:-राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन के निर्णय अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं के अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के 1885(संलग्न परिशिष्ट-एक) रिक्त पदों एवं माडा पॉकेट क्षेत्र अंतर्गत संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं में भी उक्त विषयों के 631(संलग्न परिशिष्ट-दो) पदों पर नियमित भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था की जाए।

परिशिष्ट अनुसार रिक्त पदों पर शैक्षिक व्यवस्था दिनांक 30 जुलाई, 2019 तक पूर्ण कर ली जाए।

अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:-

- 1/ अतिथि शिक्षक व्यवस्था :- यह व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी।
- 2/ विज्ञापन :- रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 3/ शैक्षणिक योग्यता :- संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड
- 4/ अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरीयता क्रम :-
 - 4.1 सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेवायें दी गई हो, तो उन्हीं विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जाएँ।
 - 4.2 तत्पश्चात् अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम राजस्व जिला के आवेदकों को दी जाएगी, जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व

संभाग को दी जाए एवं अंत में संभाग स्तर में उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा।

- 4.3 तत्पश्चात् विद्याभितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए।
- 4.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाए।

5/ मानदेय :-रूपये 18,000/- (रूपये अठ्ठारह हजार मात्र) मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जाएगा।

6/ उपस्थिति :-संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।

7/ अन्य शर्त :-

7.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिए जायेंगे।

✓ 7.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।

7.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

7.4 सर्वप्रथम शिक्षक विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 03 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए, तत्पश्चात् एकल शिक्षकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 02 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए।

7.5 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।

(गौरव द्विवेदी)

प्रमुखा सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

22.6.19

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
"मंत्रालय"

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2/
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02/08/2019

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

विषय-राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में।

संदर्भ-विभाग का पत्र क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2/अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/06/2019

—000—

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अतिथि शिक्षकों के चयन में प्राथमिकता के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जो निम्नानुसार है:-

1/ सर्वप्रथम जो विद्याभितान पूर्व में जिस शाला में सत्र 2018-19 में कार्यरत थे, उनकी सेवायें उसी शाला में पद रिक्त होने पर ली जाए। उसी शाला में पद रिक्त न होने की स्थिति में जिले की जिस शाला में पद रिक्त है, वहाँ उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

2/ जिले में पूर्व में कार्यरत विद्याभितान उपलब्ध न होने की स्थिति में संदर्भित आदेश की कंडिका 4.3 के अनुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(गौरव द्विवेदी)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
//मंत्रालय//

महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
जिला रायपुर-492002
cg.school.edu.dept@gmail.com

क्रमांक एफ 12-07/2014/20-दो
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16 मार्च, 2022

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर ।

विषय :- अतिथि शिक्षकों के संबंध में ।

—00—

वर्ष, 2018 में नई सरकार के गठन के पश्चात् आउटसोर्सिंग समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और विद्यार्थि शिक्षकों से प्राथमिकता से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य दिया जाता रहा है । काफी समय से अतिथि शिक्षक विभाग में संविलियन की मांग करते रहे हैं ।

2/ अतः शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतर से पदस्थापना आगामी आदेश तक न की जाये ।

(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव

छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु. क्रमांक एफ 12-07/2014/20-दो
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर/6 मार्च, 2022

- 01 अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
- 02 विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छ.ग.,
- 03 अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
- 04 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय
- 05 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 06 गार्ड फाईल

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पारिशेष - पचास

अतारोकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 746) की जानकारी

छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम नवा रायपुर अटल नगर
वर्ष 2020 से दिसम्बर 2022 तक विभिन्न योजनाओं राशि स्वीकृत एवं वितरण की जानकारी प्रपत्र

क्रमांक	जिला का नाम	अनुसूचित जाति										अनुसूचित जनजाति						
		अत्योदय स्वरोजगार योजना					राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम					आदिवासी स्वरोजगार योजना					राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम	
		हितग्राही संख्या	ऋण राशि (लाख में)	अनुदान राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	ऋण राशि (लाख में)	अनुदान राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	ऋण राशि (लाख में)	अनुदान राशि (लाख में)	राशि (लाख में)	हितग्राही संख्या	राशि (लाख में)	
1	कोरिया	424	111.26	42.40	0	0.00	281	104.08	28.10	2	17.86							
2	सरगुजा	80	32.90	8.00	3	6.00	230	141.65	23.00	29	129.39							
3	सूरजपुर	151	36.20	15.10	0	0.00	246	52.20	24.60	20	57.85							
4	बलरामपुर	143	65.60	14.30	0	0.00	201	119.5	20.10	9	38.33							
5	जशपुर	193	45.36	15.03	2	3.18	364	83.02	27.37	23	82.51							
6	सयगढ़	125	60.39	12.5	1	8.27	96	33.58	9.6	9	20.85							
7	कोरवा	363	92.65	36.3	1	1.00	421	12.71	42.1	11	47.59							
8	जजगीर-चापा	2635	618.71	263.5	36	125.39	245	62.60	24.5	12	43.34							
9	बिलासपुर	643	190.95	64.30	8	8.00	209	83.65	20.9	10	46.33							
10	मुंगेली	1162	266.20	116.20	1	8.39	54	11.65	5.4	12	35.23							
11	कबीरधाम	386	77.20	38.60	7	17.48	95	19.00	9.50	12	37.82							
12	राजनांदगांव	638	152.20	63.75	5	7.00	298	66.6	29.8	10	35.82							
13	दुर्ग	1049	333.72	104.90	12	26.00	165	3.75	16.50	5	12.00							
14	बालोद	263	95.25	26.30	1	0.95	197	58.85	19.70	20	10.52							
15	बेमेश	184	92.00	18.40	11	22.71	54	17.10	5.40	3	9.00							
16	रायपुर	1385	391.10	135.64	9	24.42	74	21.30	7.30	6	24.25							
17	बलौदाबाजार	1321	194.07	13.21	10	1.40	120	20.23	12.20	7	16.00							
18	गरियाबंद	95	34.88	9.5	2	4.00	81	39.56	8.10	2	3.00							
19	महासमुंद	163	82.77	16.30	3	10.71	95	59.73	9.5	9	33.33							
20	धमतरी	164	50.95	16.35	4	8.00	127	51.84	12.60	15	42.41							
21	कांकर	100	43.32	10.00	1	3.00	258	108.56	25.80	18	61.64							
22	बस्तर	61	38.3	6.1	0	0.00	330	153.32	33.00	10	35.28							
23	कोण्डगांव	124	33.65	12.40	0	0.00	241	69.5	24.10	17	68.38							
24	नारायणपुर	26	15.50	2.60	0	0.00	72	65.19	7.20	10	40.33							
25	देतेवाड़ा	28	14.00	2.80	0	0.00	85	42.50	8.50	8	25.63							
26	सुकमा	5	3.09	0.50	0	0.00	99	21.85	9.90	7	23.33							
27	बीजापुर	69	23.10	6.90	0	0.00	134	52.85	13.4	8	21.08							
28	गो.पे.मरवाही	5	2.50	0.50	0	0.00	26	14.67	2.60	1	9.60							
	योग	11985	3197.82	1072.38	117	285.90	4898	1591.04	480.77	305	1028.70							

अनुभाग अधिकारी
अग्रिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
संस्थान, नया रायपुर

परीशेष्ट - इन्क्यावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 749) की जानकारी

प्रपत्र—'अ'

क्र.	घटक का नाम	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या		
		वर्ष 2020—21	वर्ष 2021—22	वर्ष 2022—23
1	आस्था	220	205	204
2	निष्ठा	114	100	20
3	प्रयास	2861	3086	4129
4	सहयोग	—	—	—
	योग	3195	3391	4353


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-‘ब’

क्र.	वर्ष	प्रावधान (राशि लाख में)
1	2020-21	3428.80
2	2021-22	3420.30
3	2022-23	3353.10


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-‘स’

क्र.	वर्ष	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)	भौतिक उपलब्धि (विद्यार्थी)
1	2020-21	1916.31	3195
2	2021-22	2049.10	3391
3	2022-23	2060.18	4353


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 753) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	वर्ष	उपकरण का नाम	किस संस्था को भुगतान किया गया	कितना भुगतान किया गया (रु. लाख में)	कितना भुगतान किया जाना शेष है	चालु स्मार्ट क्लास की संख्या	बंद स्मार्ट क्लास की संख्या	डी एम एफ फंड से उपलब्ध राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021	इन्टरक्टिव पेनल - 1	सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	3.00	निरंक	1	—	3.00
2	2021	इन्टरक्टिव पेनल - 1	सागर इण्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	3.00	निरंक	1	—	3.00
3	2021	इन्टरक्टिव पेनल - 3	सिंघानिया ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	9.00	निरंक	3	—	9.00
4	2021	इन्टरक्टिव पेनल - 2	सिंघानिया ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	6.00	निरंक	2	—	6.00
5	2022	इन्टरक्टिव पेनल - 2	सिंघानिया ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज जांजगीर-चांपा	6.00	निरंक	2	—	6.00
6	2023	इन्टरक्टिव पेनल - 5	स्मार्ट सिटी लि.	35.00	निरंक	5	—	
7	2023	इन्टरक्टिव पेनल - 5	स्मार्ट सिटी लि.	35.00	निरंक	5	—	
8	2023	इन्टरक्टिव पेनल - 5	स्मार्ट सिटी लि.	35.00	निरंक	5	—	
9	2023	इन्टरक्टिव पेनल - 10	स्मार्ट सिटी लि.	70.00	निरंक	10	—	
कुल		34		202.00		34	0	27.00

2 उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पारिशेष्य - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 761) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

(राशि रु. लाख में)

क्र.	मद का नाम	प्रदत्त आबंटन	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5
1	मरम्मत/अनुरक्षण कार्य	209.31	3.52	205.79
2	जीर्णोद्धार/लघु निर्माण कार्य	105.53	26.40	79.13
कुल योग:-		314.84	29.92	284.92


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुपूजित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

परीशेष - चीवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 777) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2022 से 31.01.2023		
क्र.	सामग्री का नाम	राशि
1	2	4
1	शू रैक	251350
2	एक्जास्ट पंखा	240800
3	एलईडी बल्ब 12वॉट	140000
4	रूम कुलर	1397193
5	योगा मैट	94600
6	झाडु	62700
7	बी.पी मोनीटर	275000
8	बर्तन सामग्री	1183771
9	बैडमिंटन	124800
10	कढ़ाई	138067
11	कम्प्युटर चेयर	9734
12	कम्प्युटर टेबल	6280
13	कम्पास सेट	87490
14	कप सेट	37620
15	कॉच गिलास सेट	37950
16	कैबिनेट	4220070
17	कैरम बोर्ड	268380
18	कूलर	938589
19	मैप भारत	40000
20	मैप छ0ग0	40000
21	क्रिकेट किट	360000
22	थाली	632357
23	थाली, भगोना	276134
24	सिलिंग फैन	495000
25	फिनायल	656941
26	गिलास	256409
27	हार्पिक	32000
28	हैडवॉश	47880
29	पोछाडंडा	98900
30	पर्दा रेडिमेट	98402
31	पुस्तक	171700
32	पेन	29700

क्र.	सामग्री का नाम	राशि
1	2	4
33	सांप सीढ़ी	44000
34	सेनेटरी पैड	704956
35	स्ट्रीट लाईट 45वॉट	98900
36	स्ट्रीट लाईट 60वॉट	98340
37	स्ट्रीट लाईट 72वॉट	97500
38	स्टील स्टूल	23672
39	स्टील ट्रे	61820
40	सटल कॉक	66550
41	डामर गोली	50999
42	ड्रेसिंग टेबल	239481
43	दर्पण	134270
44	दर्पण फ्रेम	97230
45	वाटर केरियर	99000
46	वेपोराईजर	66000
47	चेयर टॉवेल	36750
48	चेस सेट	66000
49	फोटोकॉपी मशीन	99000
50	फुटबॉल	98880
51	फ्रेस एयर फैन	1136000
52	तकिया	2895095
53	तकिया कव्हर	262500
54	ज्योमेट्री बॉक्स	79060
55	ज्योमेट्री कम्पास	83750
56	जुता स्टैंड	26550
57	ट्यूब लाईट सेट	147000
58	टॉयलेट एसिड	99000
59	टॉयलेट ब्रश	58800
60	टॉयलेट क्लीनर	99000
61	टॉवले	287000
62	टेबल क्लाथ	19000
63	टेबल ग्लास	69440
64	अलमारी	286600
65	अलमारी छोटा	1585264
66	गद्दा कव्हर	295650
67	ग्लोब व एटलस	63074
68	लुडो	44000



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

क्र	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकास खंड	स्वीकृत सीट	सामग्री आपूर्ति की जानकारी													मैकाल / कोटी / कोटी / कोटी	(वि.म.को.)	वेबसाइट	कोटी	कोटी / कोटी
				अभ्यास	रसिक	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास	अभ्यास					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास, डभरा	डभरा	50	25	2	2	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
2	प्री.मै.अ.ज.जा बालक छात्रा. कोटमी	डभरा	50	0	3	2	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
3	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रा. चन्द्रपुर	डभरा	50	0	3	2	50	1	1	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
4	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रा. डभरा	डभरा	50	0	2	2	50	0	0	15	0	10	7	1	20	1	1	1			
5	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. डभरा	डभरा	20	2	4	2	20	0	0	0	16	0	7	1	15	1	1	1			
6	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. धुरकोट	डभरा	50	0	2	2	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
7	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रा. डभरा	डभरा	50	25	3	2	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
8	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रा. कोटमी	डभरा	50	0	3	2	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
9	अनु.जाति बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	100	0	3	2	100	0	0	0	0	0	7	1	50	1	1	1			
10	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	160	0	4	2	160	0	0	0	0	0	10	1	50	1	1	1			
11	अ.ज.जा. बालक आश्रम कंवालाझर	डभरा	100	0	3	2	100	0	0	0	0	0	10	1	15	1	1	1			
12	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रा0, मालखरौदा	मालखरौदा	50	0	1	0	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
13	प्री मै.अ.जा.बालक छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	0	1	0	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
14	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास सिंधरा	मालखरौदा	20	0	1	0	20	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
15	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा	50	0	1	0	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
16	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास अड़भार	मालखरौदा	20	0	1	0	20	0	0	15	15	10	7	1	15	1	1	1			
17	प्री0मै0 अ.जा. कन्या छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	0	1	0	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
18	अनु.जाति कन्या आश्रम मालखरौदा	मालखरौदा	50	0	1	0	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			
19	अनु0जा0 बालक आश्रम अड़भार	मालखरौदा	50	0	1	0	50	0	0	0	0	0	7	1	15	1	1	1			

Page

Page

क्र	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकास खंड	स्वीकृत सीट	सामग्री आपूर्ति की जानकारी															
				हैण्डलिंग	योगी सेट	सेट	कमाल सेट	किनामत (लीटर)	कमीड	चिने सेट	लाइट	चिके टकरी	(गल) ड्राइ	(लि) ड्राइ	लाइट	कॉक व ड्रिपिंग व	चूँस सेट	टालाब सेट	
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास, डभरा	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
2	प्री.मै.अ.ज.जा बालक छात्रा. कोटमी	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
3	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रा. चन्द्रपुर	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
4	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रा. डभरा	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
5	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. डभरा	डभरा	20	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
6	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. धुरकोट	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
7	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रा. डभरा	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
8	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रा. कोटमी	डभरा	50	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
9	अनु.जाति बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	100	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
10	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक आश्रम धौराभाठा	डभरा	160	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
11	अ.ज.जा. बालक आश्रम कंवाझर	डभरा	100	2	1	30	16	60	2	1	1	1	10	20	4	1	1	1	4
12	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रा0, मालखरौदा	मालखरौदा	50	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
13	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
14	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास सिंघरा	मालखरौदा	20	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
15	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा	50	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
16	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास अड़भार	मालखरौदा	20	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
17	प्री0मै0 अ.जा. कन्या छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
18	अनु.जाति कन्या आश्रम मालखरौदा	मालखरौदा	50	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4
19	अनु0जा0 बालक आश्रम अड़भार	मालखरौदा	50	2	1	30	16	60	1	1	1	1	10	20	2	1	1	1	4

क्र	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकास खंड	स्वीकृत सीट	सामग्री आपूर्ति की जानकारी													प्राप्त की जाने वाली राशि	कटौती/दोषी राशि	अनुदान
				संग्रहीत	प्राप्त	सामग्री	संग्रहीत	प्राप्त	संग्रहीत	प्राप्त	संग्रहीत	प्राप्त	संग्रहीत	प्राप्त	संग्रहीत	प्राप्त			
1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	पो.मै.अ.जा. बालक छात्रावास, डभरा	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
2	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. चन्द्रपुर	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
3	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. चन्द्रपुर	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
4	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. डभरा	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
5	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. डभरा	डभरा	20	4	1	4	1	0	8	1	7	0	1	1	1	7	20	1	5
6	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. धुरकोट	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
7	प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रा. डभरा	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	0	7	3250	0	0	1	7	20	0	5
8	प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रा. कोटमी	डभरा	50	4	1	4	1	0	8	0	7	3250	0	0	1	7	20	0	5
9	अनु.जाति बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	100	4	1	4	1	0	8	0	7	0	0	0	1	7	20	0	5
10	प्री.मै.अ.जा. बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	160	4	1	4	1	0	8	0	7	0	0	0	1	7	20	0	5
11	अ.ज.जा. बालक आश्रम कंवाझर	डभरा	100	4	1	4	1	0	8	0	7	0	0	0	1	7	20	0	5
12	पो.मै.अ.जा. कन्या छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	3600	0	0	1	7	20	1	5
13	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
14	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास सिंघरा	मालखरौदा	20	4	1	4	1	1	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
15	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा	50	4	1	4	1	1	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
16	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास अड़भार	मालखरौदा	20	4	1	4	1	1	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
17	प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रा. मालखरौदा	मालखरौदा	50	4	1	4	1	1	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
18	अनु.जाति कन्या आश्रम मालखरौदा	मालखरौदा	50	4	1	4	1	0	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5
19	अनु.जाति बालक आश्रम अड़भार	मालखरौदा	50	4	1	4	1	1	8	1	7	0	0	0	1	7	20	1	5

पारोशिए - पंचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 780) की जानकारी

प्रश्न-क

क	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत	कुल लंबित	कैफियत
1	मस्तूरी	मस्तूरी तहसील परिसर	257	241	16	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
2	सीपत	सीपत तहसील परिसर	496	393	103	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
3	मस्तूरी	केवटाडीह	86	81	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
4	मस्तूरी	भिलाई	96	82	14	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
5	मस्तूरी	भदौरा	110	90	20	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
6	मस्तूरी	हिरी	95	85	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
7	मस्तूरी	बेलटुकरी	105	95	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
8	मस्तूरी	जयरामनगर	215	200	15	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
9	मस्तूरी	भनेसर	89	86	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
10	मस्तूरी	गतौरा	190	185	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
11	मस्तूरी	खुडूभाठा	163	152	11	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
12	मस्तूरी	परसदा कि०	96	89	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
13	मस्तूरी	देवगांव	90	80	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
14	मस्तूरी	पाराघाट	76	71	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
15	मस्तूरी	कोसमडीह	87	81	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
16	मस्तूरी	लावर	200	190	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
17	मस्तूरी	लिमतरा	89	81	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
18	मस्तूरी	करा	86	86	0	—
19	मस्तूरी	दर्शीघाट	195	185	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
20	मस्तूरी	मोहतारा	89	82	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
21	मस्तूरी	आंकडीह	90	80	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
22	मस्तूरी	किरारी	89	81	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
23	मस्तूरी	मस्तूरी	290	283	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
24	मस्तूरी	पेण्डी	88	80	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
25	मस्तूरी	कोहरौदा	83	79	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
26	मस्तूरी	रिस्ता	86	78	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
27	मस्तूरी	मुड़पार खो०	76	73	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
28	मस्तूरी	पाली	46	46	0	—
29	मस्तूरी	परसदा वेद	150	148	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
30	मस्तूरी	कोनी	65	63	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
31	मस्तूरी	चौहा	62	59	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
32	मस्तूरी	ईटवा	76	71	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
33	मस्तूरी	सरगवां	102	91	11	न्यायालीन प्रक्रियाधीन

मस्तूरी	मटिया	68	68	0	-
मस्तूरी	विद्याडीह	89	71	18	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	टिकारी	97	93	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	सरसेनी	86	82	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	डोडकी	77	73	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	चकरबेड़ा	76	71	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	जैतपुर	76	76	0	-
मस्तूरी	बुड़ीखार	69	61	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	बकरकूदा	89	80	9	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	आकोला	66	62	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	डंगनिया	59	50	9	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	धनगवां	87	83	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	कुटेला	71	69	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	ठाकुरदेवा	69	62	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	कोकड़ी	66	63	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	ओखर	88	81	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	गिधपुरी	51	50	1	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	मचहा	53	51	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	मनवा	58	52	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	भटचौरा	76	73	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	आमगांव	66	59	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	रहटाटोर	86	86	0	-
मस्तूरी	खपरी	65	65	0	-
मस्तूरी	हरदी	34	34	0	-
मस्तूरी	बहतारा	86	81	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	जैतपुरी	39	39	0	-
मस्तूरी	नेवारी	49	49	0	-
मस्तूरी	रैलहा	63	61	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	पचपेड़ी	106	99	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	पतईडीह	42	41	1	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	धुर्वाकारी	106	98	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	बिनौरी	65	61	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	मानिकचौरी	159	150	9	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	कँवतारा	69	59	10	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	जुनवानी	61	61	0	-
मस्तूरी	गोड़ाडीह	169	160	9	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	सुलीनी	50	50	0	-
मस्तूरी	जलसा	61	60	1	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	भरारी	98	92	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	कँवटाडीह	86	81	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन

मस्तूरी	भुरकुण्डा	106	100	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	सुकुलकारी	86	80	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	शिवटिकारी	74	71	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	विद्याडीह टा0	63	61	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	चित्हाटी	86	83	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	लोहसी	76	76	0	-
मस्तूरी	चिस्ता	89	83	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	कुकर्दीकेरा	25	25	0	-
मस्तूरी	बोहारडीह	85	76	9	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	भिलौनी	36	36	0	-
मस्तूरी	सोन	136	129	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	गोपालपुर	86	78	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	अमलडीहा	69	61	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	सोनसरी	86	83	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	परसोड़ी	76	73	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	बसंतपुर	63	60	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	जोधरा	69	61	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
मस्तूरी	कुकर्दीकला	52	52	0	-
मस्तूरी	रलिया	96	91	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	जेवरा	83	72	11	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	खोंधरा	86	81	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	निरतू	76	72	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	उंड़ागी	66	61	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	बसहा	86	86	0	-
सीपत	कुकदा	88	81	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	कुली	79	71	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	मड़ई	36	31	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	बिटकुला	75	73	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	सौंठी	26	25	1	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	उनी	88	81	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	खम्हरिया	86	81	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	लुतरा	109	102	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	बनियाडीह	36	32	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	धनिया	62	58	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	परसाही	35	33	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	जुहली	89	81	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	खाड़ा	52	52	0	-
सीपत	हिण्डाडीह	69	61	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	कर्मा	89	83	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
सीपत	ठरकपुर	58	58	0	-

	सीपत	गुढी	82	82	0	-
	सीपत	नरगोड़ा	116	109	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
116	सीपत	पोंडी	85	83	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
117	सीपत	मघखण्डा	76	73	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
118	सीपत	नवागांव	39	36	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
119	सीपत	झालमला	65	62	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
120	सीपत	कौवाताल	78	73	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
121	सीपत	बरेली	85	81	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
122	सीपत	सीपत	296	276	20	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
123	सीपत	जांजी	88	86	2	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
124	सीपत	कौड़िया	76	70	6	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
125	सीपत	दरभाठा	59	51	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
126	सीपत	मुडपार	76	76	0	-
127	सीपत	नवागांव	96	81	15	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
128	सीपत	हरदाडीह	76	71	5	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
129	सीपत	रांक	109	101	8	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
130	सीपत	देवरी	191	184	7	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
131	सीपत	पंधी	112	103	9	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
132	सीपत	ऐरमसाही	86	83	3	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
133	सीपत	कछार	63	59	4	न्यायालीन प्रक्रियाधीन
	महायोग		12131	11318	813	न्यायालीन प्रक्रियाधीन

नोट :- अनुविभाग मस्तूरी अंतर्गत सभी पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय से प्राप्त जानकारी अनुसार

[Signature]
 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-क

2022-23 में दिनांक 31.01.2023 तक विकासखण्ड मस्तूरी में राजस्व शिविर					
क	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत	कुल लंबित
1	मस्तूरी	मस्तूरी तहसील परिसर	257	241	16
2	सीपत	सीपत तहसील परिसर	496	393	103
3	मस्तूरी	केवटाडीह	86	81	5
4	मस्तूरी	भिलाई	96	82	14
5	मस्तूरी	भदौरा	110	90	20
6	मस्तूरी	हिरी	95	85	10
7	मस्तूरी	बेलटुकरी	105	95	10
8	मस्तूरी	जयरामनगर	215	200	15
9	मस्तूरी	भनेसर	89	86	3
10	मस्तूरी	गतौरा	190	185	5
11	मस्तूरी	खुडूभाठा	163	152	11
12	मस्तूरी	परसदा कि०	96	89	7
13	मस्तूरी	देवगांव	90	80	10
14	मस्तूरी	पाराघाट	76	71	5
15	मस्तूरी	कोसमडीह	87	81	6
16	मस्तूरी	लावर	200	190	10
17	मस्तूरी	लिमतरा	89	81	8
18	मस्तूरी	करा	86	86	0
19	मस्तूरी	दर्डीघाट	195	185	10
20	मस्तूरी	मोहतारा	89	82	7
21	मस्तूरी	आंकडीह	90	80	10
22	मस्तूरी	किरारी	89	81	8
23	मस्तूरी	मस्तूरी	290	283	7
24	मस्तूरी	पेण्डी	88	80	8
25	मस्तूरी	कोहरौदा	83	79	4
26	मस्तूरी	रिस्ता	86	78	8
27	मस्तूरी	मुड़पार खो०	76	73	3
28	मस्तूरी	पाली	46	46	0
29	मस्तूरी	परसदा वेद	150	148	2
30	मस्तूरी	कोनी	65	63	2
31	मस्तूरी	चौहा	62	59	3
32	मस्तूरी	ईटवा	76	71	5
33	मस्तूरी	सरगवां	102	91	11

34	मस्तूरी	गटिया	68	68	0
35	मस्तूरी	विद्याडीह	89	71	18
36	मस्तूरी	टिकारी	97	93	4
37	मस्तूरी	सरसेनी	86	82	4
38	मस्तूरी	डोंडकी	77	73	4
39	मस्तूरी	चकरबेड़ा	76	71	5
40	मस्तूरी	जैतपुर	76	76	0
41	मस्तूरी	बुढ़ीखार	69	61	8
42	मस्तूरी	बकरकूदा	89	80	9
43	मस्तूरी	आकोला	66	62	4
44	मस्तूरी	डंगनिया	59	50	9
45	मस्तूरी	धनगवां	87	83	4
46	मस्तूरी	कुटेला	71	69	2
47	मस्तूरी	ठाकुरदेवा	69	62	7
48	मस्तूरी	कोकड़ी	66	63	3
49	मस्तूरी	ओखर	88	81	7
50	मस्तूरी	गिधपुरी	51	50	1
51	मस्तूरी	मचहा	53	51	2
52	मस्तूरी	मनवा	58	52	6
53	मस्तूरी	भटचौरा	76	73	3
54	मस्तूरी	आमगांव	66	59	7
55	मस्तूरी	रहटाटोर	86	86	0
56	मस्तूरी	खपरी	65	65	0
57	मस्तूरी	हरदी	34	34	0
58	मस्तूरी	बहतारा	86	81	5
59	मस्तूरी	जैतपुरी	39	39	0
60	मस्तूरी	नेवारी	49	49	0
61	मस्तूरी	रैलहा	63	61	2
62	मस्तूरी	पचपेड़ी	106	99	7
63	मस्तूरी	पतईडीह	42	41	1
64	मस्तूरी	धुर्वाकारी	106	98	8
65	मस्तूरी	बिनौरी	65	61	4
66	मस्तूरी	मानिकचौरी	159	150	9
67	मस्तूरी	केंवतरा	69	59	10
68	मस्तूरी	जुनवानी	61	61	0
69	मस्तूरी	गोड़ाडीह	169	160	9
70	मस्तूरी	सुलौनी	50	50	0
71	मस्तूरी	जलसो	61	60	1
72	मस्तूरी	भरारी	98	92	6
			86	81	5

74	मस्तूरी	भुरकुण्डा	106	100	6
75	मस्तूरी	सुकुलकारी	86	80	6
76	मस्तूरी	शिवटिकारी	74	71	3
77	मस्तूरी	विद्याडीह टा0	63	61	2
78	मस्तूरी	चिल्हाटी	86	83	3
79	मस्तूरी	लोहर्सी	76	76	0
80	मस्तूरी	चिरदा	89	83	6
81	मस्तूरी	कुकदीकेरा	25	25	0
82	मस्तूरी	बोहारडीह	85	76	9
83	मस्तूरी	भिलौनी	36	36	0
84	मस्तूरी	सोन	136	129	7
85	मस्तूरी	गोपालपुर	86	78	8
86	मस्तूरी	अमलडीहा	69	61	8
87	मस्तूरी	सोनसरी	86	83	3
88	मस्तूरी	परसोड़ी	76	73	3
89	मस्तूरी	बसंतपुर	63	60	3
90	मस्तूरी	जोधरा	69	61	8
91	मस्तूरी	कुकदीकला	52	52	0
92	मस्तूरी	रलिया	96	91	5
93	सीपत	जेवरा	83	72	11
94	सीपत	खोधरा	86	81	5
95	सीपत	निरतू	76	72	4
96	सीपत	उंडागी	66	61	5
97	सीपत	बसहा	86	86	0
98	सीपत	कुकदा	88	81	7
99	सीपत	कुली	79	71	8
100	सीपत	मडई	36	31	5
101	सीपत	बिटकुला	75	73	2
102	सीपत	सोंठी	26	25	1
103	सीपत	उनी	88	81	7
104	सीपत	खम्हरिया	86	81	5
105	सीपत	लुतरा	109	102	7
106	सीपत	बनियाडीह	36	32	4
107	सीपत	धनिया	62	58	4
108	सीपत	परसाही	35	33	2
109	सीपत	जुहली	89	81	8
110	सीपत	खांडा	52	52	0
111	सीपत	हिण्डाडीह	69	61	8
112	सीपत	करा	89	83	6
113	सीपत	ठरकपुर	58	58	0

114	सीपत	गुढी	82	82	0
115	सीपत	नरगोडा	116	109	7
116	सीपत	पोंडी	85	83	2
117	सीपत	मचखण्डा	76	73	3
118	सीपत	नवागांव	39	36	3
119	सीपत	झालमला	65	62	3
120	सीपत	कौवाताल	78	73	5
121	सीपत	बरेली	85	81	4
122	सीपत	सीपत	296	276	20
123	सीपत	जांजी	88	86	2
124	सीपत	कौड़िया	76	70	6
125	सीपत	दर्भाठा	59	51	8
126	सीपत	मुडपार	76	76	0
127	सीपत	नवागांव	96	81	15
128	सीपत	हरदाडीह	76	71	5
129	सीपत	रांक	109	101	8
130	सीपत	देवरी	191	184	7
131	सीपत	पंधी	112	103	9
132	सीपत	ऐरमसाही	86	83	3
133	सीपत	कछार	63	59	4
महायोग			12131	11318	813

नोट :- अनुविभाग मस्तूरी अंतर्गत सभी पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय से प्राप्त जानकारी अनुसार

(Signature)
 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परीशद - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 792) की जानकारी

प्रपत्र

कोरोना महामारी से मृतकों के आश्रितों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता की जानकारी

स.क्र.	जिले का नाम	कोरोना से मृत व्यक्तियों की संख्या	सहायता राशि प्राप्त परिवारों की संख्या	वितरित की गई राशि (लाख रुपये में)	सहायता राशि हेतु शेष परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	4351	4351	2175.50	0
2	बलौदाबाजार	1376	1097	548.50	279
3	गरियाबंद	387	383	191.50	4
4	धमतरी	794	794	397.00	0
5	महासमुंद	929	929	464.50	0
6	बिलासपुर	1853	1853	926.50	0
7	मुंगेली	434	430	215.00	4
8	कोरबा	1037	1037	518.50	0
9	जांजगीर-चांपा	1445	1326	663.00	119
10	रायगढ़	1430	1430	715.00	0
11	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	206	206	103.00	0
12	बस्तर	293	293	146.50	0
13	कोण्डागांव	112	112	56.00	0
14	कांकेर	370	370	185.00	0
15	दंतेवाड़ा	102	102	51.00	0
16	सुकमा	33	33	16.50	0
17	नारायणपुर	25	23	11.50	2
18	बीजापुर	79	79	39.50	0
19	सरगुजा	299	293	146.50	6
20	सूरजपुर	306	290	145.00	16
21	बलरामपुर	149	149	74.50	0
22	कोरिया	429	429	214.50	0
23	जशपुर	344	335	167.50	9
24	दुर्ग	4382	3999	1999.50	383
25	राजनांदगांव	1432	1432	716.00	0
26	बालोद	839	839	419.50	0
27	बेमेतरा	780	780	390.00	0
28	कबीरधाम	460	460	230.00	0
योग		24676	23854	11927.00	822

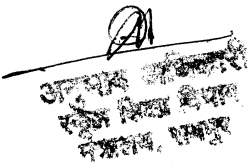
परीक्षे - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 793) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	विकासखण्ड	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम	क्या इसके पूर्व इन स्थानों पर हिन्दी मीडियम संचालित थे?	आत्मानंद खुलने के पूर्व हिन्दी माध्यम के बच्चों की संख्या	आत्मानंद बनने के बाद हिन्दी माध्यम के बच्चों की संख्या	क्या आत्मानंद बनने के बाद हिन्दी माध्यम बंद हुआ है ?	आत्मानंद बनने के पूर्व कितने शिक्षकीय स्टाफ कार्यरत थे?	क्या शिक्षकीय स्टाफ को हटाया गया ?	यदि हां तो कितने को हटाया गया ?	हिन्दी माध्यम के बच्चों के अध्यापन की क्या व्यवस्था की गई ?	हिन्दी माध्यम के अध्यापन हेतु शिक्षकीय स्टाफ कहां से लाया गया	कितना स्टाफ लाया गया ?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	धरसीवां	पं.आर.डी.तिवारी शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय आमपासा, रायपुर	हां	250	0	हां	9	हां	9	आवश्यकता नहीं	निरंक	निरंक
2	रायपुर	धरसीवां	बी.पी.पुजारी शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय राजातालाब रायपुर	हां	223	0	हां	10	हां	18	आवश्यकता नहीं	निरंक	निरंक
3	रायपुर	धरसीवां	शहीद स्मारक शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय फाफाडीह रायपुर	हां	71	0	हां	10	हां	15	आवश्यकता नहीं	निरंक	निरंक
4	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुरा	हां	655	606	नहीं	12	हां	12	हां	जिले के शालाओं में कार्यरत अतिशेष शिक्षकों की अध्यापन व्यवस्था की गई है।	8
5	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय माना कैम्प	हां	629	506	नहीं	13	हां	13	हां		9
6	रायपुर	धरसीवां	बिन्नी बाई सोनकर शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय भाठागांव रायपुर	हां	823	628	नहीं	13	हां	13	हां		7
7	रायपुर	तिल्दा	प्रियदर्शनी शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय नेवरा (तिल्दा)	हां	810	606	नहीं	18	हां	18	हां		14
8	रायपुर	आरंग	अरुद्धती देवी शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय आरंग रायपुर	हां	449	359	नहीं	13	हां	13	हां		5
9	रायपुर	अभनपुर	स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय अभनपुर	हां	807	680	नहीं	15	हां	15	हां		8
10	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मोवा, रायपुर	हां	1883	1343	नहीं	38	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
11	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय लालपुर, रायपुर	हां	1250	1091	नहीं	33	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
12	रायपुर	धरसीवां	पी.जी.उमाठे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शांति नगर, रायपुर	हां	819	791	नहीं	36	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
13	रायपुर	धरसीवां	निवेदिता शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गुरुनानक चौक रायपुर	हां	440	274	नहीं	8	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक

क्र.	जिला	विकासखण्ड	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का नाम	क्या इसके पूर्व इन स्थानों पर हिन्दी मीडियम संचालित थे?	आत्मानंद खुलने के पूर्व हिन्दी माध्यम के बच्चों की संख्या	आत्मानंद बनने के बाद हिन्दी माध्यम के बच्चों की संख्या	क्या आत्मानंद बनने के बाद हिन्दी माध्यम बंद हुआ है ?	आत्मानंद बनने के पूर्व कितने शिक्षकीय स्टाफ कार्यरत थे?	क्या शिक्षकीय स्टाफ को हटाया गया ?	यदि हां तो कितने को हटाया गया ?	हिन्दी माध्यम के बच्चों के अध्यापन की क्या व्यवस्था की गई ?	हिन्दी माध्यम के अध्यापन हेतु शिक्षकीय स्टाफ कहां से लाया गया	कितना स्टाफ लाया गया ?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	रायपुर	धरसीवां	पं.राम सहाय मिश्रा शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मोहबा बाजार, रायपुर	हां	475	535	नहीं	19	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
15	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सरोना, रायपुर	हां	308	279	नहीं	11	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
16	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय तिलक नगर, गुडियारी रायपुर	हां	651	494	नहीं	9	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
17	रायपुर	धरसीवां	आडवानी आर्लिकन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बीरगांव, रायपुर	हां	2946	2644	नहीं	34	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
18	रायपुर	धरसीवां	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सारागांव,	हां	970	815	नहीं	24	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
19	रायपुर	आरंग	मातृसदन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मंदिर हसौद, वि.ख. आरंग	हां	650	645	नहीं	16	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
20	रायपुर	आरंग	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय समोदा, वि.ख. आरंग	हां	627	618	नहीं	14	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
21	रायपुर	अभनपुर	हरिहर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गोबर-नवापारा, वि.ख. अभनपुर	हां	980	807	नहीं	24	नहीं	0	नहीं	निरंक	निरंक
योग :-					16716	13721		379	0	126	0	0	51


 अवर जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर

पारोक्षिक - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 800) की जानकारी

प्रश्न :- "अ"

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मंडल का नाम	लंबित सीमांकन	लंबित सीमांकन का कारण
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	घुमका	40	समय-सीमा के भीतर है।
2		उपरवाह	26	
3		खैरझिटी	40	
4		सुकुलदैहान	1	
5		मोतीपुर	0	
6		कौरिनभांठा	0	
7		राजनांदगांव	4	
8		लखोली	1	
9		ठाकुरटोला	0	
10		टेडेसरा	4	
11		सिंगदई	0	
12		सुरगी	2	
योग			118	

क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	लंबित सीमांकन	लंबित सीमांकन का कारण
1	2	3	4	5
1	छुरिया	खोभा	3	समय-सीमा के भीतर है।
2		बम्हनीचारभांठा	0	
3		बापूटोला	6	
4		छुरिया	4	
5		गैदाटोला	1	
6		कल्लूबजारी	3	
7		कमरदा	4	
8		खुसीटिकूल	4	
9		उमरवाही	19	
योग :-			44	

क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	लंबित सीमांकन	लंबित सीमांकन का कारण
1	2	3	4	5
1	डोंगरगांव	तुमडीबोड	4	समय-सीमा के भीतर है।
2		दिवानभेडी	5	
3		आसरा	4	
4		आरी	12	
5		डोंगरगांव	5	
6		खुज्जी	2	
7		अर्जुनी	10	
योग			42	
क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	लंबित सीमांकन	लंबित सीमांकन का कारण
1	2	3	4	5
1	लाल बहादुर नगर	लाल बहादुर नगर	8	समय-सीमा के भीतर है।
2		चारभांठा	11	
योग			19	
क्रं.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	लंबित सीमांकन	लंबित सीमांकन का कारण
1	2	3	4	5
1	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ (नजूल)	2	समय-सीमा के भीतर है।
2		डोंगरगढ़	5	
3		बेलगांव	14	
4		चौथना	36	
5		मूसराकला	2	
6		मोहारा	17	
योग			76	
कुल योग :-			299	

प्रश्न: 'ब'

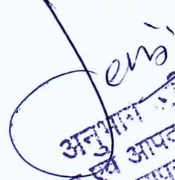
क्र.	तहसील का नाम	पटवारी हल्का नंबर	लंबित नामांतरण	
			संख्या	कारण
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	1	2	बैंक बंधक है
2		2	1	तकनीकी
3		6	1	बैंक बंधक है
4		11	1	बैंक बंधक है
5		18	6	बैंक बंधक / तकनीकी समस्या
6		22	3	बैंक बंधक है
7		24	1	तकनीकी
8		25	1	तकनीकी
9		26	1	बैंक बंधक है
10		27	3	बैंक बंधक / तकनीकी समस्या
11		28	1	बैंक बंधक है
12		29	5	बैंक बंधक / तकनीकी समस्या
13		32	2	बैंक बंधक / तकनीकी समस्या
14		34	2	तकनीकी
15		36	1	तकनीकी
16		37	1	तकनीकी
17		38	2	तकनीकी
18		39	2	तकनीकी
19		41	24	बैंक बंधक / तकनीकी समस्या
20		42	3	तकनीकी
21		43	2	तकनीकी
22		54	3	तकनीकी
23		55	1	तकनीकी
24		56	15	तकनीकी
25		57	1	तकनीकी
26		60	4	तकनीकी
27		61	1	तकनीकी
28		62	1	तकनीकी
29		64	1	तकनीकी
30		65	3	तकनीकी
योग :-			95	84 तकनीकी समस्या एवं 11 बैंक बंधक

क्रं.	तहसील का नाम	प.ह.नं.	लंबित नामांतरण	
			संख्या	लंबित का कारण
1	2	3	4	5
1	छुरिया	6	1	तकनीकी समस्या
5		24	1	बैंक बंधक
		57	3	तकनीकी समस्या
योग :-			5	4 तकनीकी समस्या एवं 1 बैंक बंधक

क्रं.	तहसील का नाम	प.ह.नं.	लंबित नामांतरण	
			संख्या	लंबित का कारण
1	2	3	4	5
1	लाल बहादुर नगर	3	1	बैंक बंधक
2		4	1	बैंक बंधक
3		7	1	बैंक बंधक
4		13	1	तकनीकी समस्या
5		14	2	बैंक बंधक
6		16	1	तकनीकी समस्या
योग :-			7	02 तकनीकी समस्या एवं 05 बैंक बंधक

क्रं.	तहसील का नाम	प.ह.नं.	लंबित नामांतरण	
			संख्या	लंबित का कारण
1	2	3	4	5
1	डोंगरगांव	21	5	05 प्रकरणों में नामांतरण सम्पन्न, परंतु तकनीकी त्रुटि के वजह से लंबित दर्शित एवं शेष 02 प्रकरणों में नामांतरण सम्पन्न, तकनीकी त्रुटि के कारण डिड नंबर पुनः दिखाई दे रहा है ।
2		19	2	
3		23	1	01 प्रकरण में नामांतरण सम्पन्न, तकनीकी त्रुटि के कारण डिड नंबर पुनः दिखाई दे रहा है ।
4		34	1	01 प्रकरण में नामांतरण सम्पन्न, तकनीकी त्रुटि के कारण डिड नंबर पुनः दिखाई दे रहा है एवं शेष 01 प्रकरण शासकीय आबादी भूमि होने के कारण रिकार्ड दुरुस्ती नहीं हो पाया है ।
5		37	1	
6		26	2	दोनों ही प्रकरण राजस्व न्यायालय में आदेश पारित, परंतु तकनीकी त्रुटि की वजह से लंबित दिखाई दे रहा है ।
योग :-			12	11 तकनीकी समस्या एवं 01 आबादी भूमि होने से

क्रं.	तहसील का नाम	प.ह.नं.	लंबित नामांतरण	
			संख्या	लंबित का कारण
1	2	3	4	5
1	डोंगरगढ़	2	1	तकनीकी समस्या
2		4	1	तकनीकी समस्या
3		9	2	बैंक बंधक है
4		11	2	तकनीकी समस्या
5		19	1	तकनीकी समस्या
6		25	2	तकनीकी समस्या
7		26	2	तकनीकी समस्या
8		32	1	बैंक बंधक है
योग :-			12	09 तकनीकी समस्या एवं 03 बैंक बंधक ।
योग :-			131	110 तकनीकी समस्या, 20 बैंक बंधक एवं 01 आबादी भूमि होने के कारण


 अनुमान अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पारोक्ष - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 801) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	संस्था का नाम	ग्राम / मोहल्ला	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	सुदेश देशमुख अध्यक्ष जिला कुर्मी समाज	रेवाडीह	भूमि आबंटित की गई है।
2	बबीता कुलदीप अध्यक्ष मुखियार (मेहत्तर) समाज	बल्देवबाग, राजनांदगांव	भूमि आबंटित की गई है।
3	भोयेरा मरार समाज सेवा समिति	कोपेभांठा	भूमि आबंटित की गई है।
4	कुंभकार समाज	छुरियाकला	भूमि आबंटित की गई है।
5	जिला कोसरिया यादव महासभा	रेवाडीह	भूमि छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के अधिपत्य में होने से आवेदन निरस्त किया गया।
6	हल्बा आदिवासी समाज राजनांदगांव	रेवाडीह	भूमि छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के अधिपत्य में होने से आवेदन निरस्त किया गया।
7	यू.एस.ठाकुर अध्यक्ष हल्बा आदिवासी समाज (राजनांदगांव)	रेवाडीह	प्रकरण अ.वि.अ.(रा.) राजनांदगांव से प्राप्त हुआ है। अध्ययन पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
8	मुतबल्ली सुन्नी हनफी मस्जिद कमेटी गोलबाजार	मठपारा, राजनांदगांव	प्रकरण में रा.नि. नजूल का प्रतिवेदन आ चुका है नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
9	हल्बा समाज रेवाडीह	रेवाडीह	प्रकरण प्रचलन में है।
10	हेहयवंशीय कसेर समाज कन्हारपुरी	कन्हारपुरी	
11	मन्ना लाल यादव अध्यक्ष जिला कोसरिया समाज सामुदायिक भवन निर्माण	बरगा	
12	चन्द्रभान कुर्मी चन्द्रकार समाज जंगलेशर	जंगलेशर	
13	संताराम वर्मा कोषाध्यक्ष शहर सर्किल लोधी समाज, दीनदयाल नगर चिखली	चिखली	
14	लव कुमार मिश्रा जिला अध्यक्ष श्री सरयूपारीणि ब्राम्हण समाज राजनांदगांव	राजनांदगांव	प्रकरण तहसीलदार राजनांदगांव के प्रतिवेदन हेतु नियत है।
15	श्री नीलकंठ गढे, जिला अध्यक्ष जिला आदिवासी गोंड महासभा सामुदायिक भवन राजनांदगांव	राजनांदगांव	प्रकरण प्रचलन में है।
16	महाराष्ट्रीयन तेली समाज डोंगरगढ़	छीरपानी	
17	राजपूत क्षत्रीय उपसमिति डोंगरगढ़	छीरपानी	
18	अग्रवाल सामाजिक भवन डोंगरगढ़	छीरपानी	
19	जिला आदिवासी समाज	तोरनकट्टा	
20	लोधी समाज कोतलवाही	कातलवाही	
21	लोधी समाज आलीवारा	आलीवारा	
22	सेन समाज बिलहरी	बिलहरी	
23	प्रगतिशील बौद्ध समाज	बोरतलाब	

क्रं.	संस्था का नाम	ग्राम/ मोहल्ला	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
24	राजपूत महासभा छ.ग. प्रदेश इकाई	डोंगरगढ़	प्रकरण प्रचलन में है।
25	जिला लोधी समाज	बरगाही	
26	साहू समाज बेलगांव	बेलगांव	
27	तहसील साहू संघ	छुरिया	संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण लंबित है।
28	ठेठवार यादव समाज	छुरिया	
29	सर्व सेन समाज	छुरिया	
30	निषाद (कैवट) समाज	छुरिया	
31	कोसरिया मरार एवं माली पटेल समाज	परिक्षेत्र सागर	
32	मुस्लिम समाज	छुरिया	
33	बौद्ध समाज	छुरिया	
34	कोसरिया यादव समाज	छुरिया	
35	गाड़ा गंधर्व समाज	परिक्षेत्र गैदाटोला	
36	कोसरिया मरार पटेल समाज	छुरिया	
37	सतनामी सेवा समिति	छुरिया	
38	झेरिया धीबी समाज	छुरिया	
39	अहिरवार मोची समाज	छुरिया	
40	मसीह समाज	चिचोला	
41	मुस्लिम समाज	उमरवाही	
42	साहू समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	प्रकरण संबंधित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लंबित है।
43	कंवर समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
44	हल्बा समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
45	बौद्ध समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
46	ठेठवार समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
47	ब्राम्हण समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
48	झेरिया यादव समाज कोनारी	कोनारी	
49	माहेश्वरी समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
50	कसौधन वैश्य समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
51	सतनामी समाज डोंगरगांव	डोंगरगांव	
52	लोधी समाज कोपेडीही	कोपेडीही	
53	लोधी समाज खैरी	खैरी	
54	पटेल समाज तुमडीबोड़	तुमडीबोड़	
55	सिन्हा समाज जारवाही	जारवाही	


 अनुमान सिंह
 राजस्व एवं आमदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परीशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 804) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	छात्रावास/आश्रम का नाम	सोलर पैनल सेट संख्या	सोलर पैनल चालू स्थिति में	सोलर पैनल बंद स्थिति में	सोलर पैनल बंद होने का कारण	सोलर पैनल कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6	7	8
छात्रावास							
1	कोण्डागांव	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कोनगुड़	1	हो	-	-	-
2	कोण्डागांव	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास माकड़ी	1	हो	-	-	-
3	कोण्डागांव	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ईरागांव	1	हो	-	-	-
4	कोण्डागांव	प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या उरंदाबेड़ा	1	-	हो	तकनीकी खराबी।	केडा विभाग द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है
आश्रम							
5	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कड़नार	1	हो	-	-	-
6	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम काटागांव	1	हो	-	-	-
7	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम गम्हरी	1	हो	-	-	-
8	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम खड़पड़ी	1	-	हो	दिसम्बर 2022 में लगाया गया है। केडा विभाग द्वारा इंस्टालेशन शेष है।	-
9	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम उमरागांव "ब"	1	-	हो	तकनीकी खराबी।	केडा विभाग द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है

क्र.	जिला	छात्रावास/आश्रम का नाम	सोलर पैनल सेट संख्या	सोलर पैनल चालू स्थिति में	सोलर पैनल बंद स्थिति में	सोलर पैनल बंद होने का कारण	सोलर पैनल कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6	7	8
10	कोण्डागांव	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम ईरागांव	1	—	हों	तकनीकी खराबी।	केडा विभाग द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है
छात्रावास							
1	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास दोढरेपाल	1	हों	—	—	—
2	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास नानगुर	1	हों	—	—	—
3	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मूतनपाल	1	हों	—	—	—
4	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास छिन्दावाड़ा	1	हों	—	—	—
5	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बास्तानार	1	हों	—	—	—
6	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास लोहण्डीगुड़ा	1	हों	—	—	—
7	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बड़ेबोदेनार	1	हों	—	—	—
8	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मूतनपाल	1	हों	—	—	—
9	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास किलेपाल	1	हों	—	—	—
10	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास धरमपुरा	1	हों	—	—	—
11	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास लोहण्डीगुड़ा	1	हों	—	—	—
12	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास बकावण्ड	1	हों	—	—	—
13	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास धरमपुरा	1	हों	—	—	—
14	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बड़ेमोरठपाल	1	हों	—	—	—
15	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बरछेपाल	1	हों	—	—	—
16	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नानगुर	1	हों	—	—	—
17	बस्तर	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास करंजी	1	हों	—	—	—
आश्रम							
18	बस्तर	अनुसूचित जनजाति आश्रम शाला सुलेंगा	1	हों	—	—	—
19	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम गुमड़पाल	1	हों	—	—	—

क्र.	जिला	छात्रावास/आश्रम का नाम	सोलर पैनल सेट संख्या	सोलर पैनल चालू स्थिति में	सोलर पैनल बंद स्थिति में	सोलर पैनल बंद होने का कारण	सोलर पैनल कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6	7	8
20	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम तुरागुर	1	हों	-	-	-
21	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम नेतानार	1	हों	-	-	-
22	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कोलेंग	1	हों	-	-	-
23	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम तिरिया	1	हों	-	-	-
24	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम नागलसर	1	हों	-	-	-
25	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम नेतानार	1	हों	-	-	-
26	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम चिड़पाल	1	हों	-	-	-
27	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम गुमगा	1	हों	-	-	-
28	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बाधनपाल	1	हों	-	-	-
29	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम सेड़वा	1	हों	-	-	-
30	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम पेदावाड़ा	1	हों	-	-	-
31	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम पालानार	1	हों	-	-	-
32	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम साडराबोदेनार	1	हों	-	-	-
33	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम तीरथुम	1	हों	-	-	-
34	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम वाहनपुर	1	हों	-	-	-
35	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम मूतनपाल	1	हों	-	-	-
36	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम पखनार	1	हों	-	-	-
37	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बिसपुर	1	हों	-	-	-
38	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कैलाउर	1	हों	-	-	-
39	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम चारगांव	1	हों	-	-	-
40	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम लावागांव	1	हों	-	-	-
41	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम पाथरी	1	हों	-	-	-
42	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम सतोषा	1	हों	-	-	-
43	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बारदा	1	हों	-	-	-

क्र.	जिला	छात्रावास/आश्रम का नाम	सोलर पैनल सेट संख्या	सोलर पैनल चालू स्थिति में	सोलर पैनल बंद स्थिति में	सोलर पैनल बंद होने का कारण	सोलर पैनल कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6	7	8
44	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कोलावल	1	हों	—	—	—
45	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम गारेंगा	1	हों	—	—	—
46	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम पुजारीपारा किलेपाल	1	हों	—	—	—
47	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम ईरुपा	1	हों	—	—	—
48	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बुरुगुम	1	हों	—	—	—
49	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कापानार	1	हों	—	—	—
50	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कापानार	1	हों	—	—	—
51	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम नागटोका	1	हों	—	—	—
52	बस्तर	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम बड़ेबोदेनार	1	हों	—	—	—
53	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कोटगढ़ पखनाकोर्गेंरा	1	हों	—	—	—

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 806) की जानकारी

प्रपत्र

मदवार आबंटित राशि एवं क्रय सामग्री की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	मद का नाम	आबंटित राशि रु.	आबंटित राशि से क्रय की गई सामग्री
1	2	3	4	5
1	2020-21 (1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक)	विज्ञान सामग्री	838480	विज्ञान सामग्री
2		किचन डिवाइस सामग्री	1215000	किचन डिवाइस
3		व्यायाम उपकरण	155568	व्यायाम उपकरण
4		निःशुल्क सरस्वती सायकल	3310950	सायकल
5	वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक)	कार्यालयीन फर्नीचर	1753133	कार्यालयीन फर्नीचर
6		विद्यार्थी फर्नीचर	2798408	विद्यार्थी फर्नीचर
7		विज्ञान सामग्री	807472	विज्ञान उपकरण
8		स्वच्छता सामग्री	1101950	स्वच्छता सामग्री
9		व्यायाम उपकरण	222224	व्यायाम उपकरण
10		निःशुल्क सरस्वती सायकल	3808510	सायकल
11		सेजेस गणवेश	172966	गणवेश
12		खेल सामग्री	375000	खेल सामग्री
13	वर्ष 2022-23 (1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक)	कार्यालयीन फर्नीचर	1729814	आफिस टेबल/कुर्सी/आलमारी
14		विद्यार्थी फर्नीचर	2742468	विद्यार्थी फर्नीचर
15		विज्ञान सामग्री	778904	विज्ञान उपकरण
16		स्वच्छता सामग्री	1098920	स्वच्छता सामग्री
17		व्यायाम उपकरण	282292	व्यायाम उपकरण
18		निःशुल्क सरस्वती सायकल	4146861	सायकल
19		खेल सामग्री	300000	खेल सामग्री
20		पाठ्यपुस्तक	135660	पाठ्यपुस्तक

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पारिशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 808) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 808 द्वारा श्री चंदन कश्यप, माननीय सदस्य विधानसभा
नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत कार्य, क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का प्रदाय

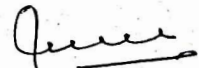
क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	क्षति का प्रकार											
			जन हानि			मकान क्षति			फसल क्षति			पशु हानि		
			हितग्राहियों की संख्या	प्रदाय की गई मुआवजा राशि	शेष राशि	हितग्राहियों की संख्या	प्रदाय की गई मुआवजा राशि	शेष राशि	हितग्राहियों की संख्या	प्रदाय की गई मुआवजा राशि	शेष राशि	हितग्राहियों की संख्या	प्रदाय की गई मुआवजा राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नारायणपुर	नारायणपुर	25	10000000.00	0.00	178	598200.00	0.00	147	584530.00	0.00	69	1927000.00	0.00
		ओरछा	5	2000000.00	0.00	20	69600.00	0.00	40	83024.00	0.00	11	275000.00	0.00
योग जिला			30	12000000.00	0.00	198	667800.00	0.00	187	667554.00	0.00	80	2202000.00	0.00
2	कोण्डागाँव	कोण्डागाँव	17	6800000.00	0.00	55	316200.00	0.00	17	83536.00	0.00	32	983000.00	0.00
योग जिला			17	6800000.00	0.00	55	316200.00	0.00	17	83536.00	0.00	32	983000.00	0.00
3	बस्तर	बस्तर	31	12400000.00	0.00	281	899200.00	0.00	44	299200.00	0.00	9	270000.00	0.00
योग जिला			31	12400000.00	0.00	281	899200.00	0.00	44	299200.00	0.00	9	270000.00	0.00
कुल योग			78	31200000.00	0.00	534	1883200.00	0.00	248	1050290.00	0.00	121	3455000.00	0.00

परीशेष - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 (क्र. 821) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. घुमका	26	19	7
2	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. स्टेशन मुढ़ीपार	24	22	2
3	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. उपरवाह	20	17	3
4	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. रेंगाकठेरा (बखत)	27	26	1
5	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. पटेवा	25	21	4
6	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. तिलई	26	21	5
7	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. भैंसातरा	28	20	8
8	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. सलौनी	26	15	11
9	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. परसबोड़	22	18	4
10	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. खैरझिटी	25	19	6
11	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. बघेरा	25	19	6
12	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. पदुमतरा	21	18	3
13	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास.उ.मा.शा. देवकट्टा	24	19	5
14	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास.उ.मा.शा. बेलगांव	24	18	6
15	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास.उ.मा.शा. मुढ़ियामोहारा	28	21	7
16	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास.उ.मा.शा.कन्या डोंगरगढ़	26	18	8
17	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास.उ.मा.शा. ढारा	27	20	7
18	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास.उ.मा.शा.कन्या बधियाटोला	25	19	6
19	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. मुरमुन्दा (RMSA)	7	5	2
20	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. हरडुवा (RMSA)	7	6	1
21	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. मासूल (RMSA)	6	5	1
22	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. धौराभाठा (RMSA)	6	5	1
23	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. सहसपुर दल्ली	12	8	4
24	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. मंनगटा	12	8	4
25	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. बोटेपार	12	7	5
26	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	शास. हाई. खैरा (RMSA)	8	4	4
27	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास. हाई. पलान्दुर	10	9	1
28	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास. हाई. भैंसरा (RMSA)	6	6	0
29	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	शास. हाई. घोटिया	12	3	9
30	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़	सेजेस डोंगरगढ़	46	42	4
योग				593	458	135


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 अछलीसगढ़